सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

GAURAV RAI

Digitally signed by GAURAV RAI
DN: c=IN, o=CAG OF INDIA, 2.5.4.20=dc7218ce4cc8b0a6d8957ac850e802461 6cfc3f83cc9037f2cb72dddd9e74c1c, ou=Indian Audit Account,CID - 6885716, postalCode=110124, st=Delhi, serialNumber=24d556f041c2c8809a5637755bd1a2d7b754d83419e0091fc89ccafcda556768, cn=GAURAV RAI
Date: 2023.03.28 14:20:11 +05'30'

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची		
विषय	**कंडिका**	**पृष्ठ**
प्राक्कथन		ix
कार्यकारी सार		xi-xvi
अध्याय-I विहंगावलोकन		
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा	1.1	1
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	2
प्रतिवेदन संरचना	1.3	3
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	4
सरकारी लेखाओं की संरचना	1.4.1	7
बजटीय प्रक्रिया	1.4.2	7
वित्त का संक्षिप्त अवलोकन	1.5	8
सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संक्षिप्त अवलोकन	1.5.1	10
राजकोषीय शेषः घाटा एवं कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	11
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के राजकोषीय मापदण्ड	1.6.1	11
लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात् घाटा	1.7	11
पश्च लेखापरीक्षा - घाटे	1.7.1	12
पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.7.2	12
अध्याय-II संघ शासित क्षेत्र के वित्त		
वर्ष 2020-21 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय राशियों में मुख्य परिवर्तन	2.1	15
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	16
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधन	2.3	17
संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियाँ	2.3.1	18
संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	19
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के संसाधन	2.3.2.1	19
केन्द्र से हस्तांतरण	2.3.2.2	22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	22
संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र का प्रदर्शन	2.3.4	23
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	24
व्यय का संघटन	2.4.1	24

विषय	कंडिका	पृष्ठ
राजस्व व्यय	2.4.2	26
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	27
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	28
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली में गैर-उन्मोचित देयताएं	2.4.2.3	29
सब्सिडी	2.4.2.4	30
संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	30
पूँजीगत व्यय	2.4.3	31
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	31
संवितरित एवं वसूल किए गए ऋणों की प्रमात्रा	2.4.3.2	32
अपूर्ण निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूँजी	2.4.3.3	34
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना का कार्यान्वयन (यूडीएवाई)	2.4.3.4	35
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	35
वस्तु शीर्षवार व्यय	2.4.5	36
लोक लेखा	2.5	36
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	36
आरक्षित निधियाँ	2.5.2	38
समेकित ऋण शोधन कोष	2.5.2.1	39
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	2.5.2.2	40
प्रत्याभूति मोचन कोष	2.5.2.3	41
केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ)	2.5.2.4	41
ऋण प्रबंधन	2.6	42
ऋण की रूपरेखाः घटक	2.6.1	42
ऋण विश्लेषण	2.7	45
उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता	2.7.1	46
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं	2.7.2	47
नकद शेषों का प्रबंधन	2.7.3	47
निष्कर्ष	2.8	50
अनुशंसाएं	2.9	50
अध्याय-III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	51

विषय	कंडिका	पृष्ठ
वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सार	3.1.1	52
प्रभारित और दत्तमत संवितरण	3.1.2	53
विनियोग लेखे	3.2	53
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.3	53
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	53
पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण या विलोमतः	3.3.2	54
अनावश्यक या अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.3	54
अधिक बचतें	3.4	55
प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान की उपयोगिता की प्रतिशतता	3.4.1	55
शून्य व्यय के साथ अनुदान	3.5	56
प्रावधानों पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता	3.5.1	57
एक अनुदान में सतत आधिक्य	3.5.2	57
तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण	3.5.3	58
पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3.6	58
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावकारिता पर टिप्पणियाँ	3.7	59
बजट प्रक्षेपण और अनुमान तथा वास्तविक के मध्य अंतर	3.7.1	59
व्यय की बहुलता	3.7.2	60
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.8	60
अनुदान संख्या 35: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3.8.1	61
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	3.8.1.1	61
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	3.8.1.2	61
राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय (बचत)	3.8.1.3	63
लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	3.8.1.4	64
एकल नोडल लेखे	3.8.1.5	64
अनुदान संख्या 30: जनजातीय कार्य विभाग	3.8.2	65
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	3.8.2.1	66
आबंटन के विरुद्ध अतिरिक्त व्यय	3.8.2.2	67
आबंटन के विरुद्ध कम व्यय	3.8.2.3	67
निधियों के प्रावधान के अंतर्गत दर्ज किया गया शून्य व्यय	3.8.2.4	69
लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	3.8.2.5	69

विषय	कंडिका	पृष्ठ
एकल नोडल लेखे	3.8.2.6	71
निष्कर्ष	3.9	71
अनुशंसाएं	3.10	72
अध्याय-IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की रीतियाँ		
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा या समेकित निधि से बाहर की निधियाँ	4.1	73
भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर	4.1.1	73
जल उपयोग प्रभार	4.1.2	74
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट	4.1.3	74
संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	76
कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ	4.3	77
स्थानीय निधियों की जमाएं	4.4	77
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.5	78
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.6	80
लघु शीर्ष 800 का अव्यवस्थित प्रयोग	4.7	83
मुख्य उचंत एवं डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.8	85
विभागीय आँकड़ों का गैर-समाधान	4.9	86
नकद शेषों का समाधान	4.10	87
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.11	88
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.12	88
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/ निगम/ कंपनियाँ	4.13	90
निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों/ ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण	4.14	91
लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता	4.15	91
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.16	92
निष्कर्ष	4.17	92
अनुशंसाएं	4.18	93
अध्याय-V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
सरकारी कंपनी की परिभाषा	5.1	95
लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	95

विषय	कंडिका	पृष्ठ
जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी में पीएसयू और उनका अंशदान	5.3	96
पीएसयू में निवेश और बजटीय सहायता	5.4	97
कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता	5.4.1 (क)	97
इक्विटी धारिता एवं दिए गए ऋण	5.4.1 (ख)	98
पीएसयू को सब्सिडी और अनुदान	5.4.2	99
जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाधान	5.4.3	100
पीएसयू में ऋण देयता को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.4.4	101
सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण	5.4.5	101
विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण	5.4.6	102
पीएसयू से प्रतिफल	5.5	102
पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान	5.5.1	102
ऋण सेवा एवं विधिक अनुपालन	5.6	102
पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण की स्थिति	5.6.1	102
पीएसयू में ब्याज कवरेज	5.6.2	103
सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण	5.6.3	104
पीएसयू की परिचालन दक्षता	5.7	105
उत्पादन का मूल्य	5.7.1	105
सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल	5.7.2	106
सूचीबद्ध पीएसयू में नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.3	107
गैर-सूचीबद्ध पीएसयू की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और इक्विटी	5.7.4	108
सरकारी निवेश पीएसयू पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)	5.7.5	108
हानि वाले पीएसयू	5.8	110
पीएसयू में पूँजी का अपक्षरण	5.8.1	112
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका	5.9	114
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा	5.9.1	114
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	115
पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	115
समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता	5.11.1	115
सरकारी कंपनियों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता	5.11.2	115

विषय	कंडिका	पृष्ठ
सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता	5.11.3	116
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण– लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	117
वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा	5.12.1	117
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	117
सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	118
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	118
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.1	118
अनुशंसाएं	5.14	119
परिशिष्ट		
संघ शासित क्षेत्र सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	परिशिष्ट 1.1	121
वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार	परिशिष्ट 1.2	124
31 मार्च 2022 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति		127
विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	परिशिष्ट 3.1	129
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोग के मामले	परिशिष्ट 3.2	130
अधिक बचतें	परिशिष्ट 3.3	132
प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों के उपयोग की प्रतिशतता	परिशिष्ट 3.4	138
शून्य व्यय सहित अनुदान	परिशिष्ट 3.5	140
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य	परिशिष्ट 3.6	141
वर्ष 1980-81 से वर्ष 2019-20 (01/04/2019 से 30/10/2019) की अवधि के दौरान आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता	परिशिष्ट 3.7	142
व्यय की अधिकता (केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष)	परिशिष्ट 3.8	144
केंद्रीय योजना के निधियों को संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों (संघ शासित क्षेत्र बजट से बाहर भेजा गया धन) को प्रत्यक्ष हस्तांतरण (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)	परिशिष्ट 4.1	146
31 मार्च 2022 तक बकाया लेखाओं की स्थिति	परिशिष्ट 4.2	150
31 मार्च 2022 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.1	151

विषय	कंडिका	पृष्ठ
30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के कुल बिक्री का विवरण	परिशिष्ट 5.2	154
30 सितंबर 2022 को पीएसयू से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 5.3	157
मार्च 2022 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी और ऋण	परिशिष्ट 5.4	161
30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.5	162
निवेश पर प्रतिफल-जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध पीएसयू)	परिशिष्ट 5.6	163
वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश और गैर-सूचीबद्ध पीएसयू में सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी)	परिशिष्ट 5.7	165
30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार घाटे वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.8	166
30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार संचित घाटे वाले पीएसयू का विवरण	परिशिष्ट 5.9	167
30 सितंबर 2022 तक कार्यशील पीएसयू लेखे, जो बकायों में हैं, में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	परिशिष्ट 5.10	169
बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	परिशिष्ट 6	171

प्राक्कथन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहाँ कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय । प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/ अधिशेष सहित राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय ॥ संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित प्रमुख राजकोषीय समग्रों, ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, तत्कालीन संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय ॥। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय ।V संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अननुपालन मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा और राजस्व प्राप्तियों को शामिल करने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित इनपुटों को समय पर संघ शासित क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु बजट प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा अतिरिक्त आँकड़े जैसे संघ शासित क्षेत्र का बजट, विभागीय प्राधिकरणों के अन्य आँकड़े, जीएसडीपी आँकड़े और अन्य संघ शासित क्षेत्र संबंधी सांख्यिकी पर आधारित यह प्रतिवेदन, निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय-I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और संघ शासित क्षेत्र के घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय-II संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित संघ शासित क्षेत्र की ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय-III संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय-IV संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत संघ शासित क्षेत्र के लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय-V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I एवं II: विहंगावलोकन एवं संघ शासित क्षेत्र के वित्त

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन बजट आनुमानों से 39 प्रतिशत तक कमी रही। सरकार बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे को बजट आनुमानों के भीतर नहीं रख सकी। बजट में ₹28,337 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹31 करोड़ का राजस्व घाटा था।

(कंडिका 1.5)

वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹30.83 करोड़ था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण ₹200.29 करोड़ तक कम आंकलित किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹11,150.61 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जिसे राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण ₹41.53 करोड़ कम बताया गया।

(कंडिका 1.7.1)

31 मार्च 2022 की समाप्ति तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार की बकाया देयता ₹29,335.41 करोड़ की थी। उपर्युक्त के अलावा, जेकेआईडीएफसी के ₹2,122.77 करोड़ और जेकेपीसीएल के ₹10,321.83 करोड़ की उधारी राशि बकाया है। सरकार ने इन उधारियों के मूलधन/ ब्याज का भुगतान किया है।

(कंडिका 1.7.2)

वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹42,690.77 करोड़) ₹59,238.50 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का 72.07 प्रतिशत था।

(कंडिका 2.3.2.2)

वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 75.93 प्रतिशत था।

(कंडिका 2.4.2.2)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने ₹73.77 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किये और ₹1.03 करोड़ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। 2021-22 के दौरान वितरित कुल ऋणों में से ₹40.00 करोड़ की राशि जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को संवितरित की गई थी, जिसके पास पहले से ही 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक ₹429.23 करोड़ (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र से ₹55.50 करोड़ प्राप्त

हुए) के बकाया ऋण थे। वर्ष 2018-19 के लिए पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, जेकेआरटीसी ने ₹117.62 करोड़ का घाटा दर्ज किया।

(कंडिका 2.4.3.2)

31 मार्च 2022 की समाप्ति तक आरक्षित निधियों में ₹920.13 करोड़ की राशि का कुल संचयी शेष था। 30 अक्टूबर 2019 के अंत तक इन निधियों में कुल संचयी शेष राशि ₹2,806 करोड़ तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की रही है जिसे दो आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

(कंडिका 2.5.2)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने न्यूनतम नकद शेष ₹1.14 करोड को बिना विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लिए 62 दिनों तक बनाये रखा और 125 दिनों पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया और इसके अलावा 178 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का भी लाभ उठाना पड़ा। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत 31 मार्च 2022 के अंत में शेष राशि ₹499.54 करोड़ थी।

(कंडिका 2.7.3)

अध्याय-III: बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2021-22 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 10 अनुदानों में 33 योजनाओं/ उप शीर्षों के अंतर्गत ₹21,646.17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(कंडिका 3.3.1)

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व व्यय की ₹158.76 करोड़ की राशि, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीगत व्यय के अधिक आंकलन एवं राजस्व व्यय तथा राजस्व घाटे के ₹158.76 करोड़ की सीमा तक कम आंकलन के रूप में हुआ।

(कंडिका 3.3.2)

वर्ष के दौरान ₹50 लाख या उससे अधिक के प्रत्येक मामले को शामिल करते हुए 22 मामलों में प्राप्त कुल ₹3,919.78 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया था।

(कंडिका 3.3.3)

पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹18,723.63 करोड़ की राशि की 22 अनुदानों में विभागों द्वारा ₹100 करोड़ और इससे अधिक की वृहत् बचतें थी। अनुदान संख्या 08 - वित्त विभाग को छोड़कर 35 अनुदानों में से शेष 34 अनुदानों में बचतें थी।

(कंडिका 3.4)

वर्ष के दौरान 28 अनुदानों में शामिल 123 योजनाओं के अंतर्गत ₹5,092.25 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अनुप्रयुक्त रहा।

(कंडिका 3.5)

सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान संख्या 08- वित्त विभाग में राजस्व दत्तमत, राजस्व *प्रभारित* और पूँजीगत *प्रभारित* अनुभाग और अनुदान संख्या -16 लोक निर्माण विभाग में राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹2,049.26 करोड़ की राशि के आधिक्य व्यय को नियमित किया जाना है।

(कंडिका 3.5.1)

वर्ष 2021-22 के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2022 में 17 अनुदानों के अंतर्गत 25 मुख्य शीर्षों में किया गया था।

(कंडिका 3.7.2)

अध्याय-IV: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की रीतियाँ

तत्कालीन राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 तक ₹8,158.32 करोड़ की राशि के भुगतान किए गए अनुदान हेतु 3,089 उपयोगिता प्रमाण-पत्र और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 31 मार्च 2022 तक ₹3,137.11 करोड़ के भुगतान किए गए अनुदान हेतु 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

(कंडिका 4.5)

30 अक्टूबर 2019 तक आहरित 2,154 एसी बिलों पर आहरित ₹5,830.41 करोड़ के डीसीसी बिल तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा पुनर्गठन के बाद 1,139 एसी बिलों पर आहरित ₹11,448.03 करोड़ के डीसीसी बिल 31 मार्च 2022 के अंत तक बकाया हैं।

(कंडिका 4.6)

वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹53,275.15 करोड़ की प्राप्तियों संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ₹59,238.50 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 89.93 प्रतिशत) और ₹49,058.57 करोड़ के व्यय (₹70,316.36 करोड़ के कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 69.77 प्रतिशत) का समाधान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ किया गया।

(कंडिका 4.9)

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाले कुछ सहायता अनुदानों को पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और वस्तु रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विवरण उपलब्ध (आईजीएएस 2) नहीं कराया गया था।

(कंडिका 4.11)

आठ स्वायत्त निकायों के संबंध में जिन्हें सीएजी को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना था, 37 खातों को एक से 12 वर्षों के बीच की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.12)

अध्याय–V: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2022 तक, विद्युत क्षेत्र में पीएसयू की इक्विटी पूंजी में ₹6,029.99 करोड़ के कुल इक्विटी पूंजी में से, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा ₹2,593.54 करोड़ (43.01 प्रतिशत) का अंशदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के 36 पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार का ₹975.87 करोड़ का कुल इक्विटी निवेश था। सरकार ने विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू को ₹1,539.42 करोड़ का अग्रिम ऋण भी दिया था।

(कंडिका 5.4.1)

वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार से पीएसयू को ₹3,473.11 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई थी।

(कंडिका 5.4.2)

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2021 के ₹1,901.35 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹3,013.22 करोड़ था।

(कंडिका 5.4.5)

अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचियों के वृहत्-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की मुख्य राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर भारत के उत्तरी भाग के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसके दो भाग हैं अर्थात् जम्मू तथा कश्मीर एवं इसमें 20 जिले हैं। इसकी दो राजधानियाँ हैं अर्थात् सर्दियों के दौरान जम्मू और गर्मियों के दौरान श्रीनगर। वर्ष 2022 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या 1.35 करोड़ है। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी संघ शासित क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी ₹1,95,118 करोड़ था।

1.1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दी गई समयावधि में संघ शासित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को व्यक्त करता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को समान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। जीएसडीपी एवं जीडीपी की वृद्धि की तुलना **तालिका 1.1** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	2,00,74,856 (द्वितीय आरई)	1,98,00,914 (प्रथम आरई)	2,36,64,637 (एई)
पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.2	-1.4	19.4
जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,64,135	1,70,201	1,95,118
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	अनुपलब्ध*	3.70	14.64

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार की वेबसाइट।

आरई = संशोधित अनुमान तथा एई = अग्रिम अनुमान।

**तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से दो संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।*

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसडीपी में क्षेत्र-वार योगदान को **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: जीएसडीपी 2020-21 एवं 2021-22 के क्षेत्र-वार योगदान में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

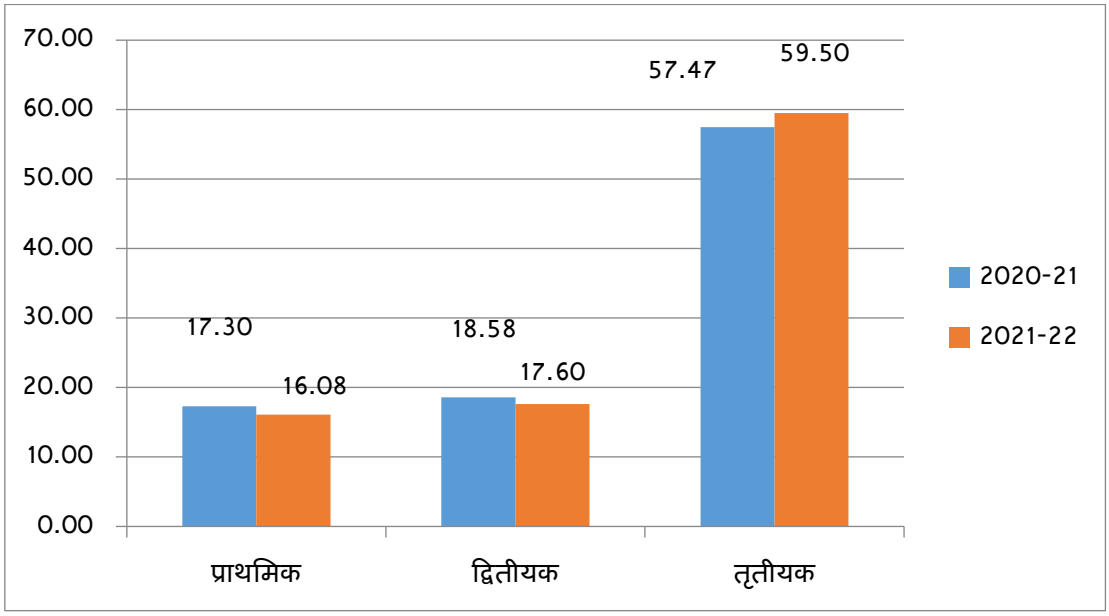

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर सरकार

वर्ष 2021-22 के दौरान, जीएसडीपी में ₹24,917 करोड़ की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.64 प्रतिशत अधिक है। जीएसडीपी की वृद्धि सभी तीन क्षेत्रों में वृद्धि के कारण हुई, पिछले वर्ष के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 6.58, 8.59 और 18.69 प्रतिशत की वृद्धि दर थी। कुछ गतिविधियों जैसे होटल और रेस्तरां (212.83 प्रतिशत), व्यापार और मरम्मत सेवाएं (37.50 प्रतिशत), सड़क परिवहन (34.63 प्रतिशत), खनन एवं उत्खनन (21.78 प्रतिशत), अन्य सेवाओं (33.31 प्रतिशत) एवं रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं (9.32 प्रतिशत) में तीव्र वृद्धि हुई थी। अक्टूबर 2022 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग द्वारा यह कहा गया था कि संघ शासित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने 2020-21 के महामारी वर्ष के बाद 2021-22 के दौरान सुधार दिखाया है, जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में वृद्धि हुई है।

1.2 संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के संदर्भ में, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(सीएजी) के प्रतिवेदनों को संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के नियंत्रणाधीन कार्यरत ऐसे लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी राजकोषों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक और सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से वार्षिक रूप से संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए आधारभूत आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- संघ शासित क्षेत्र का बजट: इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता तथा प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदण्डों और आबंटन प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा संचालित लेखापरीक्षा का निष्कर्ष;
- विभागीय प्राधिकारियों एवं राजकोषों के आँकड़े (एमआईएस के साथ-साथ लेखांकन)
- जीएसडीपी आँकड़े तथा अन्य संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अन्य विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुशंसाओं तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम रीतियों एवं दिशानिर्देशों के प्रसंग में भी विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नानुसार पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय-I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख

	सूचियों के वृहद-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।
अध्याय-II	**संघ शासित क्षेत्र के वित्त** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त, ऋण की रूपरेखा का व्यापक दृष्टिकोण, राज्य वित्त लेखे पर आधारित, वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य लोक लेखा संव्यवहारों को उपलब्ध कराता है।
अध्याय-III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विनियोगों एवं आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय-IV	**लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की रीतियाँ** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा सरकार के विभिन्न विभागीय कर्मियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के अनुपालन नहीं करने से संबंधित मामलों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय-V	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन** इस अध्याय में वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन के बारे में टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

1. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67)**

   इस निधि में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में भारत सरकार अथवा जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा किसी मामले के संबंध में प्राप्त सभी राजस्व शामिल हैं, जिसके संबंध में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा भारत की समेकित निधि से जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को दिये गये सभी अनुदानों और सभी ऋण तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के

उपराज्यपाल द्वारा लिए गए सभी ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी। इस निधि से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में प्रावधान किए गए तरीकों के अतिरिक्त कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता।

2. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69)**

   यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे विधानमण्डल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है तथा कानून द्वारा विनियोजन के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल द्वारा प्राधिकार के लिए लंबित ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा गया है। इस निधि की प्रतिपूर्ति संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से संबंधित व्यय को डेबिट करके की जाती है।

3. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का लोक लेखा (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 68)**

   उपर्युक्त के अलावा, उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशि को लोक लेखा जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा के नाम से जाना जाता है, में जमा किया जाएगा। लोक लेखा में लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों निक्षेपागार शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित है) जैसे पुनर्शोध्य शामिल हैं। लोक लेखा के अंतर्गत सरकार के साथ उपलब्ध निवल नकद शेष को भी शामिल किया जाता है। लोक लेखा विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का निर्माण करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्ययों से राजस्व लेखा पर व्यय से अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का अंश तथा भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में संघ शासित क्षेत्र सरकार के वे सभी व्यय शामिल हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन में फलित नहीं है। यह उन व्यय से संबंधित है जो सरकारी विभागों एवं विभिन्न सेवाओं के सामान्य रूप से कार्य करने, सरकार द्वारा व्यय किए गए ऋण पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के आशय से दिए गए हों) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बंधपत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल संव्यवहार, केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा पीएसयू एवं अन्य पार्टी को सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय शामिल है।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कि प्रकार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार के लक्षण	**वर्गीकरण**
महालेखा नियंत्रक द्वारा मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उपमुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के लिए छोड़ी गई नम्यता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

1.4.1 सरकारी लेखाओं की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखाओं की संरचना

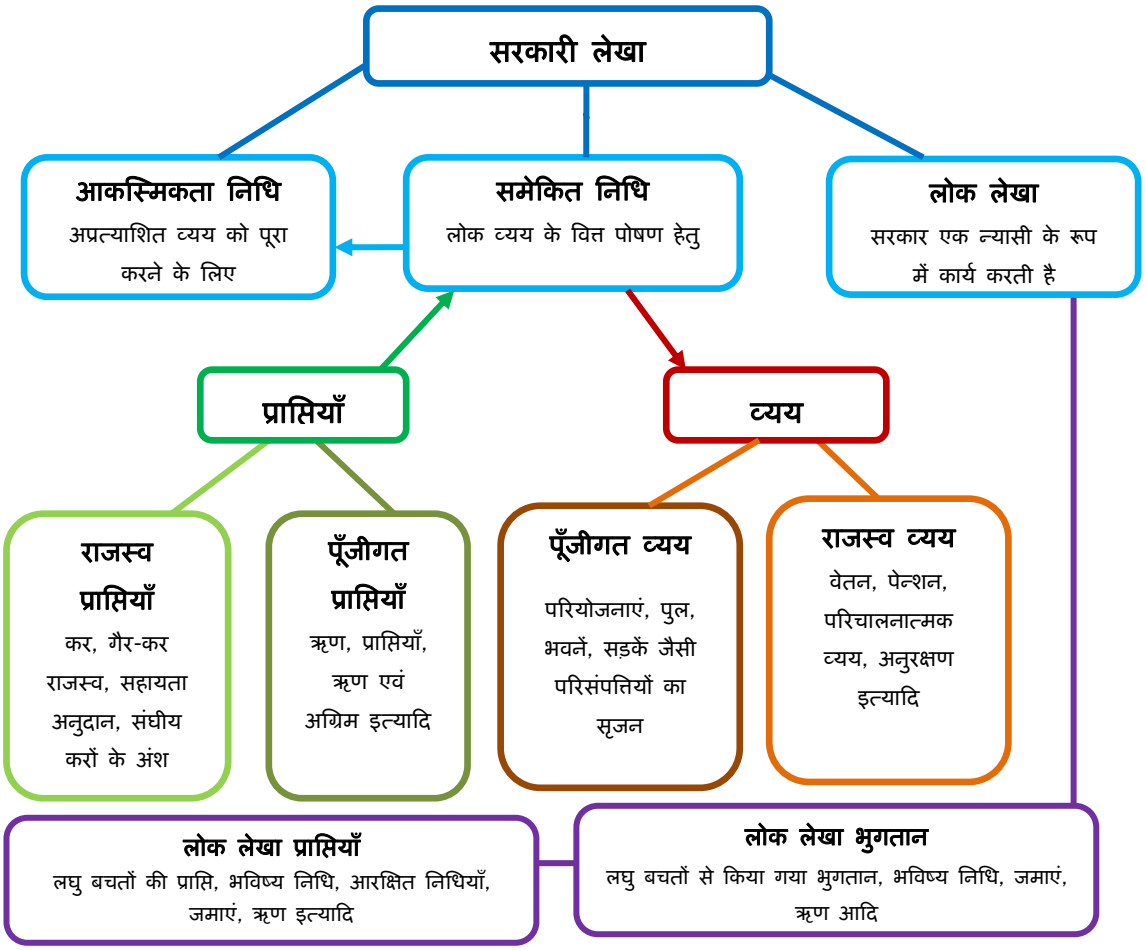

1.4.2 बजटीय प्रक्रिया

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, वर्ष के लिये संघ शासित क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। धारा 42 के संदर्भ में, विवरण राज्य विधानमण्डल को अनुदानों/ विनियोगों हेतु मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा इनके अनुमोदनोपरांत, धारा 43 के अंतर्गत विधानमण्डल द्वारा समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3938(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के अनुसरण में, 31 अक्टूबर 2019 को जारी उद्घोषणा के

परिणामस्वरूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3937(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 और संविधान के अनुच्छेद 239 एवं 239ए के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करने के लिए विधेयक, समेकित निधि पर प्रभारित व्यय और किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के व्यय के लिए 18 मार्च 2021 को संसद (लोकसभा) में प्रस्तुत किया गया था। दोनों सदनों द्वारा 18 मार्च 2021 (लोकसभा) तथा 23 मार्च 2021 (राज्यसभा) में इसे पारित किया था तथा 25 मार्च 2021 को स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई थी जिसकी इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में टिप्पणी की गई है।

1.5 वित्त का संक्षिप्त अवलोकन

कुछ घटकों के संबंध में बजट अनुमान एवं वास्तविक की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: वर्ष 2021-22 के लिए बजट के प्रति वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	(वास्तविक) 2020-21	(बजट अनुमान) 2021-22	(वास्तविक) 2021-22	बी.ई. हेतु वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी हेतु वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व	8,877	16,276	11,707	71.93	6.00
	(i) स्वयं के कर राजस्व	8,877	16,276	11,707	71.93	6.00
	(ii) संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	-	-	-	-	-
2	गैर-कर राजस्व	4,077	8,209	4,840	58.96	2.67
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	39,542	62,656	42,691	68.14	21.88
4	अतिरिक्त संसाधन जुटाव	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00
5	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)**	**52,496**	**97,141**	**59,238**	**60.98**	**30.36**
6	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	2	5	1	20.00	0.00

क्र. सं.	घटक	(वास्तविक) 2020-21	(बजट अनुमान) 2021-22	(वास्तविक) 2021-22	बी.ई. हेतु वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी हेतु वास्तविक का प्रतिशत
7	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	828	0.00	0.00	0.00
8	उधार तथा अन्य देयताएं#	10,693	10,647	11,151	104.73	5.72
9	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)**	**10,695**	**11,480**	**11,152**	**97.14**	**5.72**
10	**कुल प्राप्तियाँ (5+9)**	**63,191**	**1,08,621**	**70,390**	**64.80**	**36.08**
11	**राजस्व व्यय**	**52,634**	**68,804**	**59,269**	**86.14**	**30.38**
12	ब्याज भुगतान	6,372	7,692	7,360	95.68	3.77
13	**पूँजीगत व्यय**	**10,532**	**39,817**	**11,121**	**27.93**	**5.70**
14	पूँजीगत परिव्यय	10,470	39,708	11,047	27.82	5.66
15	ऋण तथा अग्रिम	62	109	74	67.89	0.04
16	आकस्मिकता निधि से विनियोजन	25	0	0	0	0.00
17	**कुल व्यय (11+13+16)**	**63,191**	**1,08,621**	**70,390**	**64.80**	**36.08**
18	**राजस्व घाटा / अधिशेष (5-11)**	**-138**	**28,337**	**-31**	**-0.11**	**-0.02**
19	**राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)**	**10,693**	**10,647**	**11,151**	**104.73**	**5.72**
20	**प्राथमिक घाटा (19-12)**	**4,321**	**2,955**	**3,791**	**128.29**	**1.94**

स्रोत: बजट 2021-22 एवं वित्त लेखे 2021-22

#उधार तथा अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+ आकस्मिकता निधि का निवल + लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अथ एवं अंत नकद शेष का निवल। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,845.49 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परंतु यह बजट अनुमानों से 39 प्रतिशत कम हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के कर राजस्व में 32 प्रतिशत एवं गैर-कर राजस्व में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में ₹6,742 करोड़ की वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में ₹6,635 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के ₹138 करोड़ के राजस्व घाटे के संबंध में राजस्व घाटा ₹31 करोड़ तक कम हो गया। पूंजीगत व्यय में ₹589 करोड़ की वृद्धि का राजकोषीय घाटे की वृद्धि में प्रमुख योगदान था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे को बजट में अनुमानित अनुमानों के भीतर नहीं रख सकी। बजट में ₹28,337 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के प्रति 2021-22 के दौरान ₹31 करोड़ का राजस्व घाटा था।

1.5.1 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संक्षिप्त अवलोकन

सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्शाया जाता है। **परिशिष्ट 1.2** संबंधित विगत वर्ष की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2022 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार प्रदान करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखाओं और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं तथा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं एवं परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					**परिसंपत्तियाँ**				
		2020-21	**2021-22**	**प्रतिशत वृद्धि**			**2020-21**	**2021-22**	**प्रतिशत वृद्धि**
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	10,562	19,306	82.79	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	15,893	26,940	69.51
ख	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम*	2,105	5,832	177.05	ख	ऋण तथा अग्रिम	95	168	76.84
आकस्मिकता निधि									
क	आकस्मिकता निधि	25	25	0	क	आकस्मिकता निधि	25	-	(-)100
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	2,186	1,592	(-)27.17	क	प्रेषण	-	698	100
ख	जमाएं	1,356	1,686	24.34	ख	नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)	1,448	1,448	0
ग	प्रेषण	635	-	-100	ग	कुल	17,461	29,254	67.54
घ	आरक्षित निधियाँ	771	920	19.33	घ	प्राप्ति से अधिक व्यय	300	356	18.67
ङ	उचंत एवं विविध शेष	121	249	105.79					

देयताएं					परिसंपत्तियाँ				
	कुल	**17,761**	**29,610**	**66.71**		**कुल**	**17,761**	**29,610**	**66.71**

स्रोत:वित्त लेखे

**जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,845.49 करोड़ शामिल हैं।*

इसके अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ को अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना है।

1.6 राजकोषीय शेषः घाटा एवं कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय संकेतकों के लिए कोई रोलिंग लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए गए थे।

1.6.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के राजकोषीय मापदण्ड

राजस्व घाटा/ अधिशेष: राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर राजस्व घाटा है। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹30.83 करोड़ था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा सरकार की उधारियों को छोड़ते हुए कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर है। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹11,150.61 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 5.72 प्रतिशत था।

प्राथमिक घाटा/ अधिशेष राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतानों को घटाने के संदर्भ में है। वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राथमिक घाटा (पीडी) ₹3,790.30 करोड़ था। प्राथमिक घाटा वर्ष के दौरान जीएसडीपी का 1.94 प्रतिशत था।

1.7 लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात् घाटा

संघ शासित क्षेत्र के वित्त का बेहतर चित्र प्रस्तुत करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने तथा ऑफ बजट राजकोषीय परिचालनों को संचालित करने की प्रवृत्ति है।

1.7.1 पश्च लेखापरीक्षा - घाटे

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण तथा नई पेन्शन योजना में कम अंशदान ने राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव {कम आंकलित (+)/ अधिक आंकलित (-)} (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव कम आंकलन (₹ करोड़ में)
1	राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण	158.76	-
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एमएच 8121 पर ब्याज का भुगतान न करना	25.61	25.61
3	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा एमएच 8336 पर ब्याज का भुगतान न करना	15.92	15.92
कुल निवल प्रभाव		**200.29**	**41.53**

स्रोत:वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में राजस्व घाटा ₹30.83 करोड़ का था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में ₹158.76 करोड़ का राजस्व व्यय (सहायता अनुदान ₹63.60 करोड़ एवं सब्सिडी ₹95.16 करोड़) के गलत वर्गीकरण तथा राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि पर ब्याज (₹25.61 करोड़) एवं राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा पर ब्याज (₹15.92 करोड़) का भुगतान नहीं करने के कारण ₹200.29 करोड़ तक कम बताया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹11,150.61 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने के कारण ₹41.53 करोड़ तक कम बताया गया जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

1.7.2 पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार, कुल देयताओं का तात्पर्य, समेकित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार एवं प्रत्याभूति सहित विशेष प्रयोजन वाहन और अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं, जहाँ मूलधन और/ या ब्याज को बजट से किया जाना होता है। बकाया ऋण/ देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण/ देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देयताएं	**राशि**
आंतरिक ऋण (क)	**19,306.08**
बाजार ऋण	15,022.22
अन्य संस्थानों, इत्यादि से ऋण	197.81
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	4,086.05
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**5,831.75**
गैर-योजना ऋण	0.00
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	-293.72
अन्य	6,125.47*
लोक लेखाओं पर देयताएँ (ग)	**4,197.58**
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	1,591.41
जमाएं	1,686.04
आरक्षित निधियाँ	920.13
कुल (क+ख+ग)	**29,335.41**

स्रोत:वित्त लेखे। लोक लेखा पर देयताएँ उचंत तथा विविध एवं प्रेषण शीर्षों को छोड़कर हैं।

** जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹5,945.29 करोड़ शामिल हैं।*

जीएसडीपी के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की देयताएँ 11.99[1] प्रतिशत है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जम्मू एवं कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) द्वारा ₹850.00 करोड़ की ऑफ बजट उधारियों (ओबीबी) की राशि का खुलासा किया है। यह 2019-20 (₹650.00 करोड़) और 2020-21 (₹750.00 करोड़) में जेकेआईडीएफसी द्वारा लिए गए ₹1,400.00 करोड़ के ओबीबी के अतिरिक्त था। इन ऋणों का पुनर्भुगतान करों और शुल्कों में संशोधन के माध्यम से किया जाना था। इस संबंध में, निदेशक वित्त, जेकेआईडीएफसी द्वारा आगे कहा गया कि ₹127.23 करोड़ के मूलधन का भुगतान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था। अतः, 31 मार्च 2022 तक जेकेआईडीएफसी के लेखा में ओबीबी की बकाया राशि ₹2,122.77 करोड़ थी।

वित्त विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा यह भी सूचित (नवंबर 2022) किया गया था कि जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) द्वारा ₹10,321.83

[1] जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले प्राप्त ₹5,945.29 करोड़ (2020-21 में ₹2,099.80 करोड़ और 2021-22 में ₹3,845.49 करोड़) की राशि के बैक-टु-बैक ऋण को कम करने के बाद ऋण का जीएसडीपी से अनुपात निकाला गया है।

करोड़ की ऑफ बजट उधारियाँ हैं। ₹10,321.83 करोड़ की इस कुल राशि में से ₹7,531.83 करोड़ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से और ₹2,790.00 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से प्राप्त किए गए थे। मूलधन का कोई भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि वे अधिस्थगन अवधि में हैं। हालांकि, इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है।

इस प्रकार, संघ शासित क्षेत्र सरकार के वित्त विभाग के अनुसार, जेकेआईडीएफसी द्वारा ₹2,122.77 करोड़ की राशि का ऑफ-बजट उधार और 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से जेकेपीसीएल के प्रति ₹10,321.83 करोड़ का ऋण बकाया था। उपर्युक्त ऑफ बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 11.99 प्रतिशत से बढ़कर 18.37 प्रतिशत हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ₹83,536.63 करोड़ की उधारी भी है, जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना शेष है।

अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है।

2.1 वर्ष 2020-21 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय राशियों में मुख्य परिवर्तन

वर्ष 2021-22 के लिए संघ शासित क्षेत्र की प्रमुख मूल राजकोषीय राशियों की तुलना वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय राशियों से की गई है।

वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय राशियों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्ति	✓ राजस्व प्राप्तियों में 12.84 प्रतिशत की वृद्धि ✓ स्वयं के कर प्राप्तियों में 31.88 प्रतिशत की वृद्धि ✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं में राजस्व व्यय में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय में 13.81 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 25.70 प्रतिशत की कमी
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 5.51 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 15.10 प्रतिशत की कमी ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 9.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 6.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 26.47 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक ऋण का पुनर्भुगतान में 23.87 प्रतिशत की वृद्धि

लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 9.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा का संवितरण में 22.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	✓ नकद शेष में पूर्व वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान ₹0.04 करोड़ की कमी हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों का सारांश निम्नानुसार हैं।

तालिका 2.1: वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/ कमी
स्रोत	आरबीआई के पास अथ नकद शेष राशि एवं अन्य नकद शेष	1,482.28	1,447.69	-34.59
	राजस्व प्राप्तियाँ	52,495.48	59,238.50	6,743.02
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1.93	1.03	-0.90
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	9,169.61*	12,470.19*	3,300.58
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,464.16	-1,319.63	-2,783.79
	कुल	**64,613.46**	**71,837.78**	**7,224.32**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	52,633.75	59,269.33	6,635.58
	पूँजीगत परिव्यय	10,470.38	11,047.03	576.65
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	61.64	73.77	12.13
	आरबीआई के पास अंत नकद शेष एवं अन्य नकद शेष	1,447.69	1447.65	-0.04
	कुल	**64,613.46**	**71,837.78**	**7,224.32**

स्रोत: वित्त लेखे

**वर्ष 202-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से ₹2,099.80 करोड़ तथा ₹3,845.49 करोड़ बैंक-टू-बैंक ऋण इसमें शामिल हैं।*

राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत (82.46 प्रतिशत) और संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा (82.50 प्रतिशत) राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का संघटन क्रमशः **चार्ट 2.1** एवं **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

(प्रतिशत में)

चार्ट 2.1 संसाधनों का संघटन **₹से आता है**	**चार्ट 2.2 संसाधनों का अनुप्रयोग** **₹को जाता है**

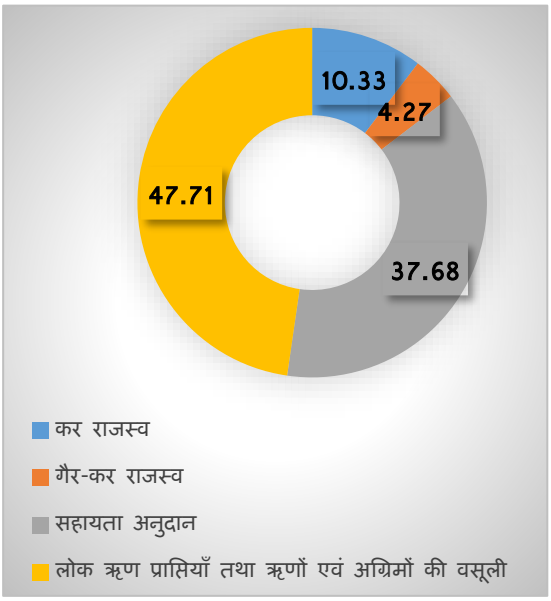

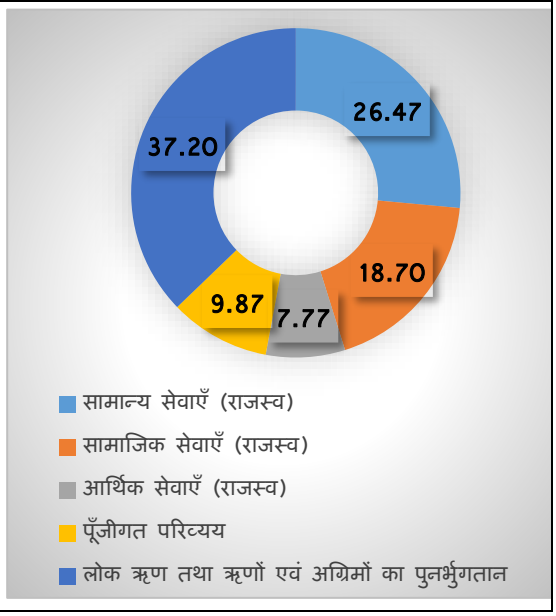

लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं सहायता अनुदान एक साथ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधनों के 85.39 प्रतिशत है। लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय (राजस्व) एक साथ कुल व्यय का 63.60 प्रतिशत के लिए लेखाबद्ध किया गया।

2.3 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधन

संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों का वर्णन निम्नलिखित है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। दोनों राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि के भाग का निर्माण करती हैं।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** इसमें लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं हैं, जैसे निश्चित संव्यवहारों से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण शामिल हैं। इन्हें तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 68(1) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप

में कार्य करती है। संवितरणों के उपरांत शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियाँ

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की दो शाखाएं हैं जो संघ शासित क्षेत्र सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा लोक लेखा से प्रोद्भूत राशियों के साथ-साथ भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों के संघटन को दर्शाने वाला ***चार्ट 2.3*** नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की प्राप्तियों का संघटन

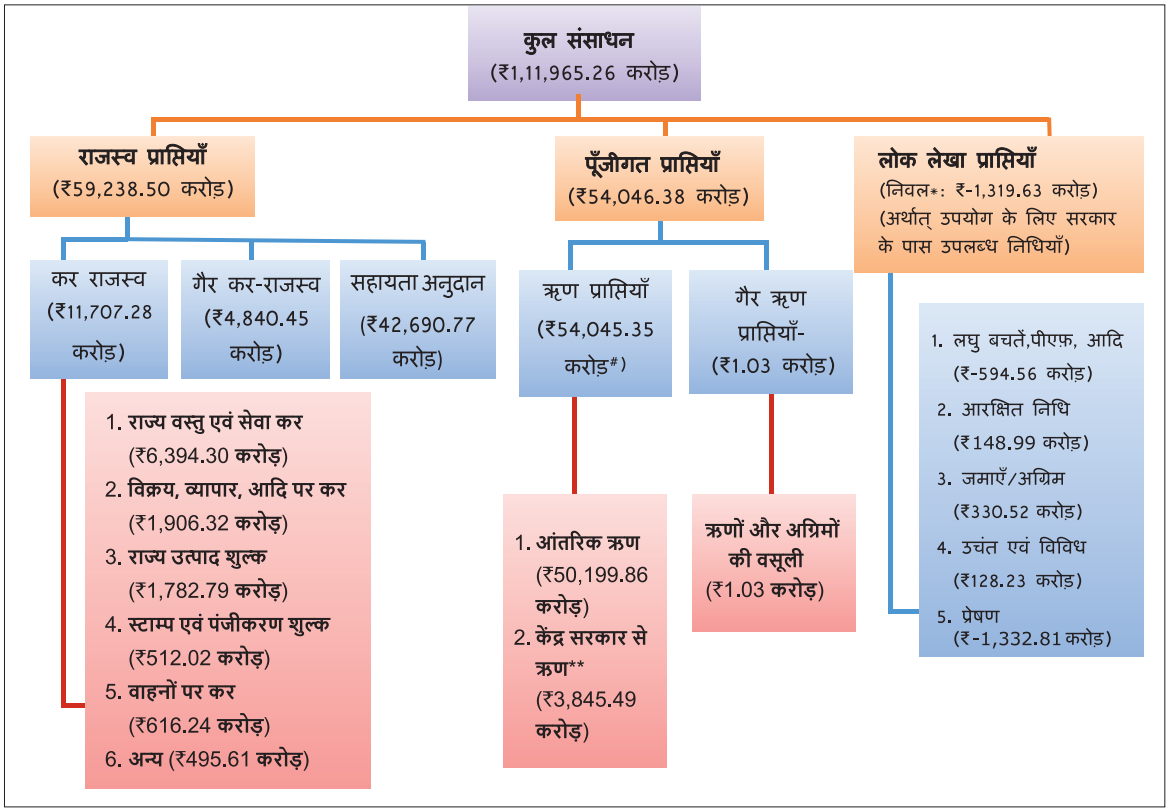

स्रोत: वित्त लेखे

**लोक लेखा प्राप्तियाँ निवल { ₹(-)1,319.63 करोड़ }=लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹27,223.47 करोड़) कम लोक लेखा संवितरण (₹28,543.10 करोड़)*

***जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,845.49 करोड़ शामिल है।*

 # अर्थोपाय अग्रिम सहित।

2.3.2 संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियों के घटक एवं राजस्व प्राप्तियों में उनके अंश **तालिका 2.2** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

घटक	2020-21	2021-22	प्रतिशतता
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (आरआर)	**52,495.48**	**59,238.50**	
स्वयं के कर राजस्व	8,876.99	11,707.28	19.76
गैर-कर राजस्व	4,076.38	4,840.45	8.17
भारत सरकार से सहायता अनुदान	39,542.11	42,690.77	72.07
जीएसडीपी	1,70,201	1,95,118	
जीएसडीपी में राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	30.84	30.36	

जीएसडीपी आँकड़ों के स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के घटक

(प्रतिशत में)

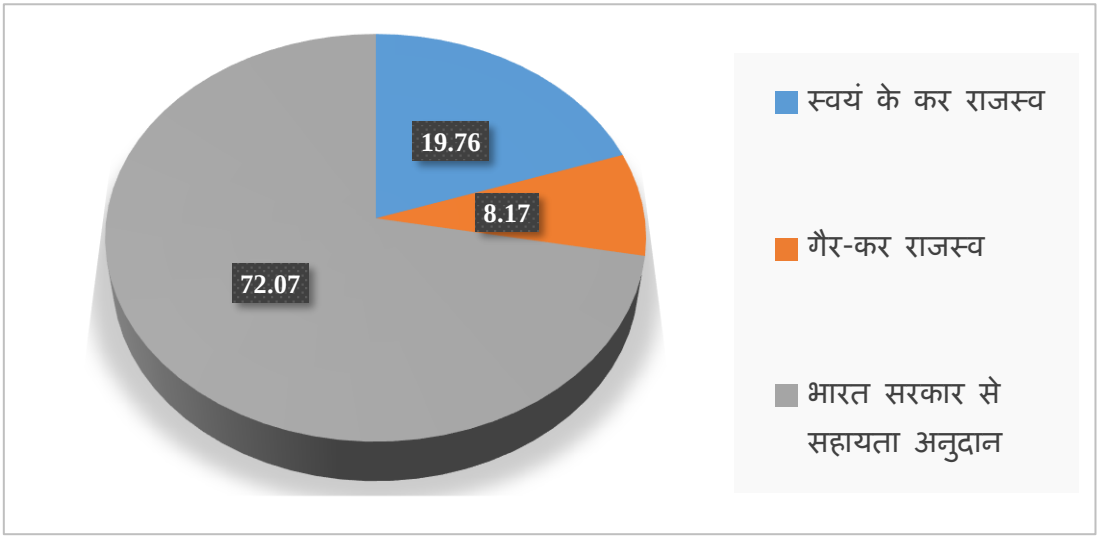

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹59,238.50 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से, भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹42,690.77 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 72.07 प्रतिशत था।

2.3.2.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में सरकार के निष्पादन का आंकलन, अपने संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। स्वयं के

कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व एवं इसके घटकों का विवरण निम्नलिखित उप-कंडिकाओं में दिया गया है।

(क) स्वयं के कर राजस्व

संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के कर राजस्वों में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2020-21	**2021-22**	**प्रतिशत वृद्धि**
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	1,495.61	1,906.31	27.46
एसजीएसटी	4,839.35	6,394.31	32.13
राज्य उत्पाद शुल्क	1,347.42	1,782.79	32.31
वाहनों पर कर	488.38	616.24	26.18
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	325.54	512.02	57.28
भू-राजस्व	60.57	113.28	87.02
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.90	5.73	536.67
अन्य कर	319.22	376.60	17.98
कुल	**8,876.99**	**11,707.28**	**31.88**

स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष 2020-21 के संबंध में 2021-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व के सभी घटकों में वृद्धि हुई और स्वयं के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 31.88 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई। एसजीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री/ व्यापार पर करों में क्रमशः ₹1,554.95 करोड़, ₹435.37 करोड़ तथा ₹410.70 करोड़ की अधिकतम वृद्धि हुई। वस्तु एवं यात्रियों तथा भू-राजस्व पर कर के तहत 2020-21 के संबंध में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 536.67 प्रतिशत और 87.02 प्रतिशत थी।

(ख) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य/ संघ शासित क्षेत्र जीएसटी संग्रह ₹6,394.31 करोड़ था, जो 2020-21 में ₹4,839.35 करोड़ की तुलना में ₹1,554.96 करोड़ (32.13 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करता है। इसमें ₹4,334.63 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन शामिल है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को 2021-22 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि

के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹892.56 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को 2021-22 के दौरान ₹3,845.49 करोड़ का ऋण (31 मार्च 2022 तक कुल ₹5,945.29 करोड़ का ऋण) जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले केंद्र सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे भारत सरकार के व्यय विभाग के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए राजस्व आंकड़ों की लेखापरीक्षा की गई है।

(ग) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ, इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व के घटकों को **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
ब्याज प्राप्तियाँ	17.86	16.54	-7.39
लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00	-
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	4,058.52	4,823.91	18.86
क) विद्युत	*2,349.74*	*2,715.75*	*15.58*
ख) मध्यम सिंचाई	*996.66*	*886.62*	*-11.04*
ग) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	*227.91*	*128.78*	*-43.50*
घ) जलापूर्ति एवं स्वच्छता	*93.89*	*111.88*	*19.16*
ङ) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	*41.33*	*474.12*	*1,047.16*
च) पुलिस	*39.91*	*68.68*	*72.09*
छ) अन्य विविध	*309.08*	*438.08*	*41.74*
कुल	**4,076.38**	**4,840.45**	**18.74**

स्रोत: वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में गतवर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 18.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बिजली, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शिक्षा, खेल कला और संस्कृति, पुलिस और अन्य विविध मदों में बड़ी वृद्धि हुई। मध्यम सिंचाई और अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों ने गतवर्ष की तुलना में प्राप्ति में गिरावट दिखाई। शिक्षकों के वेतन पर मुख्य लेखा अधिकारी (सीएओ) समग्र शिक्षा जम्मू-कश्मीर द्वारा ₹461.61 करोड़ के

प्रेषण करने के कारण, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के अंतर्गत प्राप्तियां 2020-21 के विरुद्ध 2021-22 के दौरान 1,047.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.3.2.2 केन्द्र से हस्तांतरण

केन्द्र से हस्तांतरण भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) तथा वित्त आयोग के अंतर्गत हस्तांतरण से सम्मिलित होकर बनता है।

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.5: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	**2020-21**	**2021-22**
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान	6,533.49	6,713.77
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान	33,008.62	35,977.00
कुल	**39,542.11**	**42,690.77**
राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का प्रतिशत	75.32	72.07

स्रोत: वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹42,690.77 करोड़) वर्ष 2021-22 के लिए ₹59,238.50 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 72.07 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों में जीआईए की प्रतिशतता 75.32 प्रतिशत से घटकर 72.07 प्रतिशत हो गई है जो दर्शाता है कि भारत सरकार से सहायता अनुदान पर सरकार की निर्भरता उस हद तक कम हो गई है।

(ख) 15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र को करों के किसी अंश का हस्तांतरण नहीं हुआ है। हालाँकि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय करों की शुद्ध आय का एक प्रतिशत और 28 राज्यों के मध्य विभाजन योग्य केंद्रीय कर की शुद्ध आय के 42 प्रतिशत के प्रति 41 प्रतिशत रखा जाना है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण और अग्रिम जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

तालिका 2.6: पूँजीगत प्राप्तियों का संघटन

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियों के स्रोत	2020-21	2021-22	वृद्धि दर (प्रतिशत)
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**42,734.86**	**54,046.38**	**26.47**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	*0.00*	*0.00*	*-*
ऋण और अग्रिमों की वसूली	*1.93*	*1.03*	*-46.63*
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**42,732.93**	**54,045.35**	**26.47**
आंतरिक ऋण	*40,450.24*	*50,199.86*	*24.10*
*भारत सरकार से ऋण और अग्रिम**	*2,282.69*	*3,845.49*	*68.46*

स्रोत: वित्त लेखे।

** ₹2,099.80 करोड़ 2020-21 तथा ₹3,845.49 करोड़ 2021-22 की राशि भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले के बैक-टू-बैक ऋण सहित।*

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ 2020-21 के दौरान ₹42,734.86 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹54,046.38 करोड़ हो गईं। पिछले वर्ष की तुलना में, 2021-22 के दौरान 26.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹50,199.86 करोड़ की आंतरिक ऋण प्राप्तियां ₹54,046.38 करोड़ की कुल पूंजी प्राप्ति का प्रमुख हिस्सा है और इसमें ₹9,749.63 करोड़ की वृद्धि हुई है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण के रूप में ₹3,845.49 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम की वसूली के कारण ₹1.03 करोड़ प्राप्त हुए।

2.3.4 संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के कर एवं स्वयं की गैर-कर प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं।

तालिका 2.7: अनुमानों की तुलना में कर एवं गैर-कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों पर वास्तविक की प्रतिशतता
स्वयं के कर राजस्व	16,276	11,707	71.93
गैर-कर राजस्व	8,209	4,840	58.96
कुल	**24,485**	**16,547**	**67.58**

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे

स्वयं के कर संसाधनों के अंतर्गत संग्रहण बजट अनुमानों से 32.42 प्रतिशत तक कम रहा। संघ शासित क्षेत्र सरकार बजट अनुमानों में स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के गैर-कर राजस्व के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। स्वयं के कर राजस्व 28.07 प्रतिशत कम तथा गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 41.03 प्रतिशत कम था। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹16,547.73 करोड़ के संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन (स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के गैर-कर राजस्व) वर्ष 2021-22 के लिए ₹45,000.95 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध व्यय (वेतन एवं मजदूरियाँ, ब्याज भुगतान तथा पेन्शन) का 36.77 प्रतिशत था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करे कि संघ शासित क्षेत्र की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास के प्रति निदेशित व्यय की कीमत पर नहीं है। उप-कंडिका संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में व्यय के आबंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय का संघटन

तालिका 2.8: कुल व्यय एवं इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	**2020-21**	**2021-22**	**प्रतिशत**
राजस्व व्यय (आरई)	**52,633.75**	**59,269.33**	**84.20**
पूँजीगत व्यय (सीई)	**10,470.38**	**11,047.04**	**15.69**
ऋण एवं अग्रिम	**61.64**	**73.77**	**0.10**
कुल व्यय (टीई)	**63,165.77**	**70,390.14**	**100.00**
टीई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	37.11	36.08	
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.92	30.38	
सीई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	6.15	5.66	
ऋण एवं अग्रिम/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	0.04	0.04	

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.5: कुल व्यय- इसके घटकों के अंश

(प्रतिशत में)

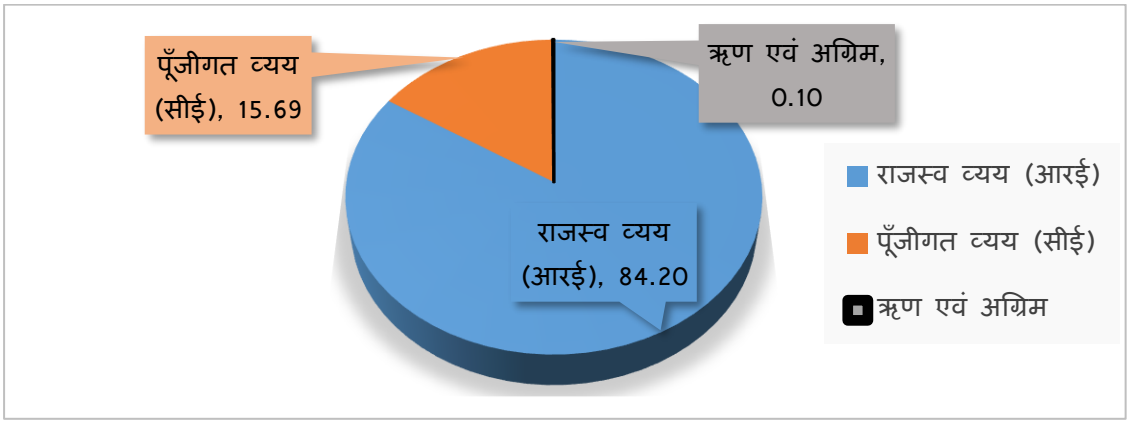

वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी से राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का क्रमशः 30.38 प्रतिशत एवं 5.66 प्रतिशत था।

तालिका 2.9: व्यय के विभिन्न क्षेत्रकों का तुलनात्मक अंश

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि
सामान्य सेवाएँ	26,297.40	30,298.89	15.22
सामाजिक सेवाएँ	21,964.27	23,655.75	7.70
आर्थिक सेवाएँ	14,842.46	16,361.73	10.24
ऋण एवं अग्रिम	61.64	73.77	19.68

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.6: कुल व्यय- गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)

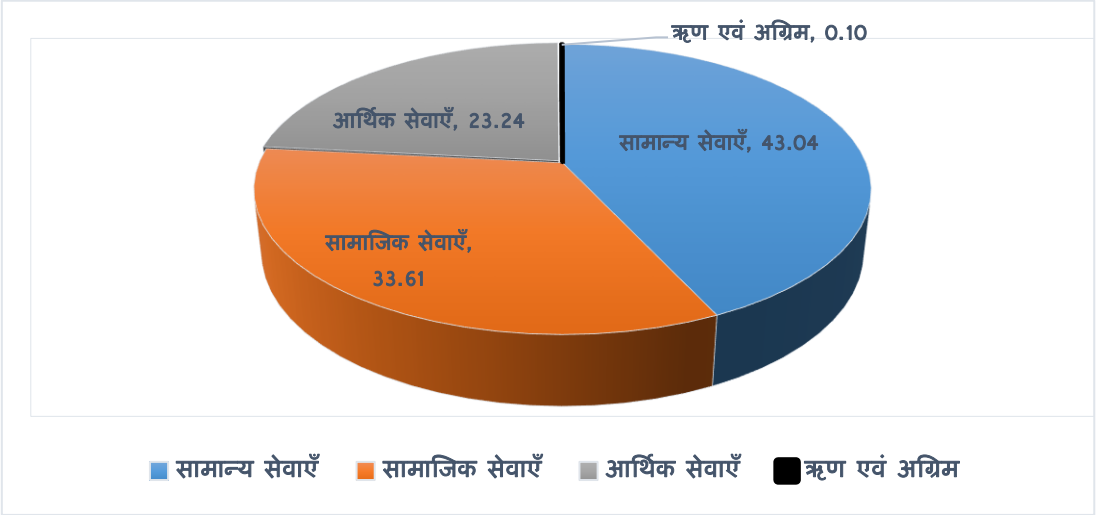

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता था, वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 56.85 प्रतिशत था तथा कुल व्यय का 43.04 प्रतिशत सामान्य सेवाओं पर खर्च किया गया था।

चार्ट 2.7: वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यकलाप द्वारा व्यय का संघटन

(प्रतिशत में)

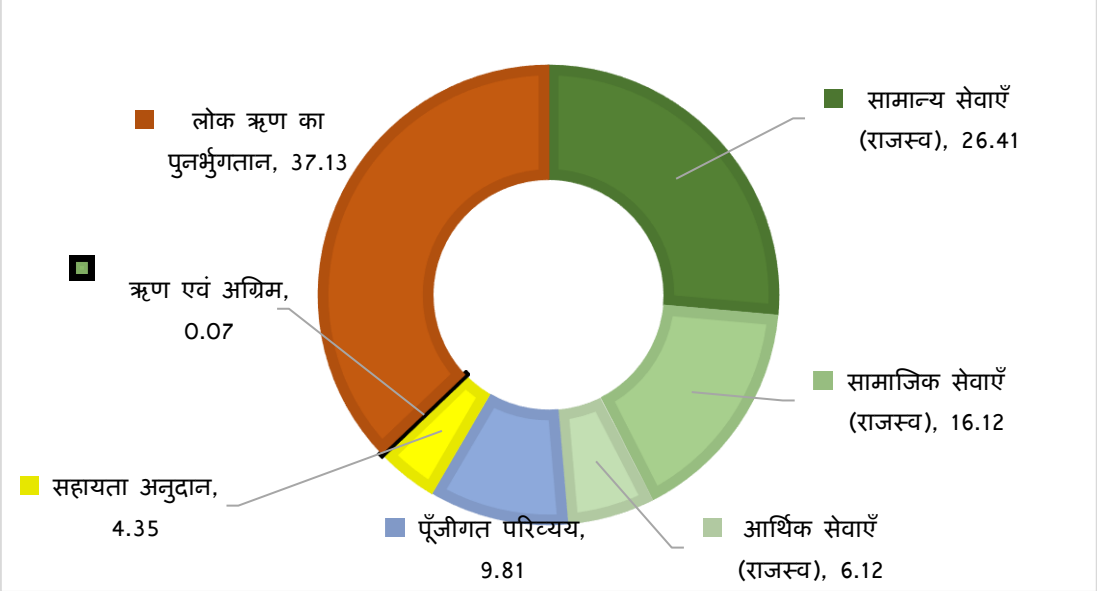

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि लोक ऋण का पुनर्भुगतान 37.13 प्रतिशत था जो कुल व्यय का सबसे बड़ा घटक था तथा सामान्य सेवाएँ (राजस्व) कुल व्यय का 26.41 प्रतिशत थीं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं (राजस्व) पर व्यय 22.24 प्रतिशत एवं सहायता अनुदान 4.35 प्रतिशत हैं। पूंजीगत व्यय 2021-22 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण का 9.81 प्रतिशत है।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान हेतु किया जाता है। इस प्रकार, इससे संघ शासित क्षेत्र की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। **तालिका 2.10** संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के राजस्व व्यय और मूलभूत मापदण्डों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.10: राजस्व व्यय- मूलभूत मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टीई)	63,165.77	70,390.14
राजस्व व्यय (आरई)	52,633.75	59,269.33

मापदण्ड	2020-21	2021-22
टीई के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.33	84.20
आरई/जीएसडीपी(प्रतिशत)	30.92	30.38
आरआर के प्रतिशत के रूप में आरई	100.26	100.05

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.8: वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(प्रतिशत में)

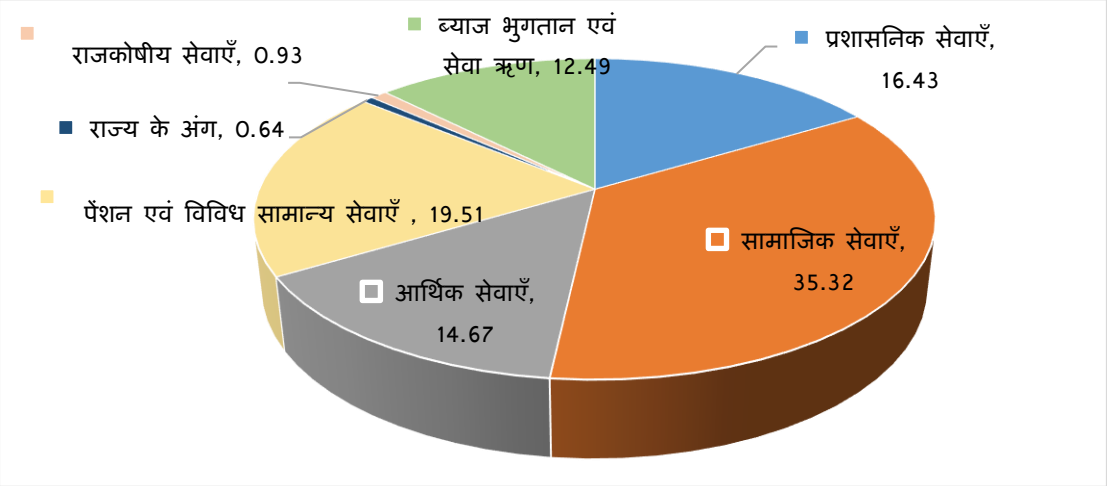

वर्ष 2021-22 के दौरान, आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का संयुक्त अंश 49.99 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के राजस्व व्यय का 50.01 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय (16.43 प्रतिशत), ब्याज भुगतान और ऋणों की सेवा (12.49 प्रतिशत), पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं (19.51 प्रतिशत) सामान्य सेवाओं पर व्यय के प्रमुख घटक थे।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

राजस्व व्यय ₹6,635.58 करोड़ (12.61 प्रतिशत) बढ़कर, 2020-21 में ₹52,633.75 करोड़ से 2021-22 में ₹59,269.33 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के राजस्व व्यय की तुलना में चालू वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व व्यय के संबंध में लेखा के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ से ऊपर की उल्लेखनीय वृद्धि/ कमी **तालिका 2.11** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.11: गतवर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि/ कमी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि/ कमी(-)
2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,078.11	11,563	2,484.89
2049 ब्याज भुगतान	6,372.46	7,360.31	987.85
2202 सामान्य शिक्षा	9,570.80	10,320.5	749.70

मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि/ कमी(-)
2055 पुलिस	7,112.39	7,636.11	523.72
3054 सड़क एवं पुल	210.37	620.78	410.41
2801 विद्युत	2,812.84	3,131.10	318.26
2211 परिवार कल्याण	212.33	407.84	195.51
2236 पोषण	405.88	574.90	169.02
2217 शहरी विकास	987.16	755.78	-231.38

गतवर्ष के संबंध में ₹2,484.89 की प्रमुख वृद्धि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत थी। यह वृद्धि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के सरकारी अंशदान के प्रतिशत में संशोधन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संवितरण के कारण थी।

ब्याज भुगतान पर व्यय के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज के कारण देयता को पूरा करने के कारण है।

सामान्य शिक्षा के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर बढ़े हुए खर्च के कारण थी। पुलिस के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से विशेष पुलिस, जिला पुलिस एवं पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर खर्च में वृद्धि के कारण थी। सड़कों एवं पुलों के अंतर्गत व्यय केंद्रीय निधि के अधिक हस्तांतरण और निर्देशन एवं प्रशासन पर व्यय में वृद्धि के कारण बढ़ गया।

विद्युत के अंतर्गत विद्युत की खरीद पर खर्च बढ़ने से व्यय बढ़ा। पर्यटन के अंतर्गत व्यय पर्यटन केन्द्रों एवं प्रचार-प्रसार पर अधिक व्यय से बढ़ा।

शहरी विकास के अंतर्गत बड़ी कमी स्थानीय निकायों को कम सहायता के संवितरण के कारण थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय एवं पेन्शन शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार होता है। अधिक प्रतिबद्ध व्यय से सरकार का विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम होता है।

तालिका 2.12: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	23,851.70	26,077.64
ब्याज भुगतान	6,372.46	7,360.31
पेन्शन एवं उपदान पर व्यय	9,078.11	11,563.00
कुल	**39,302.27**	**45,000.95**
राजस्व प्राप्तियों (आरआर) के प्रतिशत के रूप में		
वेतन एवं मजदूरी	45.44	44.02

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	**2020-21**	**2021-22**
ब्याज भुगतान	12.14	12.42
पेन्शन एवं उपदान पर व्यय	17.29	19.52
कुल	**74.87**	**75.96**
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में		
वेतन एवं मजदूरी	45.31	44.00
ब्याज भुगतान	12.11	12.42
पेन्शन एवं उपदान पर व्यय	17.25	19.51
कुल	**74.67**	**75.93**

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन एवं मजदूरी राजस्व व्यय का 44.00 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय 75.93 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों के 75.96 प्रतिशत के बराबर था। यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति का बड़ा भाग प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए समाप्त हो गया था और सरकार के पास अन्य व्यय के लिए अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 25 प्रतिशत ही शेष था।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली में गैर-उन्मोचित देयताएं

परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अनुसार, 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी जो योजना के अंतर्गत शामिल हैं, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जो सरकार द्वारा समान राशि के साथ सुमेलित किया जाता है। हालाँकि, संघ शासित प्रदेश सरकार के योगदान को मई 2021 (संघ शासित प्रदेश सरकार का एस.ओ. सं. 178 दिनांक 20 मई 2021) में 1 अप्रैल 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना में कुल अंशदान ₹1,587.13 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹652.55 करोड़ तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹934.58 करोड़) था।

संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹1,587.13 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित की। जिसमें से ₹1,574.89 करोड़ इस जमा लेखा शीर्ष से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2022 तक, ₹11.71 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 8342- "अन्य जमा" -117 सरकारी कर्मचारियों के लिए "परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना" (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत एनएसडीएल/ न्यासी बैंक में स्थानांतरण की प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी। 30 अक्टूबर 2019

(पुनर्गठन पूर्व) को समाप्त तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित एनएसडीएल/ न्यासी बैंक को हस्तांतरण के लिए आवश्यक ₹53.67 करोड़ की देयता भी थी, आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना शेष है।

2.4.2.4 सब्सिडी

वस्तु शीर्ष 'सब्सिडी' के अंतर्गत बुक की जा रही राशियाँ नीचे दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.13: वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2020-21	2021-22
गैर-प्रतिबद्ध व्यय (₹ करोड़ में)	13,331.48	14,268.38
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	128.24	95.16
गैर-प्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.96	0.67
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.24	0.16
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	0.24	0.16

स्रोत: वित्त लेखे

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा सब्सिडी पर व्यय 2020-21 में ₹128.24 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 में ₹95.16 करोड़ हो गया है। इसने राजस्व प्राप्तियों (₹59,238.50 करोड़) और राजस्व व्यय (₹59,269.33 करोड़) का 0.16 प्रतिशत गठित किया। उद्यान कृषि विभाग को अधिकतम सब्सिडी (₹88.72 करोड़) उपलब्ध कराई गई थी जो वर्ष के दौरान सब्सिडी पर कुल व्यय का 93.23 प्रतिशत थी।

2.4.2.5 संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.14** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.14: स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22
(क) स्थानीय निकाय		
नगर निगम	502.15	388.43
अन्य	356.32	256.03
कुल (क)	**858.47**	**644.46**

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22
(ख) अन्य		
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	2,256.56	2,205.67
विकास प्राधिकरण	68.43	71.08
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत कंपनियाँ*	2,759.98	1,188.23
अन्य संस्थान	588.42	761.41
कुल (ख)	**5,673.39**	**4,226.39**
कुल (क+ख)	**6,531.86**	**4,870.85**
राजस्व व्यय	**52,633.75**	**59,269.33**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	12.41	8.22

स्रोतः वित्त लेखे

** जे एंड के विद्युत विकास निगम, जम्मू पावर डिस्कॉम, कश्मीर पावर डिस्कॉम एवं जे एंड के विद्युत निगम लिमिटेड*

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत कंपनियाँ सहायता का प्रमुख हितभागी थे, जिन्होंने ₹1,188.23 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित कुल वित्तीय सहायता का 24.39 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान 12.41 प्रतिशत से घटकर 8.22 प्रतिशत हो गया है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्यतः स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों इत्यादि के सृजन पर व्यय है। कैपेक्स की पूर्ति बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/ ऑफ बजट से की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर) का अंश 15.69 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूँजीगत परिव्यय 2020-21 में ₹10,470.38 करोड़ से ₹576.66 करोड़ (5.51 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹11,047.04 करोड़ हो गया। पूर्ववर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र के पूँजीगत परिव्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹100 करोड़ और उससे अधिक के परिवर्तन नीचे तालिका में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.15: पूर्ववर्ष के संबंध में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की वृद्धि/ कमी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष वर्णन	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	589.58	1,230	(+)640.42
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	529.85	636.79	(+)106.94
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	2,022.86	1,267.65	(-)755.21
4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	311.28	174.99	(-)136.29

स्रोतः वित्त लेखे

विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत बढ़ा हुआ व्यय मुख्य रूप से पिछले वर्ष के संबंध में एमएच-4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- जल विद्युत उत्पादन 800- अन्य व्यय, 011-सामान्य, 2021- उत्पादन के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण था।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण नए चिकित्सा महाविद्यालयों पर व्यय में वृद्धि, आयुष का कार्यान्वयन तथा राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण है।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय और जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत बड़ी कमी थी, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जम्मू) एवं श्रीनगर शहर मास्टर प्लान जल आपूर्ति में वृद्धि के अंतर्गत कार्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण थी।

2.4.3.2 संवितरित एवं वसूल किए गए ऋणों की प्रमात्रा

सरकार सहकारी सोसाइटियों, निगमों, कंपनियों जैसे कई संस्थानों/ संगठनों और सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती रही है। **तालिका 2.16,** 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति, वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.16: वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित और वसूल किए गये ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूल किए गये ऋणों की मात्रा	2020-21	2021-22
बकाया ऋणों का अथ शेष	35.80 (1,740.44)	95.51 (1,740.44)
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	61.64	73.77
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1.93	1.03
बकाया ऋणों का अंतशेष	95.51 (1,740.44)	168.25 (1,740.44)
निवल जोड़	59.71	72.74
ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	शून्य	0.13
सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	शून्य	शून्य
सरकार की बकाया उधारियों* पर भुगतान की गई ब्याज की दर	7.01	7.10
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	7.01	7.10

स्रोत: वित्त लेखे।

**तत्कालीन राज्य की बकाया उधारी सम्मिलित है जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।*

वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹73.77 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किए और ₹1.03 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरित कुल ऋणों में से ₹40.00 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड (जेकेआरटीसी) को संवितरित की गई थी, जिस पर पहले से ही 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक ₹439.23 करोड़ की राशि (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से ₹55.50 करोड़ प्राप्त) के बकाया ऋण थे। वर्ष 2018-19 के लिए पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार, जेकेआरटीसी ने ₹117.62 करोड़ का घाटा दर्ज किया। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो रही है। एफआरबीएम विवरणों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे में कोई आंकलन नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार पर 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक ₹168.25 करोड़ की राशि के कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम थे। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा संवितरित ₹1,740.44 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम थे, जो 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक बकाया थे तथा जिन्हें अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना था। एग्जिट कांफ्रेंस में बताया गया कि सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे पीएसयू में विनिवेश की उम्मीद कर रही है।

2.4.3.3 अपूर्ण निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूँजी

सरकार द्वारा प्रस्तुत एक करोड़ से अधिक अनुमानित लागत की अधूरे कार्यों की सूचना के अनुसार, 397 पूँजीगत निर्माण कार्यों की मूल अनुमानित लागत ₹1,518.66 करोड़ है, जो चार विभागों (अर्थात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू (61 निर्माण कार्य) और जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू (126 निर्माण कार्य), जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू (119 निर्माण कार्य) एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, कश्मीर (एक) को 2012-13 से 2014-15 एवं 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था, वर्ष 2021-22 के अंत तक अपूर्ण थे। इन अधूरे कार्यों पर किए गये कुल ₹1,095.52 करोड़ की राशि का संचयी व्यय अवरुद्ध हो गया।

तालिका 2.17: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की कालावधिक रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

समापन का लक्ष्य वर्ष	अपूर्ण निर्माण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	31.03.2022 की समाप्ति तक व्यय
2012-13	01	1.57	3.52
2013-14	02	6.95	6.44
2014-15	09	49.42	43.25
2017-18	02	3.90	3.71
2018-19	05	10.65	9.83
2019-20	85	205.40	176.71
2020-21	203	971.87	674.10
2021-22	90	268.90	177.96
कुल	**397**	**1,518.66**	**1,095.52**

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.18: अपूर्ण निर्माण कार्यों की विभाग-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	31.03.2022 की समाप्ति तक व्यय
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू	61	848.15	614.22
जल शक्ति (पीएचई) विभाग, कश्मीर	216	363.66	233.65
जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू	119	306.15	246.95
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, कश्मीर	01	0.70	0.70
कुल	**397**	**1,518.66**	**1,095.52**

स्रोत: वित्त लेखे

2.4.3.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना का कार्यान्वयन (यूडीएवाई)

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के डिस्कॉम की वित्तीय क्षमता और परिचालन को बेहतर बनाने हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (यूडीएवाई) की शुरुआत (नंवबर 2015) की। राज्यों को सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत ऋण दो वर्षों में प्राप्त करना था अर्थात् डिस्कॉम ऋण का 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत प्राप्त किया जाना था। मार्च 2016 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने यूडीएवाई– "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना" के अंतर्गत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और आरबीआई से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में और ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की निधियाँ मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 तक की परिपक्वता तिथि सहित 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत के बीच की दरों पर गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बंधपत्र जारी करके उधार लिया था। उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा था इसलिए यह राशि सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देयताओं का निपटान करने हेतु उपयोग में ली गई थी। सरकार को बंधपत्रों पर ब्याज देना होता है और बंधपत्र भी 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व होते रहेंगे। वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने यूडीएवाई के अंतर्गत जारी बंधपत्रों पर ब्याज के प्रति ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹214 करोड़ की मूलधन राशि का भी भुगतान किया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र के लिए राजकोषीय प्राथमिकता, उस श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात होता है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर सरकार की व्यय प्राथमिकता **तालिका 2.19** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.19: स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत व्यय के संबंध में व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

वर्ष	टीई /जीएसडीपी	आरई /टीई	सीई /टीई	एसएसई/ टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	शिक्षा/ टीई	स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू/टीई
2020-21	37.11	83.33	16.67	34.77	23.59	58.37	16.28	7.85
2021-22	36.08	84.20	15.80	33.61	23.35	56.96	15.66	7.98

टीई: कुल व्यय, आरई: राजस्व व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय एवं डीई: विकास व्यय (सामाजिक क्षेत्र + आर्थिक क्षेत्र) ।

वर्ष 2021-22 के दौरान उपर्युक्त सभी क्षेत्रों पर संघ शासित क्षेत्र के व्यय में वृद्धि हुई परंतु राजस्व व्यय को छोड़कर उनका कुल व्यय के प्रतिशत में गिरावट आई।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय, व्यय के लक्ष्य/ उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.9: वस्तु शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)

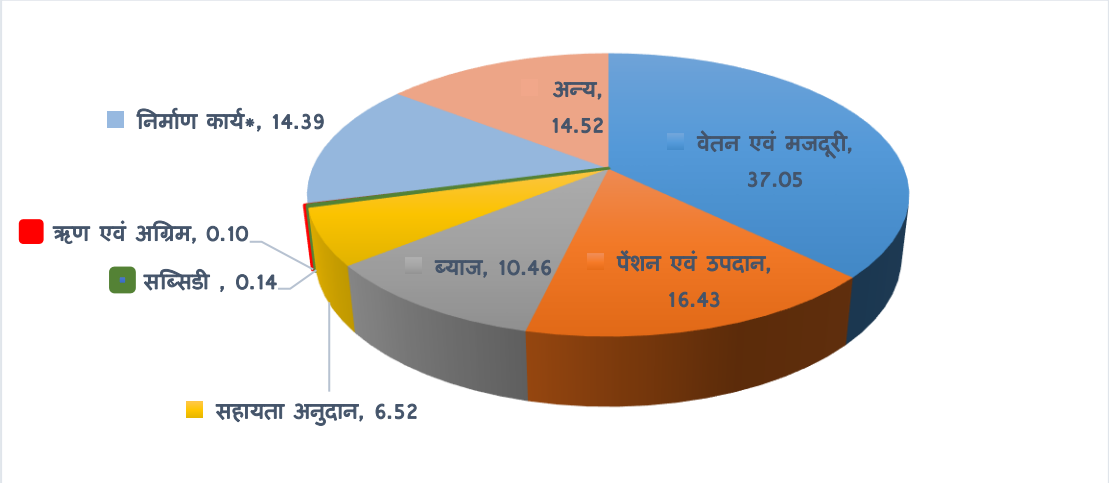

* प्रमुख निर्माण कार्य + लघु निर्माण कार्य + निर्माण

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में वेतन एवं मजदूरी कुल व्यय का 37.05 प्रतिशत और पेंशन एवं उपदान कुल व्यय का 16.43 प्रतिशत थे। यह इंगित करता है कि कुल व्यय का 53 प्रतिशत से अधिक वेतन एवं मजदूरी और पेन्शन एवं उपदान पर था। कुल व्यय का 14.39 प्रतिशत प्रमुख, लघु निर्माण कार्यों हेतु था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ संव्यवहार के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के धारा 68(1) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् शेष विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध निधि होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं में जमा राशियों के संबंध में, संघ शासित क्षेत्र सरकार एक न्यासी या एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और एक न्यासीय देयता को वहन करती है। राज्य भविष्य निधि, बीमा/ पेन्शन निधियाँ, आरक्षित

निधियाँ, जमाएं और अग्रिम लोक लेखाओं के प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा, सरकारी लेखाओं के लोक लेखा अनुभाग का उपयोग भी निक्षेपागार अभिलेख हेतु किया जाता है और उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उपयुक्त प्राप्ति या लेखा के भुगतान शीर्ष, और नकद शेष के संव्यवहारों को भी उचंत और विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत संव्यवहारों के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। **तालिका 2.20** में राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष की समाप्ति पर लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	**उप क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**
झ. लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	-2,185.97 (-27,161.62)	-1,591.41 (-27,161.62)
ञ. आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	-780.89 (-1,260.62)	-873.86 (-1,260.62)
	(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	9.76 (-1,533.95)	-46.27 (-1,533.95)
ट. जमाएं एवं अग्रिम	(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं	-474.74 (-53.67)	-495.52 (-53.67)
	(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली जमाएं	-880.79 (-6,860.56)	-1,190.52 (-6,860.56)
	(ग) अग्रिम	0.00 (12.69)	0.00 (12.69)
ठ. उचंत और विविध	(क) उचंत	-121.14 (344.15)	-249.38 (344.15)
	(ख) अन्य लेखा	-0.0002 (389.01)	-0.0002 (389.01)
ड. प्रेषण	(क) धनादेश और अन्य प्रेषण	-632.57 (-2,856.74)	689.07 (-2,856.74)
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन खाता	-1.93 (9.26)	9.25 (9.26)
कुल		**-5,068.27** **(-38,972.05)**	**-3,748.64** **(-38,972.05)**

स्रोत: वित्त लेखे,

नोट: (+)डेबिट शेष और (–) जमा शेषों को दर्शाता है।

31 मार्च 2022 की समाप्ति तक जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं के अंतर्गत कुल जमा शेष ₹3,748.64 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत भी कुल जमा शेष ₹38,972.05 करोड़ था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा में शेष राशि में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

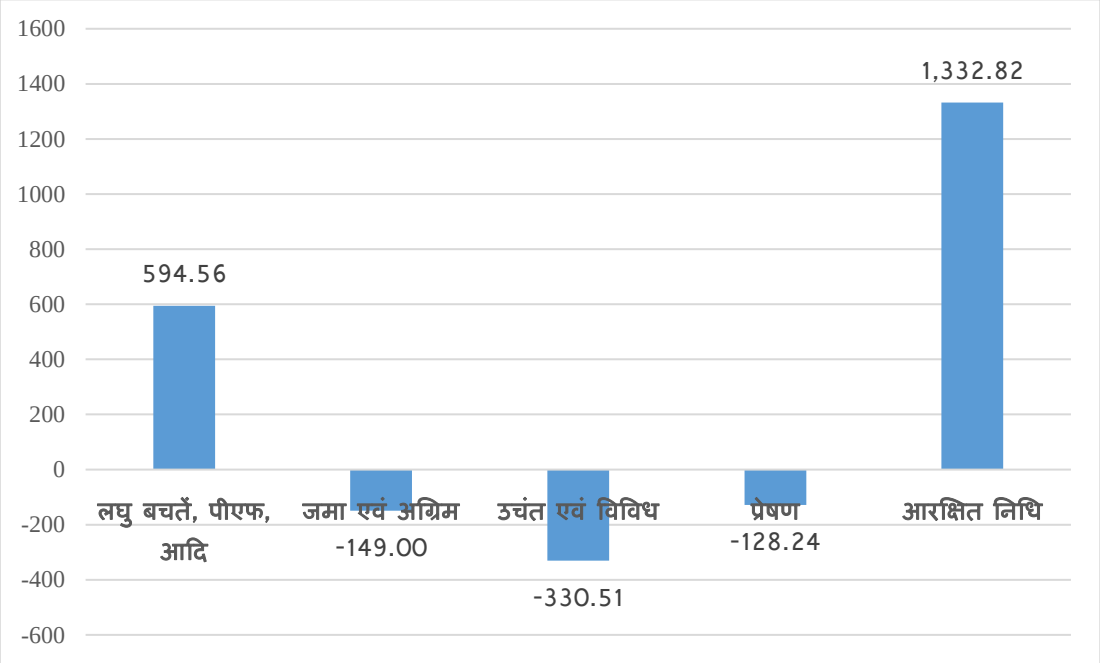

वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक लेखा के घटकों के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधियों आदि एवं प्रेषण में प्रमुख परिवर्तन हुए।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। इन निधियाँ को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान मिलता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में आरक्षित निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है। 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर इन निधियों में संचयी कुल शेष ₹920.13 करोड़ था जिसमें से ₹873.86 करोड़ (क्रेडिट) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत तथा ₹46.27 करोड़ (क्रेडिट) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत थे। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक इन निधियों में संचयी कुल शेष राशि ₹2,806 करोड़ तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की है जिसे दोनों आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना है।

तालिका 2.21: आरक्षित निधियों के अंतर्गत अंतशेष

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	2020-21	2021-22
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ		
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	16.32	109.29
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष	764.57	764.57
कुल-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	**780.89**	**873.86**
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ		
ऋण शोधन निधि	55.63	100.63
अन्य विकास और कल्याणकारी निधियाँ	-90.38	-103.72
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	20.12	37.01
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.00	4.00
अन्य निधियाँ	2.87	8.35
कुल-ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	**(-)9.76**	**46.27**
कुल- आरक्षित निधियाँ	**771.13**	**920.13**

स्रोतः वित्त लेखे

@ 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन राज्य की शेष राशि को दोनों संघ शासित क्षेत्रों (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख) के मध्य विभाजित नहीं किया गया था। इस प्रकार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का प्रारंभिक शेष शून्य के रूप में लिया गया है, जिसके कारण ऋणात्मक अंतिम शेष थे।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन कोष

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में कोई समेकित ऋण शोधन कोष अलग से नहीं बनाया गया था। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन कोष की स्थापना की। कोष के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होकर 2021-22 तक, प्रत्येक वर्ष 2010-11 की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान कर सकती है ताकि कोष में कुल जमा राशि 2010-11 बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत के बराबर हो सके। इसके अतिरिक्त, उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष वार्षिक देयताओं के संबंध में अंशदान ऐसी वार्षिक देयताओं के 0.5 प्रतिशत पर किया जाएगा जोकि योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सके। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने मौजूदा निधि को जारी रखा और वर्ष 2021-22 में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹45.00 करोड़ का अंशदान दिया। 2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार कोष में अंशदान करने के लिए आवश्यक राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक कोष के अंतर्गत ₹355.87 करोड़ की उपलब्ध शेष राशि को अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। कोष का

कुल संचय (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक - पुनर्गठन के बाद) 31 मार्च 2022 तक ₹100.63 करोड़ था।

2.5.2.2 राज्य आपदा मोचन कोष

राज्य आपदा मोचन कोष के गठन एवं प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जोकि ब्याज वहन करने वाले अनुभाग के अधीन है), केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में कोष में अंशदान करना आवश्यक है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नये संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने कोष में अंशदान जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के प्रति अनुदानों' के लिए ₹279.00 करोड़ की राशि निर्मोचित की थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अंतर्गत कोष में ₹361.23 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज ₹49.61 करोड़ और अव्ययित शेष ₹1.62 करोड़) हस्तांतरित किया। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कोष में अंशदान, व्यय और उसमें शेष निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.22: राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

अथ शेष (1 अप्रैल 2021)	केन्द्र द्वारा अंशदान	संघ शासित क्षेत्र अंश	एनडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	सेट ऑफ राशि (एमएच 2245-05)	कोष में शेष
16.32	279.00	31.00	शून्य	361.23*	268.26	109.29

**₹49.61 करोड़ ब्याज तथा ₹1.62 करोड़ अव्ययित शेष शामिल हैं।*

1 अप्रैल 2021 को कोष के अंतर्गत ₹16.32 करोड़ अथशेष था तथा वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में ₹361.23 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज ₹49.61 करोड़ और अव्ययित शेष ₹1.62 करोड़) हस्तांतरित किए तथा कोष में क्रेडिट किए गये थे। वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष-101 निशुल्क राहत के अंतर्गत ₹268.26 करोड़ व्यय किया गया, जिससे 31 मार्च 2022 तक, ₹109.29 करोड़ की राशि शेष बची । संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोष के अंतर्गत शेष राशि का निवेश नहीं किया गया है।

30 अक्टूबर 2019 तक राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत

₹1,271.48 करोड़ का सकल शेष था जिसे दो नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश को छोड़ते हुए कोष में ₹1,260.62 करोड़ के निवल अप्रभाजित शेष था।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन कोष

प्रत्याभूति मोचन कोष (जीआरएफ) पर आरबीआई दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि वर्ष की शुरूआत में कोष के गठन वाले वर्ष में राज्य सरकार के लिए बकाया प्रत्याभूतियों के कम से कम एक प्रतिशत का अंशदान और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष 0.50 प्रतिशत का अंशदान करना वांछनीय है ताकि पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के कम से कम तीन से पाँच प्रतिशत की न्यूनतम कॉर्पस राशि प्राप्त किया जा सके।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2022 तक प्रत्याभूति मोचन कोष अधिनियम नहीं बनाया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन कोष में निधि हेतु अंशदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में मात्र ₹2.00 करोड़ का अंशदान किया। 31 मार्च 2022 तक पुनर्गठन के बाद की अवधि अर्थात् 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक कोष का कुल संचय ₹चार करोड़ था (31 मार्च 2021 को ₹2.00 करोड़)। 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹20.42 करोड़ का शेष था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। ₹24.42 करोड़ की समस्त राशि [₹चार करोड़ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 तक) तथा 30 अक्टूबर 2019 तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹20.42 करोड़] का सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है।

2.5.2.4 केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिये संघ शासित क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सीआरएफ के प्रति ₹320.78 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए तथा समस्त राशि को व्यय शीर्ष-3054 के माध्यम से जमा शीर्ष-8449 में हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2022 तक कोष में ₹30.98 करोड़ का अंत शेष छोड़ते हुए, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष के दौरान कोष से ₹367.14 करोड़ का व्यय किया।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक निधि के अंतर्गत ₹573.33 करोड़ का शेष भी था, जिसे संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ

शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, वित्तपोषण की आवश्यक राशि के सृजन के क्रम में सरकार के ऋण प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो सरकार ने अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं, को स्थापित और क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है।

2.6.1 ऋण की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों इत्यादि से ऋण), केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, और लोक लेखा देयताओं से मिलकर बना होता है। बकाया ऋण के घटकों को नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.23: घटक-वार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

		2020-21	2021-22
बकाया समग्र ऋण *		14,880.48	23,390.12
लोक ऋण	***आंतरिक ऋण***	10,562.21	19,306.08
	***भारत सरकार से ऋण** *	5.64	-113.54
लोक लेखा पर देयताएं		4,312.63	4,197.58
ऑफ बजट उधारी		-	12,444.60
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		1,70,201	1,95,118
ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत)		8.74	11.99
कुल ऋण प्राप्तियाँ		**52,919.18**	**64,784.48**
कुल ऋण पुनर्भुगतान		**41,439.26**	**52,429.36**
कुल उपलब्ध ऋण		**11,479.92**	**12,355.12**
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ (*प्रतिशत*)		**78.31**	**80.93**

स्रोत:वित्त लेखे,

** वर्ष क्रमश: 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ एवं ₹3,845.49 करोड़ शामिल नहीं है।*

नोट: लोक लेखाओं पर देयताएं उचंत और विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत देयताएं छोड़कर हैं।

पुनर्भुगतान देयता के साथ समग्र बकाया ऋण ₹23,390.12 करोड़ है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल ऋण पुनर्भुगतान कुल ऋण प्राप्तियों का 80.93 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप कुल ऋण प्राप्तियों का मात्र ₹12,355.12 करोड़ (19.07 प्रतिशत) सरकार के पास उपलब्ध था। 2021-22 के दौरान, ऋण प्राप्तियों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उपलब्ध निवल ऋण में 2020-21 के संबंध में 7.06 प्रतिशत का सुधार हुआ।

ऑफ बजट उधारियों को ध्यान में रखते हुए, संघ शासित क्षेत्र के जीएसडीपी प्रतिशत का ऋण 11.99 प्रतिशत से बढ़कर 18.37 प्रतिशत हो जाएगा।

चार्ट 2.11: वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के समग्र बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

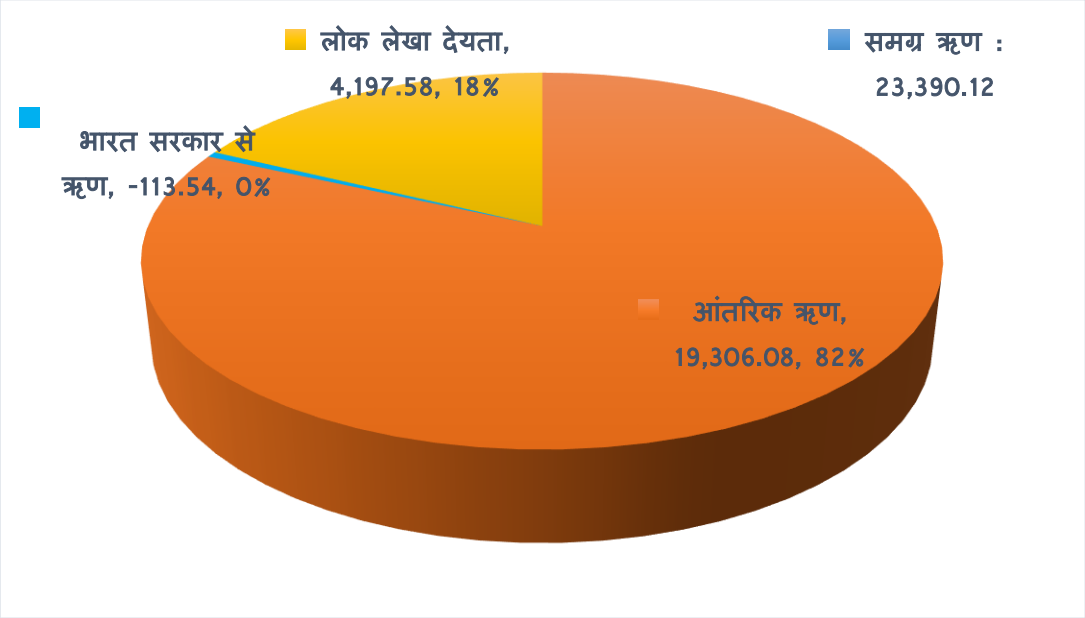

चार्ट 2.12: पुनर्भुगतान की तुलना में लिये गये आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

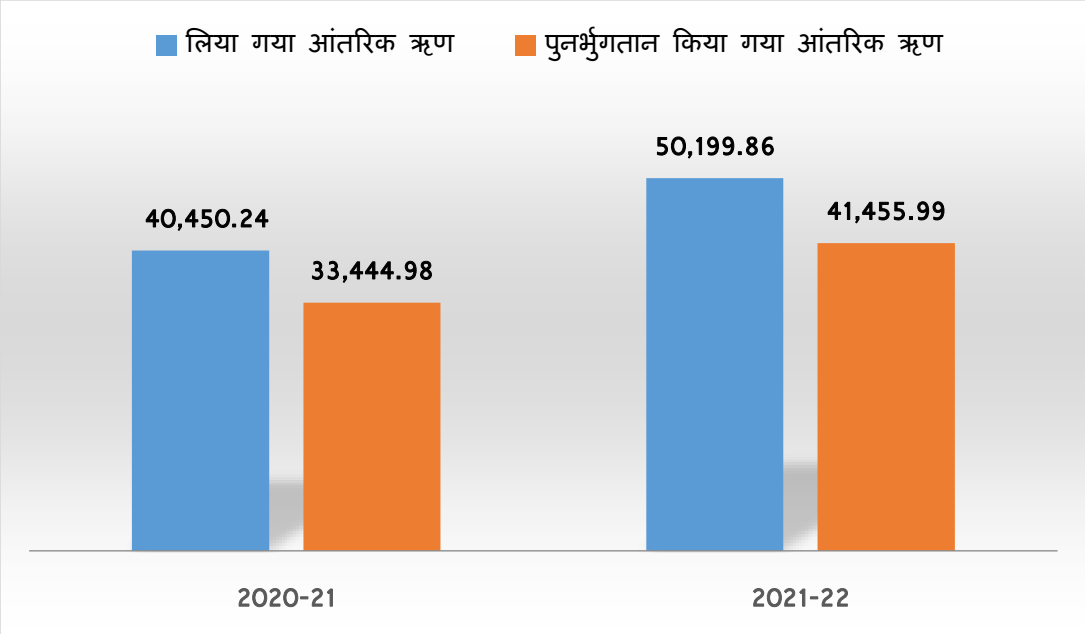

वर्ष 2021-22 के दौरान, लिये गये आंतरिक ऋण को पुनर्भुगतान किए गये आंतरिक ऋण का प्रतिशत 82.58 प्रतिशत था।

तालिका 2.24: राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		**2020-21**	**2021-22**
राजकोषीय घाटे की संरचना		10,693.36	11,150.61
1	राजस्व घाटा	-138.27	-30.83
2	निवल पूँजीगत व्यय	-10,470.38	-11,047.04
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-59.71	-72.74
4	आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग	-25.00	0
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान			
1	बाजार से उधारियाँ	7,508.66	4,088.00
2	भारत सरकार से ऋण*	2,164.35	3,726.31
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-348.65	4,651.36
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	-154.75	4.52
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	1,144.17	-594.55
6	जमाएं और अग्रिम	581.96	330.52
7	उचंत और विविध	-82.34	128.23
8	प्रेषण	-763.81	-1,332.81
9	आरक्षित निधि	584.18	148.99
10	आकस्मिकता निधि	25.00	0
11	**कुल घाटा**	**10,658.77**	**11,150.57**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	34.59	0.04
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**10,693.36**	**11,150.61**

स्रोतः वित्त लेखे

** वर्ष क्रमशः 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ एवं ₹3,845.49 शामिल है।*

वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹11,150.61 करोड़ है। एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां, बाजार उधारियाँ तथा भारत सरकार से उधारियाँ राजकोषीय घाटे को पूरा करने के प्रमुख स्रोत थे। लघु बचत, पीएफ आदि ने 2020-21 में राजकोषीय घाटे को पूरा करने में योगदान दिया, परंतु इस वर्ष सरकार को लघु बचत, पीएफ आदि के भुगतान के लिए धन की व्यवस्था करनी पड़ी।

तालिका 2.25: राजकोषीय घाटा वित्तपोषण (2021-22) घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधारियाँ	44,665.03	40,577.03	4,088.00
2	भारत सरकार से ऋण*	3,845.49	119.18	3,726.31
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,000.00	348.64	4,651.36
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	534.83	530.31	4.52
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	6,023.99	6,618.54	-594.55
6	जमाएं और अग्रिम	4,282.24	3,951.72	330.52
7	उचंत और विविध	16,438.34	16,310.11	128.23
8	प्रेषण	46.01	1,378.82	-1,332.81
9	आरक्षित निधि	432.89	283.90	148.99
10	आकस्मिकता निधि	0	0	0
11	**समग्र घाटा**	**81,268.82**	**70,118.25**	**11,150.57**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	1,447.69	1,447.65	0.04
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**82,716.51**	**71,565.90**	**11,150.61**

स्रोत: वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹3,845.49 करोड़ शामिल है।*

2.7 ऋण विश्लेषण

बकाया लोक ऋण की स्थिति और अन्य राजकोषीय समग्रों के साथ इसकी तुलना नीचे दर्शाया गई है:

तालिका 2.26: बकाया लोक ऋण की स्थिति

ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण* (₹करोड़ में)	10,567.85	19,192.54
जीएसडीपी (₹करोड़ में)	1,70,201	1,95,118
जीएसडीपी की वृद्धि दर	3.70	14.64
लोक ऋण/ जीएसडीपी	6.21	9.84
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर@ (प्रतिशत) (ब्याज भुगतान/ लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/ 2)	7.82	7.94
राजस्व प्राप्ति में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	8.16	8.78
लोक ऋण प्राप्ति में लोक ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	78.54	76.93
संघ शासित क्षेत्र के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण# (₹करोड़ में)	4,887.23	7,267.25

लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल लोक ऋण	11.44	13.45

स्रोत: वित्त लेखे

**6003–आंतरिक ऋण और 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का योग बकाया लोक ऋण है। वर्ष क्रमश: 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले व्यय विभाग, भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ एवं ₹3,845.49 करोड़ शामिल नहीं है। बैंक-टू-बैंक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।*

@ जीएसडीपी के लिए लोक ऋण (तत्कालीन राज्य का बकाया लोक ऋण ₹46,666.22 करोड़ शामिल है)।

 # संघ शासित क्षेत्र सरकार के पास उपलब्ध निवल ऋण की लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण के ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में गणना की गई है।

ऋण स्थिरता के कुछ संकेतक निम्नानुसार हैं:

क) वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध निवल लोक ऋण ₹4,887.23 करोड़ से बढ़कर ₹7,267.25 करोड़ हो गया तथा उपलब्ध निवल लोक ऋण 2020-21 में 11.44 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 13.45 प्रतिशत हो गया।

ख) लोक ऋण पुनर्भुगतान/ लोक ऋण प्राप्तियाँ: लोक ऋण पुनर्भुगतान से लोक ऋण प्राप्ति का अनुपात वर्ष 2020-21 में 78.54 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 76.93 प्रतिशत हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान के बाद सरकार के पास लोक ऋण प्राप्ति का 23.07 प्रतिशत उपलब्ध था।

ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2020-21 में 8.16 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान 8.78 प्रतिशत हो गई।

घ) तत्कालीन राज्य का ₹46,666.22 करोड़ रुपये का लोक ऋण बकाया है, जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के बीच प्रभाजित किया जाना है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों की उपयोगिता

उधार ली गई निधियों का आदर्शत: पूँजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत और बकाया ऋणों पर ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना संधारणीय नहीं है।

तालिका 2.27: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान उधार ली गई निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**1**	**2020-21**	**2021-22**
कुल उधार*	**2**	42,732.93	54,045.35
पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	**3**	33,563.32 (78.54)	41,575.17 (76.93)
पूँजीगत व्यय के लिए शेष उधारियाँ (प्रतिशतता)	**4**	9,169.61 (21.46)	11,047.04 (20.44)
ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु उधारी का शेष (प्रतिशतता)	**5**	अनुपलब्ध	72.74 (0.13)

वर्ष	1	2020-21	2021-22
निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)	**6=2-3-4-5**	अनुपलब्ध	1,350.40 (2.50)

स्रोत: वित्त लेखे

** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹2,099.80 करोड़ एवं ₹3,845.49 करोड़ शामिल हैं।*

वर्ष 2021-22 के दौरान, 76.93 प्रतिशत की उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व में लिये गये ऋणों/ उधार निधियों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, परिणामस्वरूप विकास कार्यों के लिए मात्र 23.07 प्रतिशत उधार ली गई निधियों की उपलब्धता रही। इसमें से 20.57 प्रतिशत का उपयोग पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम के संवितरण के लिए किया गया था और ₹1,350.40 करोड़ (2.50 प्रतिशत) की राशि राजस्व प्रकृति के व्यय पर की गई थी ।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएं

वर्ष 2021-22 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022) के अंत तक संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा गारंटीकृत पुनर्गठन के बाद संचयी राशि ₹12,328.80 करोड़ (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मिलान के अधीन) है। इसके अतिरिक्त, ₹452.65 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ [प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त संशोधित आंकड़ें] तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठन पूर्व 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति) द्वारा दी गई जिसे अभी तक जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम वार्षिक वार्धिक जोखिम प्रत्याभूतियों की राशि को वर्तमान वर्ष से पहले के वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या चालू वर्ष से पहले के वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान संघ शासित क्षेत्र की बकाया प्रत्याभूति, ₹12,765 करोड़ और ₹39,372 करोड़ की इन दोनों सीमाओं के भीतर थी।

2.7.3 नकद शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष राशि बनाये रखना पड़ता है। यदि शेष किसी भी दिन निर्धारित न्यूनतम शेष से कम रहता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम एसडब्ल्यूएमए/ ओवेरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को ठीक किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा समय-समय पर आरबीआई द्वारा परिशोधित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवेरड्राफ्ट का सहारा लिए बिना 62 दिनों तक ₹1.14 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाये रखा और 125 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया तथा 178 दिनों तक इसे आरबीआई से ओवरड्राफ्ट का भी लाभ उठाना पड़ा। 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक शेष ₹499.54 करोड़ सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत था।

30 अक्टूबर 2019 तक समान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹692.11 करोड़ का शेष भी था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

संघ शासित क्षेत्र सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु तथा दीर्घकालिक भारत सरकार प्रत्याभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा करना होता है। नकद शेष और उनके निवेश की स्थिति निम्नानुसार हैः

तालिका 2.28: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को अथशेष	**31 मार्च 2022 को अंतशेष**
क. सामान्य नकद शेष		
कोषागारों में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाएं	1,447.69	1,447.65
जेएण्डके बैंक और अन्य बैंकों के साथ जमाएं	0.00	0.00
पारगमन – स्थानीय में प्रेषण	0.00	0.00
कुल	**1,447.69**	**1,447.65**
नकद शेष निवेश लेखा में रोके गये निवेश	0.00	0.00
कुल (क)	**1,447.69**	**1,447.65**
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	0.00	0.00
विभाग अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0.00	0.00
चिह्नित निधियों में निवेश	0.00	0.00
कुल (ख)	**0.00**	**0.00**
कुल (क+ख)	**1,447.69**	**1,447.65**
वसूल किया गया ब्याज	**0.11**	**शून्य**

स्रोत:वित्त लेखे

प्रधान महालेखाकार के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2022 को नकद शेष ₹1,447.65 करोड़ (डेबिट) था और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई[1]) द्वारा रिपोर्ट किया गया ₹1,445.73 करोड़ (क्रेडिट) था। ₹1.92 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा आरबीआई/ एजेंसी बैंक के साथ मिलान नहीं करने के कारण था। अंतर समाधानाधीन है।

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नकद शेष लेखा में कोई राशि नहीं रोकी गई थी। नकद शेष निवेश लेखाओं के अंतर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर नकद शेष निवेश लेखा में ₹383.92 करोड़ की राशि रोकी गई थी, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2021-22 के दौरान नकद शेष निवेश पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया।

चार्ट 2.13: वर्ष के दौरान माहवार नकद शेषों की गतिशीलता और निवल नकद शेष निवेश

(₹ करोड़ में)

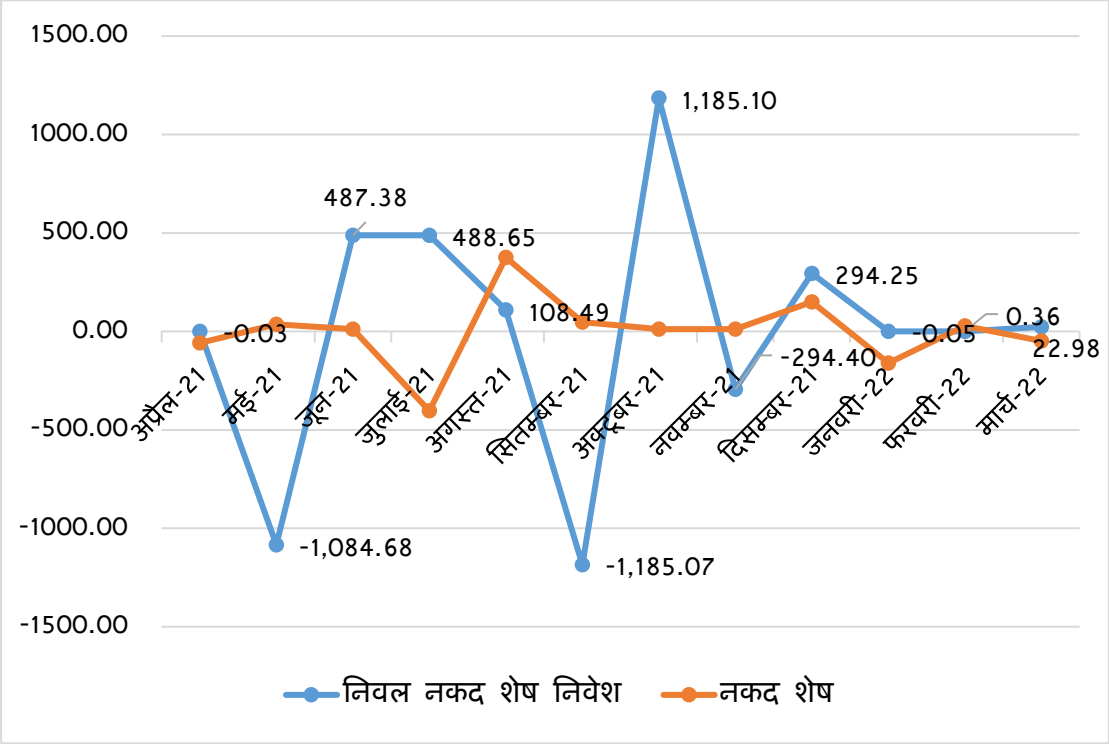

स्रोत:वित्त लेखे

[1] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र लद्दाख से संबंधित लेन-देन को छोड़कर, जिसके दौरान दोनों संघ शासित क्षेत्र (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख) के संबंध में आरबीआई द्वारा एक ही खाता रखा गया था।)

2.8 निष्कर्ष

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 84.20 प्रतिशत था।
- ₹11,047.04 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय कुल व्यय का 15.69 प्रतिशत था ।
- 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का का बकाया लोक ऋण ₹19,192.54 करोड़ था तथा 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर ₹46,666.22 करोड़ की राशि भी है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना है।
- 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास ₹168.25 करोड़ के संवितरित बकाया ऋण थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तत्कालीन राज्य पर 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक संवितरित ₹1,740.43 करोड़ की राशि के बकाया ऋण थे जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आरक्षित निधियों के अंतर्गत ₹920.13 करोड़ का शेष था। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक ₹2,806 करोड़ की राशि आरक्षित निधियों के अंतर्गत भी शेष थी जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना है।

2.9 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपने प्रतिबद्ध व्यय को न्यूनतम करने के लिए उपाय खोजने चाहिए, जिससे विकास व्यय हेतु अधिक निधियाँ उपलब्ध कराई जा सकें।
2. चूँकि सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली खराब रही है, सरकार को ऋण एवं अग्रिमों को अनुदानों के रूप में मानने तथा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे सही स्थिति प्रतिबिम्बित करते हैं।

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रकिया

बजट बनाने की वार्षिक गतिविधि से तात्पर्य सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु रोडमैप को विस्तृत करने का एक साधन से है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 43 और 44 के अंतर्गत विनियोग लेखे विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचित परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और *प्रभारित* विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय, दत्तमत और *प्रभारित* व्यय के लेखे हैं।

इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुवीक्षण को सुगम बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखे के पूरक हैं। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 6** में दी गई है। बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है।

चार्ट 3.1: बजट प्रकिया

सीएसएस: केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, सीएस: केन्द्रीय योजनाएं

31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के निर्माण के पश्चात, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र राजपत्र अधिसूचना एस.ओ, 3937 (ई), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अधीन है। जम्मू-कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। बजट 2021-22 के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक

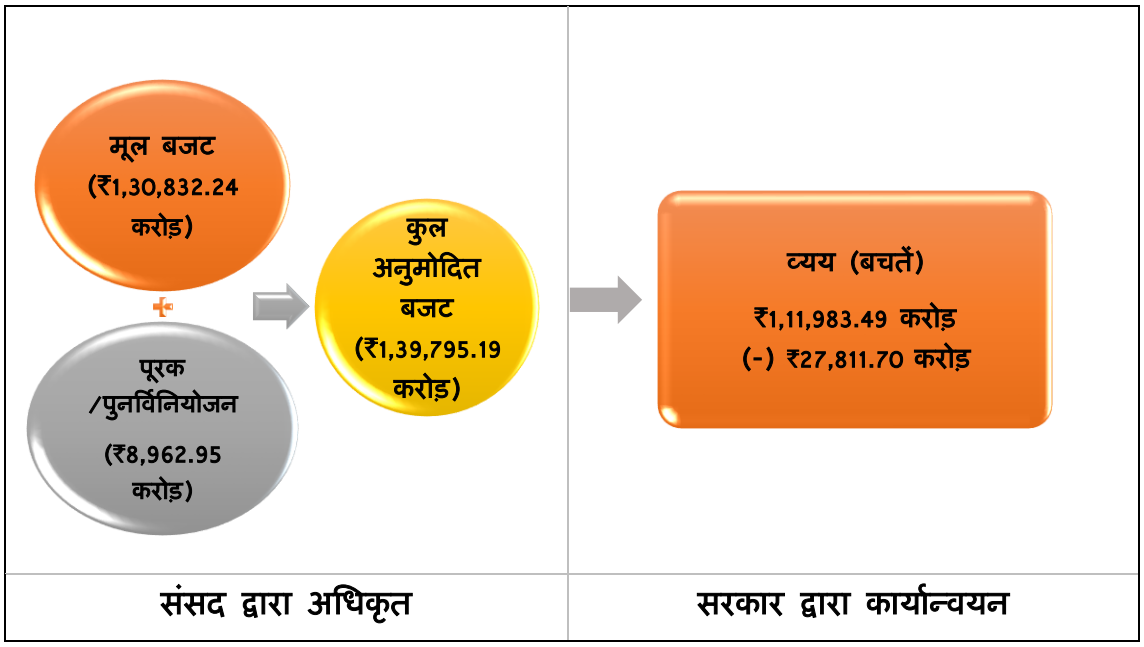

स्रोत: बजट नियमपुस्तिका और विनियोग लेखाओं में वर्णित प्रक्रिया पर आधारित

3.1.1 वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों और बचतों का सार

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/ आधिक्य को, आगे इनके दत्तमत/*प्रभारित* द्विभाजन सहित एक सारांशीकृत स्थिति में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/ आधिक्य (+)	
दत्तमत	*प्रभारित*	दत्तमत	*प्रभारित*	दत्तमत	*प्रभारित*
91,172.23	48,622.96	62,966.45	49,017.04	(-)28,205.78	(+)394.08

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान, दत्तमत अनुभाग में ₹28,205.78 करोड़ (31 प्रतिशत) की बचत देखी गई, जबकि *प्रभारित* अनुभाग में ₹394.08 करोड़ (एक प्रतिशत) के उपगत का आधिक्य व्यय किया गया, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

3.1.2 प्रभारित और दत्तमत संवितरण

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान *प्रभारित* और दत्तमत में कुल संवितरण का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2020-21 से 2021-22 के दौरान संवितरण और बचत/ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत(-)/ आधिक्य (+)	
	दत्तमत	*प्रभारित*	दत्तमत	*प्रभारित*
2020-21	56,782.00	40,004.29	(-)43,472.92	(+)6,663.48
2021-22	62,966.45	49,017.04	(-)28,205.78	(+)394.08

स्रोत: विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, दत्तमत अनुभाग में वर्ष 2020-21 में बचतें ₹43,472.92 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹28,205.78 करोड़ हो गई । इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 में ₹6,663.48 करोड़ से आधिक्य घटकर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹394.08 करोड़ हो गया।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह अभिनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तविक रूप से किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और प्रावधानों के अंतर्गत *प्रभारित* किया जाने वाला अपेक्षित व्यय, उतना ही *प्रभारित* किया गया है। इससे यह भी अभिनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और अनुदेशों के अनुरूप है या नहीं।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

3.3.1 विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुरूप विनियोग के अंतर्गत विधि द्वारा पारित किये जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 33 योजनाओं/उप शीर्षों के अंतर्गत 10 अनुदानों **(परिशिष्ट 3.1)** में ₹21,646.17 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.3.2 पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण या विलोमतः

राजस्व प्रकृति वाले व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विलोमतः वर्गीकरण का परिणाम राजस्व व्यय और राजस्व घाटे/ अधिशेष के अधिक आंकलन/ कम आंकलन के रूप में होता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व व्यय के ₹158.76 करोड़ की राशि, जैसा नीचे विवरण दिया गया है, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय का अधिक आंकलन और राजस्व व्यय का कम आंकलन किया गया तथा ₹158.76 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटा हुआ। इसमें राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य औषधि नियामक प्रणाली को मजबूत करने, आयुष के कार्यान्वयन और रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण योजनाओं के अंतर्गत ₹63.60 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पुराने बेड़े का प्रतिस्थापन, मृदा सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन की योजनाओं के लिए ₹95.16 करोड़ की सब्सिडी राशि का गलत वर्गीकरण किया गया था।

तालिका 3.3: पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व प्रकृति वाले व्यय का वर्गीकरण

क्र.सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1	4210, 4515 एवं 4401	पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	63.60
2	4401, 4402 एवं 5055	पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज की गई सब्सिडी	95.16
		कुल	**158.76**

स्रोतः वित्त लेखा 2021-22

3.3.3 अनावश्यक या अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम द्वारा किये गये प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये जा सकते हैं।

वर्ष के दौरान ₹50 लाख या उससे अधिक के प्रत्येक मामले को शामिल करते हुए 22 मामलों में प्राप्त कुल ₹3,919.78 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित है। दूसरी ओर, अनुदान 08-वित्त विभाग, में ₹16,057.92 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं **(चार्ट 3.3)** था।

चार्ट 3.3: अनावश्यक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

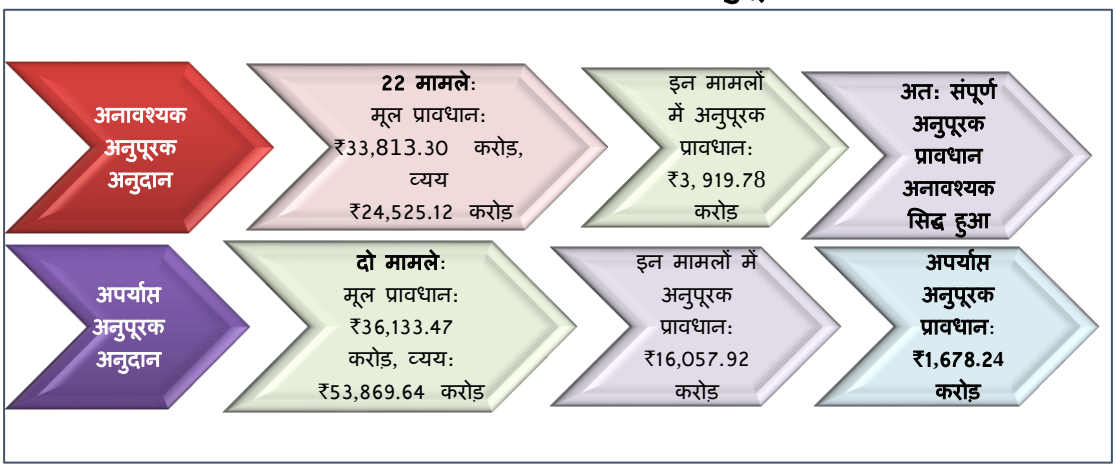

स्रोत: विनियोग लेखे

सरकार वृहत् बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए यथार्थवादी बजट प्राक्कलनों को तैयार करने पर विचार करे।

3.4 अधिक बचतें

जम्मू एवं कश्मीर बजट नियम पुस्तिका के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को जब भी होने वाली बचतों का पूर्वानुमान हो तो, अनुदानों/ विनियोगों या उसका अंश वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। 35 अनुदानों में से, अनुदान संख्या 8 - वित्त विभाग को छोड़कर, शेष 34 अनुदानों में बचतें थी। इन 34 अनुदानों में से, 31 मार्च 2022 तक 33 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹10 करोड़ और उससे अधिक की बचतें हुई थी। 26 अनुदानों के मामले में, ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गई थी। जिसमें बचतों की प्रतिशता 14 प्रतिशत और 86 प्रतिशत के बीच रही थी। हालांकि, संबंधित विभागों द्वारा बचतों के पूर्वानुमान में कोई अभ्यर्पण नहीं किया गया था। इन मामलों में बचतें ₹28,504.50 करोड़ थी। प्रासंगिक विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाए गए हैं। उपर्युक्त बचतों में पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विभागों द्वारा ₹18,723.63 करोड़ की राशि के 22 अनुदानों में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की वृहत् बचतें भी शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचतें अनुदान के कुल विनियोग के 42 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के बीच रही। पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचतें यह इंगित करती हैं कि सरकार विकासात्मक गतिविधियों/ परिसंपत्तियों के सृजन के लिए चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी।

3.4.1 प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधान की उपयोगिता का प्रतिशत

अनुदानों के उपयोग की लेखापरीक्षा परीक्षण आठ अनुदानों में ₹6,906.93 करोड़ की राशि की 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, 18 अनुदानों में ₹11,581.58 करोड़ की राशि की 30 से 50 प्रतिशत, सात अनुदानों में ₹10,180.36 करोड़ की 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत और

एक अनुदान में ₹286.67 करोड़ की राशि की 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत की तक की बचतों को दर्शाता है। शेष एक अनुदान (अनुदान संख्या 08-वित्त विभाग) में दो प्रतिशत की अधिक उपयोगिता रही जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विवरण दिया गया है। इन विभागों द्वारा बचतें (कम उपयोग) सरकार द्वारा योजनाओं/ निर्माण कार्यों की गैर-प्राथमिकता का सूचक है या संबंधित विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में अकुशलता दर्शाता है। इस अवधि के दौरान विभागों द्वारा बजट प्रावधानों से अनुदानों का अधिक उपयोग व्यय आधिक्य किये जाने को इंगित करता है जिसे विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

कुछ ऐसे विभाग थे जिनमें संबंधित अनुदानों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी उनमें ग्रामीण विकास विभाग (₹3,196.11 करोड़, 64 प्रतिशत), आवास एवं शहरी विकास विभाग (₹2,382.21 करोड़, 63 प्रतिशत), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (₹2,063.12 करोड़, 53 प्रतिशत) और योजना विभाग (₹1,238.81 करोड़, 68 प्रतिशत) थे, जो इंगित करता है कि सरकार नियोजित प्रयोजनों हेतु चिह्नित निधियों का उपयोग नहीं कर सकी।

चार्ट 3.4: बचतों की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या का वितरण

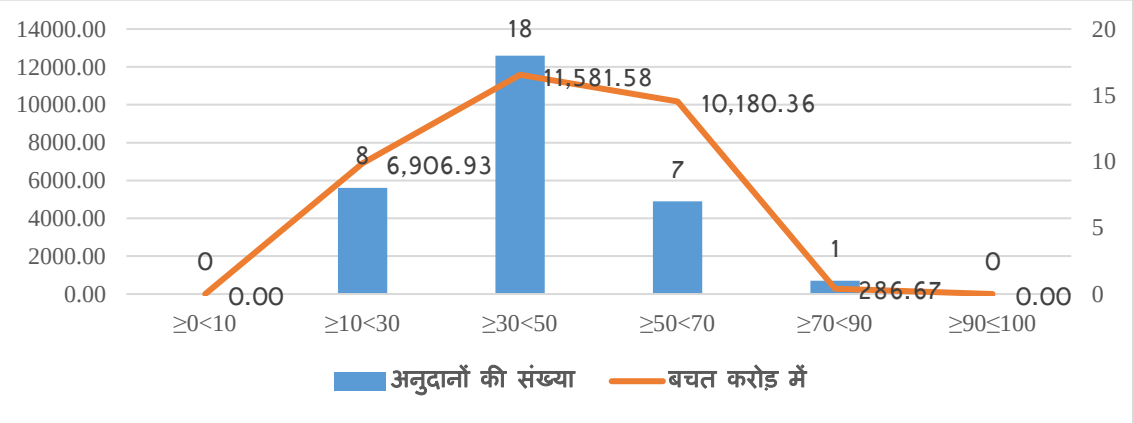

3.5 शून्य व्यय के साथ अनुदान

123 योजनाओं को शामिल करते हुए 28 अनुदानों के अंतर्गत ₹5,092.25 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, आवास और शहरी विकास, विद्युत विकास और योजना विभाग के तहत विकासात्मक योजनाएं शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान अनुपयोगी रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विवरण दिया गया है। प्रावधान को उन योजनाओं/ कार्यों में पुनर्प्रभाजित किया जा सकता था जहाँ प्रावधान पर आधिक्य व्यय था।

3.5.1 प्रावधानों पर आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार, विनियोग के अंतर्गत इस धारा के प्रावधानों सहित विधि द्वारा पारित किए जाने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा ₹13,019.16 करोड़ की राशि का कुल आधिक्य व्यय किया गया था जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में राजस्व दत्तमत, राजस्व *प्रभारित* एवं पूँजीगत *प्रभारित* अनुभाग और अनुदान संख्या 16-लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ₹2,049.26 करोड़ की राशि का आधिक्य व्यय किया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में वर्णित है। अतिरिक्त व्यय विस्तारित अवधि के लिए अनियमित रहने से बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली कमजोर होती है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है।

3.5.2 एक अनुदान में सतत आधिक्य

वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान सतत आधिक्य व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 3.4: वर्ष 2020-21 और 2021-22 तक की अवधि के दौरान एक अनुदान में देखे गए आधिक्य व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/ विनियोग का विवरण	**2020-21**	**2021-22**
अनुदान संख्या 08- वित्त विभाग		
पूँजीगत *प्रभारित*		
कुल अनुदान	26,469.03	41,420.20
व्यय	33,563.32	41,575.17
आधिक्य	7,094.29	154.97
राजस्व *प्रभारित*		
कुल अनुदान	0.00	7,093.67
व्यय	0.00	7,360.31
आधिक्य	0.00	266.64
राजस्व दत्तमत		
कुल अनुदान	0.00	10,771.20
व्यय	0.00	12,294.47
आधिक्य	0.00	1,523.28
कुल	**7,094.29**	**1,944.89**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

अनुदान संख्या 08-वित्त विभाग में सतत आधिक्य देखी गई, जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व दत्तमत अनुभाग में मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत और वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत *प्रभारित* अनुभाग में मुख्य शीर्ष 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत आधिक्य मुख्य था। यह इस तथ्य का द्योतक है कि यथोचित बजट प्रयोग नहीं किया जा रहा है जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार के बजट मैनुअल के पैराग्राफ 6.2.4 के अंतर्गत आवश्यक था।

3.5.3 तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण

चूंकि लोक लेखा समिति में वर्ष 1980-81 के आगे विनियोग लेखाओं पर चर्चा नहीं की गई थी तथा वर्ष 1980-81 से 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) के लिए पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुल ₹1,24,004.41 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में वर्णित है, इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए शेष अनियमित आधिक्य व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.6 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या अंशदानों की प्रकृति में भुगतान है। परिसंपत्तियों के निर्माण सहित किसी संस्थान को सहायता देने के विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

आईजीएएस 2 के अनुसार, ऐसे मामलों, जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, के अतिरिक्त अनुदानकर्त्ता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखाबद्ध किया जाएगा, चाहे वह उद्देश्य कुछ भी हो जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई धनराशि को अनुदानग्राही द्वारा खर्च किया जाना है, सिवाय ऐसे मामलों में जहां इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। यह देखा गया है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान को कभी-कभी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे राजस्व घाटे को कम करके आंका जाता है। यह देखा गया कि 2020-21 से 2021-22 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में जीआईए की बुकिंग हुई जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: पूँजीगत व्यय के रूप में जीआईए के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

मद	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया जीआईए	61.59	63.60
कुल पूंजीगत व्यय	10,470.38	11,047.04
पूंजीगत व्यय में जीआईए का अंश (प्रतिशत में)	0.59	0.58
राजस्व घाटा (-) / राजस्व अधिशेष (+)	(-)138.27	(-)30.83
राजस्व घाटा (-) / राजस्व अधिशेष (+), यदि जीआईए से व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाए।	(-)199.86	(-)94.43

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (एनटीए)

संघ शासित क्षेत्र सरकार ने 2020-21 से 2021-22 की अवधि में पूंजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान दर्ज करना जारी रखा है। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹61.59 करोड़ और ₹63.60 करोड़ के राजस्व घाटे को कम बताया गया है।

3.7 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावकारिता पर टिप्पणियाँ

3.7.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय का कुल प्रावधान ₹1,39,795.19 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹1,11,983.49 करोड़ (80 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 की अवधि दौरान ₹27,811.70 करोड़ की बचत हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान 35 अनुदानों/ विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.6: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च 2022 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	61,009.64	-975.5	60,034.14	51,827.46	-8,206.68	शून्य	शून्य
	II. पूँजीगत	35,654.32	-4,631.12	31,023.20	11,065.23	-19,957.97	शून्य	शून्य
	III. ऋण एवं अग्रिम	108.90#	6.00	114.90	73.77*	-41.13	शून्य	शून्य
	कुल	**96,772.86**	**-5,600.62**	**91,172.24**	**62,966.46**	**-28,205.78**	**शून्य**	**शून्य**

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-) आधिक्य (+)	मार्च 2022 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
प्रभारित	IV. राजस्व	7,794.16	-591.41	7,202.76	7,441.87	239.11	शून्य	शून्य
	V. पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य	शून्य
	VI. लोक ऋण-पुनर्भुगतान	26,265.22	15,154.98	41,420.20	41,575.17	154.97	शून्य	शून्य
	कुल	**34,059.38**	**14,563.57**	**48,622.96**	**49,017.04**	**394.08**	**शून्य**	**शून्य**
आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	शून्य
	कुल योग	**1,30,832.24**	**8,962.95**	**1,39,795.19**	**1,11,983.49**	**-27,811.70**	**शून्य**	**शून्य**

स्रोतः विनियोग लेखे

 # वार्षिक वित्तीय विवरण -2021-22 (विवरण-V)

**वित्त लेखे खण्ड-I (विवरण-7)*

अनुदानों में बचतें आधिक्य बजटिंग का संकेत है जो जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमावली के नियम 6.2.4 के अनुसार, व्यय में अधिकता के समान ही एक वित्तीय अनियमितता है। इसके अलावा, अवधि के दौरान कुछ विभागों में अत्यधिक बचतें अन्य विभागों के निधियों से वंचित होने का संकेत है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं और निधियों (बचतों) का गैर-अभ्यर्पण जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमपुस्तिका के अनुदेशों का उल्लंघन है।

3.7.2 व्यय की बहुलता

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62 (3) में उपबंधित है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की बहुलता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2022 में 17 अनुदानों के अंतर्गत 25 प्रमुख शीर्षों के संबंध में किया गया था और व्यय का प्रतिशत 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में वर्णित है।

व्यय की मासिक गति एक समान नहीं थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में 25 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत उपगत का 83 प्रतिशत व्यय किया गया था।

3.8 चयनित अनुदानों की समीक्षा

35 अनुदानों में से नमूना जाँच किए गए दो अनुदानों (अनुदान संख्या 35: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) और (अनुदान संख्या 30: जनजातीय कार्य विभाग) की बजटीय प्रक्रिया

और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित कंडिकाओं में दिए गए हैं।

3.8.1 अनुदान संख्या 35: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान के अंतर्गत ₹121.76 करोड़ के कुल आबंटन के विरुद्ध, दर्ज किया गया कुल व्यय केवल ₹62.45 करोड़ है। वर्ष के दौरान ₹59.31 करोड़ (49 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही जो विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान अवास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार करने को इंगित करता है। राजस्व दत्तमत में ₹4.36 करोड़ और पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹54.95 करोड़ की बचत देखी गई। ₹59.31 करोड़ के बचत का कोई अंश प्रत्याशित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। प्रमुख शीर्ष/अनुभाग-वार ब्योरा नीचे दिया गया है।

तालिका 3.7: राजस्व और पूंजीगत वर्गों के अंतर्गत बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व/ पूंजीगत	मुख्य शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल	दर्ज किया गया व्यय	बचत (-) (प्रतिशत)
1	**राजस्व (दत्तमत)**	3435	19.01	-3.15	15.85	11.49	-4.36(28)
2	**पूंजीगत (दत्तमत)**	5425	105.91	0.00	105.91	50.96	-54.95(52)
	कुल		**124.92**	**-3.15**	**121.76**	**62.45**	**-59.31(49)**

स्रोत: विनियोग लेखे

3.8.1.1 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्ष 3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत "विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु सहायक निदेशक परिषद" (उप शीर्ष-2172) योजना के वेतन घटक के अंतर्गत मूल अनुदान के रूप में ₹3.81 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनर्विनियोग के अंतर्गत ₹75.99 लाख की निकासी इस तथ्य के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई कि वेतन घटक के अंतर्गत ₹43.10 लाख का आधिक्य व्यय किया गया है।

3.8.1.2 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

बजटीय आबंटन यथार्थवादी प्रस्तावों, अच्छे व्यय अनुवीक्षण तंत्र; मजबूत योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण से लाभार्थियों को अभिप्रेत हितलाभ प्राप्त हेतु योजनाओं पर निधियों का इष्टतम उपयोग, पर आधारित होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित योजना में बचत हुई थी जहाँ ₹50.00 हजार और उससे अधिक का अनुपूरक अनुदान विभाग को उपबंध किया गया था।

तालिका 3.8: अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष का संदर्भ	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतें का प्रतिशत
राजस्व दत्तमत							
3435	**एसएच-2172**						
	002-यात्रा व्यय	8.50	0.50	9.00	2.00	7.00	78
	009-किराया, दरें और कर	7.36	30.48	37.84	6.81	31.03	82
	103-कार्यालय उपकरण एवं साधित्र	5.00	0.50	5.50	3.54	1.96	36
	एसएच -2173						
	002- यात्रा व्यय	17.00	3.00	20.00	7.08	12.92	65
	006- दूरभाष	3.00	1.00	4.00	1.26	2.74	69
	007- कार्यालय व्यय	10.00	2.00	12.00	9.59	2.41	20
	008- इलेक्ट्रिक चार्ज	1.50	2.50	4.00	0.51	3.49	87
	009- किराया, दरें और कर	13.00	1.00	14.00	7.90	6.10	44
	014- पीओएल	10.00	1.00	11.00	7.69	3.31	30
	037- व्यवसायी और विशेष सेवा शुल्क	2.00	3.00	5.00	0.56	04.44	89
	071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.00	1.00	4.00	0.97	3.03	76

कई बार, विभाग अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए विधायिका/ संसद को वृहत अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना देते हैं; अंततः वे मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिससे बड़ी बचत होती है। कतिपय उपशीर्षों के अंतर्गत भारी मात्रा में प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना कोई कारण बताए बचतें की गई जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है। ये बचतें अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में बहुत अधिक थीं, जो अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय अनुवीक्षण तंत्र, कमजोर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर बजटीय आबंटन का परिचायक थीं।

3.8.1.3 राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय (बचत)

(i) राजस्व अनुभाग

योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी (जेएकेईडीए) राजस्व अनुभाग के तहत उप-शीर्ष-2173 के तहत ₹12.07 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध, ₹7.68 करोड़ की राशि व्यय की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.39 करोड़ की बचत हुई है, जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन घटक के अंतर्गत ₹3.86 करोड़ की बचत शामिल है।

प्रत्युत्तर में, विभाग ने बचत का कारण उन तीन अधिकारियों के वेतन का आहरण नहीं करना बताया, जिन्हें उनके मूल विभागों में संप्रत्यावर्तित किया गया था और रिक्त पदों को नहीं भरा गया था, जिसके विरुद्ध बजट में वेतन के लिए निधि का अनुमान लगाया गया था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि विभाग को रिक्त पदों को न भरने के विषय में अवगत होने के बावजूद जिसके लिए बजट में अनुमान रखा गया था; बचत को प्रत्याशित और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले अभ्यर्पित किया जा सकता था।

(ii) पूंजीगत अनुभाग

पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय (बचत) इस प्रकार है:

तालिका 3.9: प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय (बचत)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आंवटन	व्यय	कम व्यय/ बचतें
1	5425	-	800	0011	0868	7.91	5.94	1.97
2	5425	-	800	0011	1700	98.00	45.02	52.98
कुल						**105.91**	**50.96**	**54.95**

वैज्ञानिक सेवा एवं अनुसंधान योजना (एसएच-0868) के अंतर्गत ₹7.91 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध, कार्य घटक में ₹5.94 करोड़ की राशि व्यय की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1.97 करोड़ की बचत हुई है। इसी प्रकार, कार्य घटक में ऊर्जा के नवीन नवीकरणीय स्रोत (एसएच-1700) योजना के अंतर्गत ₹98.00 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध, ₹45.02 करोड़ की राशि व्यय की गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹52.98 करोड़ की बचत हुई है। बचतें प्रत्याशित और अभ्यर्पित नहीं थीं।

प्रत्युत्तर में, विभाग ने बचत हेतु, कार्यों के पूरा न होने, निधियों के विलंब से वापसी, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत न करने के अतिरिक्त, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने, भूमि के विलम्ब से अधिग्रहण और निधियों को जारी न करने के

लिए उत्तरदायी ठहराया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों की प्रगति एवं निष्पादन की समीक्षा और अनुवीक्षण हेतु विभाग में कोई प्रभावी अनुवीक्षण तंत्र मौजूद नहीं है, ताकि वर्ष के दौरान समय पर प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित की जा सके।

3.8.1.4 लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/ अन्य व्यय केवल तभी संचालित करने का अभिप्रेत है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन हेतु लघु शीर्ष-800 का नियमित संचालन, राजस्व या व्यय के उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना लेखाओं को अपारदर्शी रूपांतरित कर देता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा ने लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की बुकिंग की निम्न स्थिति देखी।

तालिका 3.10: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	**2021-22 के दौरान अनुदान की कुल राशि**	**लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत कुल व्यय**	**लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय का प्रतिशत**
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	15.85	11.49	72
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	105.91	50.96	48
कुल	**121.76**	**62.45**	**51**

यह देखा गया है कि राजस्व और पूंजीगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹121.76 करोड़ की राशि का संपूर्ण बजट लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत उपबंध किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत लेखा शीर्ष में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत अनुदान की कुल राशि में से ₹62.45 करोड़ (51 प्रतिशत) के व्यय की संपूर्ण राशि को दर्ज किया गया है। अन्य उपलब्ध लघु शीर्षों के अंतर्गत गैर-बजटीकरण तथा केवल लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बजटिंग के मामले का उत्तर विभाग से प्रतीक्षित है।

3.8.1.5 एकल नोडल लेखे

भारत सरकार (जीओआई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 23.03.2021 के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र या किसी भी राज्य में संचालित प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए जीरो बैलेंस एकल नोडल लेखे (एसएनए) खोलने की आवश्यकता है। विभाग ने 2021-22 के दौरान कोई जीरो बैलेंस

एसएनए नहीं खोला था। हालांकि, विभाग के पास पहले से ही दो मौजूदा खातें[1] थे, जो वर्ष 2015 और 2018 के दौरान खोले गए थे, जो 2021-22 के दौरान परिचालित थे और भारत सरकार, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से ₹42.26 करोड़[2] की योजना-वार निधि सीधे इन खातों में प्राप्त (2021-22) हुई। विभाग ने इन परियोजनाओं पर ₹37.01 करोड़ उपयोग किया और 31 मार्च 2022 तक ₹05.25 करोड़ की शेष राशि को अप्रयुक्त छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने, हालांकि, देखा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ओएम संख्या 1/18/पीएफएमएस/एफसीडी/2021 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा संशोधित प्रक्रिया जारी करने के परिणामस्वरूप केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह हेतु, विभाग द्वारा तीन[3] सीएसएस हेतु तीन जीरो बैलेंस एसएनए खोले (19.07.2022 और 27.07.2022) गए और वास्तविक समय के आधार पर सीएनए के माध्यम से निधियों को प्राप्त किया गया।

3.8.2 अनुदान संख्या 30: जनजातीय कार्य विभाग

अनुदान के अंतर्गत ₹411.87 करोड़ के कुल आबंटन के विरुद्ध ₹173.17 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया तथा वर्ष के दौरान ₹238.70 करोड़ (58 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही जो इंगित करता है कि विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान अवास्तविक बजट प्रावधान किया था। राजस्व शीर्ष (दत्तमत) के अंतर्गत ₹64.40 करोड़ (50 प्रतिशत) और पूंजीगत शीर्ष (दत्तमत) में ₹174.30 करोड़ (62 प्रतिशत) की बचत हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 3.11: बजट प्रावधान, दर्ज किया गया व्यय तथा राजस्व तथा पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व/ पूंजीगत**	**प्रमुख शीर्ष**	**मूल अनुदान**	**अनुपूरक अनुदान**	**कुल**	**दर्ज किया गया व्यय**	**बचत (प्रतिशत)**
1	**राजस्व (दत्तमत)**	2225	104.72	24.92	129.64	65.24	(-)64.40 (50)
2	**पूंजीगत (दत्तमत)**	4225	273.43	8.80	282.23	107.93	(-)174.30 (62)
कुल			**378.15**	**33.72**	**411.87**	**173.17**	**(-)238.70 (58)**

अनुदान के तहत विभिन्न योजना शीर्षों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई ।

[1] ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी सौर स्ट्रीट लाइट्स पी-III एमएनआरई और ग्रिड से जुड़े सौर छत योजनाओं के लिए।

[2] ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी सौर स्ट्रीट लाइट्स पी-III एमएनआरई: ₹22.08 करोड़ और ग्रिड से जुड़े सौर छत: ₹20.18 करोड़।

[3] ग्रिड से जुड़े सौर छत; पीएम-कुसुम घटक-बी एवंऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी सौर स्ट्रीट लाइट पी-III एमएनआरई।

3.8.2.1 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

बजटीय आबंटन यथार्थवादी प्रस्तावों, अच्छे व्यय अनुवीक्षण तंत्र पर आधारित होना चाहिए; मजबूत योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण से लाभार्थियों को अभिप्रेत हितलाभ प्राप्त हेतु योजनाओं पर निधियों का इष्टतम उपयोग होता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित योजनाओं में गुज्जर और बकरवाल हेतु सलाहकार बोर्ड (उप शीर्ष-0442), गुज्जर और बकरवाल के कल्याण (उप शीर्ष-1796) और निदेशक, जनजातीय मामले (उप शीर्ष-2253) में बचतें हुई थी जहां ₹50 हजार और उससे अधिक के अनुपूरक अनुदान विभाग को उपबंध किए गए थे।

तालिका 3.12: अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष का संदर्भ	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत							
2225	**एसएच-0442**						
	001-वेतन	108.90	1.14	110.04	67.42	42.62	39
	एसएच-1796						
	008- इलेक्ट्रिक चार्ज	70.00	11.60	81.60	36.56	45.04	55
	011-पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	3.45	0.55	4.00	1.90	2.10	53
	017-मानदेय एवं पारिश्रमिक	22.54	1.96	24.50	3.20	21.30	87
	023-रखरखाव और मरम्मत	10.00	2.00	12.00	8.73	3.27	27
	071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.00	0.93	3.93	0.00	3.93	100
	103- कार्यालय उपकरण एवं साधित्र	7.00	3.00	10.00	4.59	5.41	54
	एसएच-2253						
	006-दूरभाष	1.00	1.00	2.00	0.76	1.24	62

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कुछ उपशीर्षों में अनुपूरक अनुदान के प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था और विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना कोई कारण बताए बचतें की गईं थीं। ये बचतें अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में बहुत अधिक थीं जो अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय अनुवीक्षण तंत्र, कमजोर आंतरिक नियंत्रण के सूचक थे।

3.8.2.2 आबंटन के विरुद्ध अतिरिक्त व्यय

जनजातीय उप योजना (एससीए) उपशीर्ष-1814 योजना में अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत ₹16.00 करोड़ का सहायता अनुदान उपबंध किया गया, जिसके विरुद्ध ₹21.13 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। जैसा कि **तालिका 3.13** में विस्तृत रूप में दिया गया है। विभाग से आधिक्य हेतु कारण प्रतिक्षित है।

तालिका 3.13: लेखा के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	दर्ज किया गया व्यय	आधिक्य
1	2225	02	800	0031	1814	16.00	21.13	5.13

3.8.2.3 आबंटन के विरुद्ध कम व्यय

(i) राजस्व अनुभाग

वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹40.00 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उपशीर्ष (1829), योजना के अंतर्गत ₹8.05 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹31.95 करोड़ की बचत हुई है। इसी प्रकार, गुज्जर एवं बकरवाल, उपशीर्ष (1796), के कल्याण योजनान्तर्गत ₹42.46 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹29.36 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹13.10 करोड़ की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, गुज्जर एवं बकरवाल, उपशीर्ष (0442) के लिए सलाहकार बोर्ड के योजनान्तर्गत ₹1.39 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹0.81 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.58 करोड़ की बचत हुई तथा ₹10.11 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध निदेशक जनजातीय मामला, उपशीर्ष (2253) के अंतर्गत ₹8.37 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.74 करोड़ की बचत हुई है। बचत का प्रतिशत 17 से 80 प्रतिशत के मध्य था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र लाभार्थियों के व्याप्ति के संबंध में कोई आकलन नहीं किया है। न तो कोई बजट अनुमान और न ही कोई योजना प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसके अभाव में वास्तविक लाभार्थियों के वास्तविक आच्छादन का सत्यापन नहीं किया जा सका। पात्र छात्रों की अनुमानित आवश्यकता के गैर-निर्धारण के परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की बहुत बड़ी अव्ययित राशि शेष रही।

तालिका 3.14: निधियों के उपबंध के विरुद्ध कम व्यय (बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	कम/ बचतें	बचतों की प्रतिशतता
1	2225	02	277	0031	1829	40.00	8.05	31.95	80
2	2225	03	102	0099	1796	42.46	29.36	13.10	31
3	2225	03	102	0099	0442	1.39	0.81	0.58	42
4	2225	03	102	0099	2253	10.11	8.37	1.74	17
कुल						**93.96**	**46.59**	**47.37**	**50**

(ii) पूंजीगत अनुभाग

आदिवासी उप-शीर्ष (0896), के कल्याण हेतु अधोसंरचना, योजनान्तर्गत ₹100.00 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध, ₹61.28 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹38.72 करोड़ की बचत हुई। इसी प्रकार, 115-कार्य, आदिवासी उपयोजना के घटक, उप-शीर्ष (1814), के अंतर्गत ₹9.04 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध ₹2.05 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.99 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, आदिवासी उप योजना, उप-शीर्ष (1814), के योजनान्तर्गत, ₹65.25 करोड़ आबंटन के विरुद्ध, केवल ₹10.81 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹54.44 करोड़ की बचत हुई। विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए से टीएसपी), उप-शीर्ष (2518), के अंतर्गत ₹103.66 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध केवल ₹31.56 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹72.10 करोड़ की बचत हुई और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कल्याण, जम्मू उप- शीर्ष (1827)-115 कार्य के योजनान्तर्गत, ₹4.28 करोड़ का आबंटन के विरुद्ध, ₹2.22 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2.06 करोड़ की बचत हुई। बचत का प्रतिशत 39 से 83 प्रतिशत के मध्य था। बचतों के परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में धीमी प्रगति और कार्यों के पूर्ण होने में विलंब हुआ है।

उत्तर में, विभाग ने बचतें और कार्य के पूर्ण होने में विलंब हेतु निष्पादन एजेंसियों द्वारा औपचारिकताओं को विलंब से अंतिम रूप देने, जैसे कि भार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब, तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने आदि को जिम्मेदार ठहराया।

तालिका 3.15: निधियों के प्रावधान के विरुद्ध कम व्यय (बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन	व्यय	कम/ बचतें	बचत का प्रतिशत
1	4225	02	800	0011	0896	100.00	61.28	38.72	39
2	4225	02	800	0011	1814	9.04	2.05	6.99	77
3	4225	02	800	0031	1814	65.25	10.81	54.44	83
4	4225	02	800	0031	2518	103.66	31.56	72.10	70
5	4225	02	800	0031	1827	4.28	2.22	2.06	48
कुल						**282.23**	**107.92**	**174.31**	**62**

3.8.2.4 निधियों के प्रावधान के अंतर्गत दर्ज किया गया शून्य व्यय

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, उप-शीर्ष (1827), के कल्याण योजनान्तर्गत ₹1.84 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध, टीएसपी उप-शीर्ष (2518) के योजनान्तर्गत ₹8.38 करोड़ और प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति, उप-शीर्ष (1444) के योजनान्तर्गत ₹9.46 करोड़, शून्य व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान इन तीन योजनाओं के तहत ₹19.68 करोड़ की बचत हुई।

तालिका 3.16: निधियों के उपबंध के अंतर्गत दर्ज किया गया शून्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	एमएच	एसएम	एमआई	जीएच	एसएच	बजट आबंटन
1	2225	03	800	0031	1827	1.84
2	2225	03	102	0099	2518	8.38
3	2225	02	277	0031	1444	9.46
कुल						**19.68**

3.8.2.5 लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/ अन्य व्यय केवल तभी संचालित करने का अभिप्रेत है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन हेतु लघु शीर्ष-800 का नियमित संचालन, राजस्व या व्यय के उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना लेखाओं को अपारदर्शी बना देता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा ने लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की बुकिंग की निम्न स्थिति देखी।

तालिका 3.17: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	2021-22 के दौरान अनुदान की कुल राशि	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	129.64	21.13	16
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	282.23	107.93	38
कुल	**411.87**	**129.06**	**31**

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत लेखा शीर्षों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत अनुदान की कुल राशि के ₹129.06 करोड़ (31 प्रतिशत) के व्यय को दर्ज किया गया है।

लघु शीर्ष 277-शिक्षा और 282-स्वास्थ्य मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत उप मुख्य शीर्ष 02 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं 03-पिछड़े वर्गों के कल्याण के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2021-22 हेतु कार्य गतिविधि अनुवीक्षण प्रणाली[4] (विभागवार) की नमूना जांच के अनुसार, यह पाया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में सीएचसी/ पीएचसी के निर्माण के कारण ₹3.27 करोड़ तक के उपगत का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसटी/ जी एंड बी छात्रावासों के निर्माण/ मरम्मत/ नवीकरण के कारण ₹1.85 करोड़ और मध्य विद्यालय भवन, राजौरी जिला में ई-कक्षाओं/ स्मार्ट कक्षाओं/ पुस्तकालयों, खेलकूद और वाचनालयों की स्थापना पर ₹0.20 करोड़ के उपगत का व्यय किया गया। उपर्युक्त व्यय को लघु शीर्ष 282-स्वास्थ्य और 277-शिक्षा के अंतर्गत बजट और विस्तारित किया जाना चाहिए था, लेकिन यह देखा गया कि पूंजीगत मुख्य शीर्ष 4225 के अंतर्गत इन लघु शीर्षों के तहत कोई व्यय बजट/ दर्ज नहीं किया गया है। बजट का निर्माण करते समय विभाग को प्रासंगिक लघु शीर्ष का उपयोग करने की आवश्यकता है।

800-अन्य व्ययों तथा 102 आर्थिक विकास जैसे अधिक प्रासंगिक शीर्षों के स्थान पर गौण शीर्षों के उपयोग का कारण विभाग से प्रतीक्षित है।

[4] स्रोत: बीईएएमएसजेके.गोव.इन

3.8.2.6 एकल नोडल लेखे

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पीएफएमएस प्रभाग, कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020, दिनांक 23-03-2021 के अनुसार प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र में प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए एकल नोडल लेखे विभाग द्वारा खोले जाने की आवश्यकता थी। पांच केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए पांच एसएनए अर्थात एससीए से टीएसएस तक, अनुच्छेद 275 (1)-भारत का संविधान, एसटी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एसटी छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जम्मू-कश्मीर को सहायता हेतु दिनांक 29-01-2022 को जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा खोला गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसएस के तहत विभाग द्वारा कोई निधि प्राप्त नहीं हुई थी सिवाय एक केंद्र प्रायोजित योजना के अर्थात् जनजातीय अनुसंधान संस्थान जम्मू एवं कश्मीर को सहायता, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021-22 के अंत में ₹2.00 करोड़ की निधि प्राप्त हुई और जिसे वर्ष 2022-23 के दौरान एसएनए में जमा किया जा रहा है।

3.9 निष्कर्ष

- वर्ष 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग अनुदान और विनियोग की कुल राशि से 20 प्रतिशत कम था। बजटीय आबंटन अयथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 35 अनुदानों में से, 22 अनुदानों में, पूँजीगत अनुभाग में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें थी।
- वर्ष 2021-22 के दौरान दत्तमत अनुभाग में ₹28,205.78 करोड़ (31 प्रतिशत) की बचत देखी गई जबकि *प्रभारित* अनुभाग में ₹394.08 करोड़ (एक प्रतिशत) के उपगत का आधिक्य व्यय किया गया था।
- वर्ष के दौरान 28 अनुदानों के अंतर्गत ₹5,092.25 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान, जिसमें 123 योजनाएँ शामिल थीं, अप्रयुक्त रहे जिसके परिणामस्वरूप आम जनता को अभिप्रेत हितलाभों से वंचित होना पड़ा।
- वर्ष के दौरान 22 मामलों में कुल ₹3,919.78 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुए जिसमें प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक शामिल थे, जो अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। दूसरी तरफ, 08-वित्त विभाग के अनुदान में ₹16,057.92 करोड़ के अनुपूरक अनुदान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- 31 मार्च 2022 तक 33 अनुदान में ₹दस करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गई, जिसमें 26 अनुदान ऐसे थे, जिनमें ₹100 करोड़ और उससे अधिक की बचत देखी गई थी।

- वर्ष 2021-22 के दौरान बजटीय प्रावधानों के बिना 10 अनुदानों में 33 योजनाओं/ उप शीर्षों के अंतर्गत ₹21,646.17 करोड़ की राशि व्यय की गई थी।
- वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2022 में 17 अनुदानों के अंतर्गत 25 प्रमुख शीर्षों के संबंध में किया गया था। व्यय की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी।
- अनुदान संख्या 35-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ₹121.76 करोड़ के कुल आबंटन के विरुद्ध, दर्ज किया गया कुल व्यय केवल ₹62.45 करोड़ है। वर्ष के दौरान ₹59.31 करोड़ (49 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही जो विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान के अवास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार करने को इंगित करता है। राजस्व दत्तमत में ₹4.36 करोड़ और पूँजीगत दत्तमत खंडों में ₹54.95 करोड़ की बचत देखी गई। ₹59.31 करोड़ की बचत का कोई अंश प्रत्याशित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- अनुदान संख्या 30-आदिवासी मामला विभाग के अंतर्गत कुल ₹411.87 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹173.17 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया तथा ₹238.70 करोड़ (58 प्रतिशत) की राशि वर्ष के दौरान अव्ययित रही, जो इंगित करता है कि विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान अवास्तविक बजट प्रावधान किए। राजस्व शीर्ष (दत्तमत) के अंतर्गत ₹64.40 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष (दत्तमत) में ₹174.30 करोड़ की बचत हुई। ₹238.70 करोड़ की बचत का कोई अंश प्रत्याशित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

3.10 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचतों/ आधिक्य व्यय में कटौती के लिए कुशल नियंत्रण क्रियाविधि सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. अनुमोदित अनुदानों से अधिक व्यय आधिक्य को यथाशीघ्र नियमित किया जाए, साथ ही अतिरिक्त व्यय करने की जिम्मेदारी तय की जाए।
3. बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखे तैयार करने को सुगम बनाने के लिए आबंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने हेतु नियंत्रण अधिकारियों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराने की आवश्यकता है।
4. सरकार वर्ष के अंत में व्यय की बहुलता से बचने के लिए वित्तीय अनुवीक्षण के सुदृढ़ीकरण पर विचार करे।

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की रीतियाँ

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की रीतियाँ

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक यथार्थ आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रमुख रूप से संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो कार्यनीति योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसके आधारभूत कार्यधीशता उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं।

लेखाओं की पूर्णता संबंधी मुद्दे

4.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा या समेकित निधि से बाहर की निधियाँ

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67 उपबंध करती है कि भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्राप्त सभी राजस्व या किसी भी मामले के संबंध में उपराज्यपाल, जिसके संबंध में संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और भारत की समेकित निधि से संघ शासित क्षेत्र को दिए गए सभी अनुदान तथा दिए गए ऋण और संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लिये गये सभी ऋण और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि निर्मित करेगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में उपबंधित रीति और उद्देश्य के लिए तथा विधि के अनुरूप के अतिरिक्त, इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि), जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार का निर्माण करती हैं और विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर उद्ग्रहण एवं संग्रहण करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, एक भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन और अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा नियमावली तैयार करना अनिवार्य है। तदनुसार, जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियमावली 2006 बनायी और 2007 में जम्मू एवं कश्मीर भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड श्रम उपकर जमाओं के रूप में सरकार द्वारा जमा की गई राशि का परिचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने उसी नियमावली को जारी रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, श्रम उपकर के रूप में बोर्ड के पास प्रारंभिक शेष ₹601.61 करोड़ था। वर्ष के दौरान प्राप्तियां ₹175.60 करोड़ और संवितरण ₹172.49 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को श्रम उपकर का अंतशेष ₹604.72[1] करोड़ था जो सरकारी खाते से बाहर रहा।

4.1.2 जल उपयोग प्रभार

25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014 को संशोधित जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन कंपनियों पर जल उपयोग प्रभारों की उगाही की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर बैंक में एक खाता के रूप में एक निधि को निर्मित किया जाना था या एक उचित लेखा शीर्ष का आबंटन किया जाना था। जल उपयोग प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि को इस प्रकार सृजित किए गए लेखे/ शीर्ष में जमा किया जाना था तथा जलविद्युत और बहु-उद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए और राज्य में पहले से स्थापित जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः खरीदने और बिजली की खरीद के लिए उपयोग किया जाना था। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस निधि खाते में ₹0.55 करोड़ की राशि के ब्याज को जमा करने के अतिरिक्त कोई लेनदेन नहीं किया गया था और 31 मार्च 2022 तक जल उपयोग प्रभारों/ ब्याज के कारण ₹15.53 करोड़ की राशि जल उपयोग निधि खाते (बचत बैंक खाता) में पड़ी थी जो संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सरकारी खाते से बाहर रही। सरकारी खाते में जल उपयोग प्रभार और उस पर ब्याज के कारण बचत खाते में पड़ी राशि को जमा करने की आवश्यकता है। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह आश्वासन दिया गया कि राशि सरकारी खाते में ले ली जायेगी।

4.1.3 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(बी) में उपबंध है कि खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक न्यास स्थापित करेगी, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन कहा जाएगा। जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य व्यक्तियों के

[1] आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि लेखाओं/ तुलन पत्र को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

हित और लाभ हेतु, एवं खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों के लिए इस तरह से कार्य करना होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जिला खनिज फाउंडेशन की संरचना और कार्य इस तरह के होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर जिला खनिज फाउंडेशन (संरचना, अंशदान, वित्त पोषण, निधियन एवं न्यास) विनियमों को एसआरओ सं. 3 दिनांक 11 जनवरी 2017 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। विनियमों के अनुसार, सरकार न्यास के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड नामक निधि की स्थापना करेगी जिसका संचालन कार्यकारिणी समिति[2] द्वारा किया जायेगा। न्यास निधि को इन विनियमों में परिभाषित अंशदानों के अनुसार, अंशदान निधि प्राप्त होगी। अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अंतर्गत, स्वीकृत खनिज रियायत धारकों को स्वामित्व के भुगतान के साथ ही राज्य सरकार को देय राशि के न्यास निधि में अंशदान हेतु भुगतान करना होगा।

नियम 11(1) के अनुसार, मुख्य खनिज रियायतों के सभी धारकों को, स्वामित्व के अतिरिक्त, संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन को स्वामित्व के ऐसे प्रतिशत के समतुल्य राशि का भुगतान करेंगे, जैसा कि अधिनियम की धारा 9बी की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अंतर्गत जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। नियम 11(2) के अनुसार, लघु खनिज रियायत धारकों से प्राप्त कुल स्वामित्व की राशि में से 10 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा संबंधित न्यास में जमा/ भुगतान कराई जायेगी।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में 20 जिला खनिज फाउंडेशन फंड ट्रस्ट हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, सभी न्यासी द्वारा डीएमएफ निधि के अंतर्गत कुल संग्रह ₹32.89 करोड़ की राशि थी। इस कुल राशि में से, ₹16.91 करोड़ की राशि 31 मार्च 2022 तक 18[3] जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के बैंक खातों में पड़ी थी। यह राशि सरकारी खाते से बाहर रही। तथापि, भारत सरकार के खान मंत्रालय के आदेश दिनांक 12 जुलाई 2021 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से राज्य के राजकोष में कोई निधि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। भारत के संविधान के अनुसार तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार, सभी प्राप्तियों को या तो समेकित निधि या लोक लेखा में रखा जाना है, लेकिन सरकार के निर्देशों के अनुसार इन प्राप्तियों को संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के बैंक खातों में भेजा जा रहा है।

---

2 संभागीय आयुक्त कश्मीर/ जम्मू, अध्यक्ष, निदेशक भूविज्ञान और खनन कश्मीर/ जम्मू निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर/ जम्मू, निदेशक ग्रामीण विकास, कश्मीर/ जम्मू, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कश्मीर/ जम्मू, विशेष आमंत्रित खनिज प्रशासन/ अन्वेषण में ज्ञान और अनुभव रखने वाले को अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जाएगा।

3 जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, पुलवामा, बांदीपुरा, बारामूला और कुपवाड़ा।

4.2 संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

जम्मू एवं कश्मीर एफआरबीएम अधिनियम 2006 के अनुसार, 'कुल देयतायों' का आशय राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखे तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा ऋण शामिल हैं और प्रत्याभूतियों सहित अन्य समतुल्य प्रपत्रों जहां मूलधन एवं/ या ब्याज की पूर्ति बजट से बाहर की जानी है, के अंतर्गत आने वाली देयतायों से है। एफआरबीएम अधिनियम 2006 की धारा 10 (3) के अनुसार, जब भी सरकार बिना शर्त और पर्याप्त मात्रा में मूल राशि के पुनर्भुगतान एवं/ या किसी पृथक वैध संस्था के ब्याज का भुगतान करने को वचनबद्ध होती है, तो उसे राज्य के उधारियों के रूप में इस तरह की देयता को प्रतिबिंबित करना पड़ता है।

वर्ष 2021-22 में जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्तीय निगम (जेकेआईडीएफसी) द्वारा संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ऑफ बजट उधारियाँ (ओबीबी) में ₹850.00 करोड़ की राशि की सूचना दी है। यह वर्ष 2019-20 (₹650.00 करोड़) और 2020-21 (₹750.00 करोड़) में जेकेआईडीएफसी द्वारा लिए गए ₹1,400.00 करोड़ के ओबीबी के अतिरिक्त था। इन ऋणों का पुनर्भुगतान, करों एवं शुल्कों में संशोधन के माध्यम से किया जाना था। इस संबंध में, निदेशक वित्त, जेकेआईडीएफसी द्वारा आगे यह कहा गया कि ₹127.23 करोड़ के मूलधन का प्रत्यावर्तन संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ओबीबी की बकाया राशि ₹2,122.77 करोड़ थी।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (जेकेपीसीएल) ने विद्युत क्रय की। जून 2020 तक विद्युत के क्रय के कारण ₹11,024.47 करोड़ की देयता बकाया थी। विद्युत उत्पादन कंपनियों के बकाया राशि के पुनर्भुगतान हेतु ₹11,024.47 करोड़ की राशि के ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से ₹10,321.83 करोड़ जेकेपीसीएल द्वारा उठाए गए और बकाया देयता के भुगतान के लिए प्रयुक्त किये गये। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार, वित्त विभाग द्वारा यह सूचित (नवंबर 2022) किया गया था कि ₹10,321.83 करोड़ की कुल राशि में से, ₹7,531.83 करोड़ विद्युत वित्तीय निगम (पीएफसी) से प्राप्त किए गए और ₹2,790.00 करोड़ की राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से प्राप्त किए गए थे। मूलधन का कोई भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि वे अधिस्थगन अवधि में हैं। हालांकि, इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जेकेपीसीएल ने 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक ₹13,145.55 करोड़ की विद्युत के क्रय के कारण पुनः देयता सृजित की है।

इस प्रकार, संघ शासित क्षेत्र सरकार के वित्त विभाग के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्तीय निगम द्वारा उत्थित किये गए ₹2,122.77 करोड़ की ऑफ

बजट उधारी एवं 31 मार्च 2022 समाप्ति तक विद्युत वित्तीय निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम के विरुद्ध ₹10,321.83 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन उधारियों को सरकार द्वारा बजट से प्राप्त किया जा रहा है लेकिन इस ऋण को लेखाओं में सरकार की देयता में शामिल नहीं किया गया है जो जेकेएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधान के विरूद्ध है।

4.3 कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ

भारत सरकार (जीओआई) विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (एसआईए) को महत्वपूर्ण निधियां हस्तांतरित करती है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के एसआईए को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधियों की राशि ₹820.36 करोड़ **(परिशिष्ट 4.1)** थी। यह संघ शासित क्षेत्र के बजट के माध्यम से सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹6,713.77 करोड़) का 12.22 प्रतिशत है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, समितियों इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से ₹3,190.72 करोड़ की राशि जारी की गई।

योजनाएं, जहाँ वर्ष 2021-22 तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष वित्त पोषण ₹100 करोड़ से अधिक था, नीचे दिया गया है:

तालिका 4.1: योजना जहाँ ₹100 करोड़ से अधिक की निधियाँ भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पाद विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	664.58

स्रोत: वित्त लेखे

4.4 स्थानीय निधियों की जमाएं

जम्मू एवं कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में उपबंधित है कि हलका पंचायत, हलका पंचायत निधि का अनुरक्षण करेगी। जिसमें अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य सभी धन और पीआरआई द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि, जैसे सरकार से प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व शामिल होंगे, जिसमें पंचायत की कर और

गैर-कर प्राप्ति सम्मिलित है। नगरपालिका अधिनियम उपबंधित करता है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा प्रतिधारित किया जाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य समस्त धनराशि और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि को नगरपालिका निधि में रखा जाता है। इन्हें मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमाएं, 109-पंचायत निकाय निधि एवं 102-नगरपालिका निधियाँ में रखा जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान उपर्युक्त दो स्थानीय निधियों के अंतर्गत प्राप्ति और व्यय को **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निधियों की जमाएं

स्थानीय निधियाँ			**क्र.सं**	**(₹ करोड़ में)**
पंचायत निधि	(8448-109)	अथ शेष	1	शून्य
		प्राप्ति	2	शून्य
		व्यय	3	शून्य
		अंत शेष	4	(शून्य) 0.27
वर्ष के अंत में कुल अंत शेष				
नगरपालिका निधि	(8448-102)	अथ शेष	5	275.27 (133.39)
		प्राप्ति	6	616.38
		व्यय	7	638.78
		अंत शेष	8	252.87 (133.39)

स्रोत: वित्त लेखे। कोष्ठकों में आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अंत शेष को दर्शाते हैं जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

वर्ष 2021-22 के दौरान पंचायत निधि से कोई प्राप्ति तथा व्यय नहीं हुआ है। हालांकि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹0.27 करोड़ का अंतशेष है। वर्ष 2021-22 के समापन के दौरान नगरपालिका निधि का अंतशेष ₹252.87 करोड़ है, इसके अलावा तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹133.39 करोड़ का अंतशेष है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के बीच विभाजित किया जाना है।

पारदर्शिता संबंधी मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने सहायता अनुदान के आहरण और उसके उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) को प्रस्तुत करने से संबंधित संशोधित नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि, जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य (पुनर्गठन पूर्व) वित्तीय संहिता खंड-I, के कंडिका 10.19 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध

में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) को अनुदानग्राही द्वारा प्राधिकारी, जिसने इसे मंजूरी दी थी, अनुदान प्राप्त करने की तिथि से 18 माह के अंतर्गत या उसी विषय पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने से पूर्व, जो भी पहले हो, को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यूसी प्रस्तुत न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई होगी।

31 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पश्च पुनर्गठन) से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति को, **तालिका 4.3** में दिया गया हैः

तालिका 4.3: जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में वर्ष-वार बकाया

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2021-22 (31.10.2019 to 30.09.2020)	770	3,137.11
कुल	**770**	**3,137.11**

** उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत*

30 अक्टूबर 2019 (द्विभाजन किया जाना बाकी है) तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति को 31 मार्च 2022 तक नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्य के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में वर्ष-वार बकाया

वर्ष*	बकाया यूसी की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,737	6,186.73
2020-21	1,352	1,971.59
2021-22 (01.10.2019 से 30.10.2019)	शून्य	शून्य
कुल	**3,089**	**8,158.32**

**उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत*

31 मार्च 2022 तक तत्कालीन राज्य और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित ₹11,295.43 करोड़ की यूसी, 3,859 संख्या में बकाया थीं। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण दर्शाता है कि बकाया प्रमाण-पत्रों की कुल राशि का 77.73 प्रतिशत निम्नलिखित चार विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से 43.13 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।

चार्ट 4.1: सितंबर 2020 तक प्रदत्त अनुदानों हेतु मुख्य विभागों के संबंध में बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)

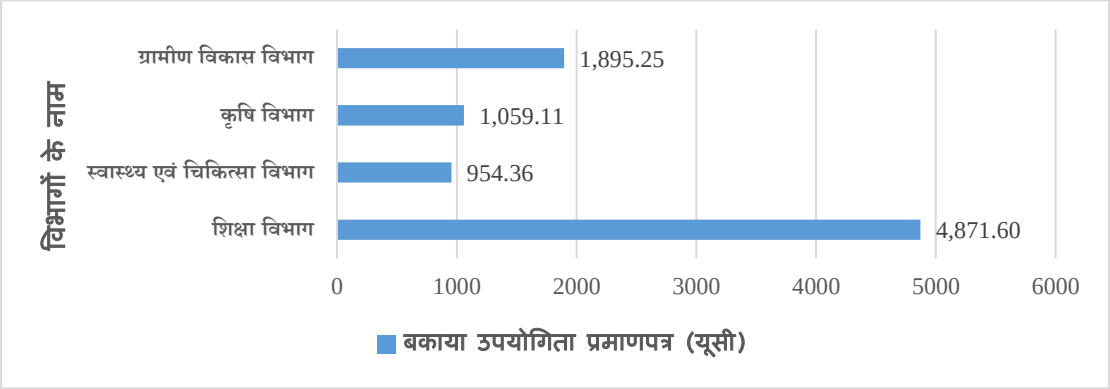

स्रोत: वित्त लेखे।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियों का व्यय कैसे किया गया। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यदि ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूँजीगत व्यय हेतु सहायता अनुदान के विरुद्ध लंबित हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को इस पहलू का बारीकी से अनुवीक्षण करना चाहिए और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अनुदान की विस्तृत व्यापक लेखापरीक्षा में सम्मिलित दो विभागों अर्थात् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग से कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया नहीं पाया गया। एग्जिट कांफ्रेंस में बताया गया कि लंबित यूसी के संबंध में समाधान का संचालन एवं फास्ट ट्रैक मोड पर निपटान किया जाएगा।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के आहरण एंव उनके व्यवस्थापन हेतु कोडल प्रावधानों को संशोधित नहीं किया है। हालांकि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्तीय संहिता खंड-I (कंडिका 7.18) में परिकल्पना की गई है कि जब आकस्मिक व्यय हेतु राजकोष से धन आहरण आवश्यक समझा जाता है जिसके भुगतान से पहले वाउचर आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) एसी बिलों के माध्यम से धन आहरण हेतु अधिकृत हैं। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (पुनर्गठित पूर्व) के वित्तीय संहिता कंडिका 7.10 के संदर्भ में, डीडीओ को अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर वाले विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को अग्रिम आहरित करने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। एसी बिलों की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है

तालिका 4.5 (क) : संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के एसी बिलों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	असमायोजित एसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक (31.10.2019 से 31.01.2021)	354	5,267.71
2021-22 (01.02.2021 से 31.01.2022)	785	6,180.32
कुल	**1,139**	**11,448.03**

तालिका 4.5 (ख) : एसी बिलों के विरुद्ध डीसीसी जमा करने की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष		संयोजन		समाशोधन		अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
31/10/2019 से 31/01/2020	0	0	51	339.68	0	0	51	339.68
2020-21	51	339.68	333	5,059.58	30	131.55	354	5,267.71
2021-22 (31/01/2022 तक)	354	5,267.71	830	6,505.65	45	325.33	1,139	11,448.03

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, समाशोधित एसी बिलों की संख्या संबंधित अवधि के दौरान आहरित नए एसी बिलों की संख्या से कम थी। इसके परिणामस्वरूप असमायोजित एसी बिलों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 तक कुल 1,139 बिलों की राशि ₹11,448.03 करोड़ हो गई।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 तक आहरित ₹5,830.41 करोड़ की राशि के 2,154 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2022 तक प्रतीक्षित थे। इन बकाया एसी बिलों का द्विभाजन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच अभी तक किया जाना है। पांच विभागों से 70 प्रतिशत से अधिक डीसीसी बिल प्रतीक्षित हैं जिसे **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: संघ शासित क्षेत्र / तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2022 तक ₹17,278.44 करोड़ की कुल बकाया राशि का प्रतिशतता
1	लोक निर्माण विभाग	3,705.77	21.45
2	ग्रामीण विकास विभाग	4,094.58	23.70
3	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,272.37	7.36
4	शिक्षा विभाग	2,222.68	12.86
5	आवास एवं शहरी विकास विभाग	911.01	5.27

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 4.2: संघ शासित क्षेत्र / तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य विभागों के संबंध में प्रतीक्षित डीसी बिल

(₹ करोड़ में)

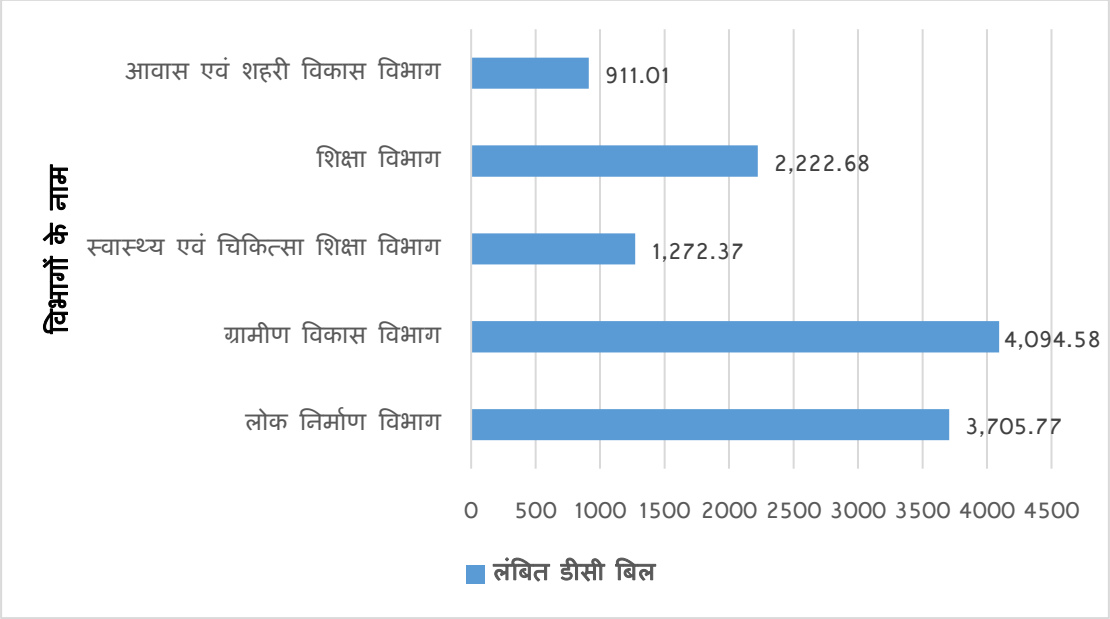

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹5,122.00 करोड़ की राशि के 554 एसी बिल आहरित किए गए, जिनमें से ₹1,848.60 करोड़ (36.09 प्रतिशत) की राशि के 391 एसी बिल मार्च 2022 में आहरित किए गए थे। मार्च में एसी बिलों के विरुद्ध व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजटीय प्रावधानों को निःशेष एवं अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रत्यक्ष करना था।

दो अनुदानों/ विभागों अर्थात जनजातीय कार्य विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की व्यापक लेखापरीक्षा की गई। यह देखा गया है कि जनजातीय कार्य विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अग्रिम आहरणों के संबंध में क्रमशः ₹8.73 करोड़ और ₹19.15 करोड़ की राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल बकाया थे।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किए गए अग्रिम आहरण के संबंध में ₹8.73 करोड़ की राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल बकाया हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹8.73 करोड़ में से ₹4.73 करोड़ की राशि आहरित की गई, जिसमें से ₹2.48 करोड़ का वितरण किया जा चुका है और ₹2.25 करोड़ की शेष राशि एसएनए में प्रेषित की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹4.00 करोड़ की राशि आहरित की गई, जिसमें से ₹2.56 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया और ₹1.44 करोड़ की शेष राशि अभी भी निदेशालय कार्यालय के पास थी जिसे निष्क्रिय बैंक खाता संख्या/ आधार को बैंक

खाते से लिंक न करना आदि, के कारण वितरित नहीं किया जा सका, राशि के डीसीसी बिल अभी भी लंबित हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अग्रिम आहरण के संबंध में ₹19.15 करोड़ की राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल बकाया हैं। उक्त अग्रिम आहरित राशि का उपयोग कर लिया गया है लेकिन परियोजनाएं को अभी पूरा किया जाना शेष हैं और डीसीसी बिल प्रतीक्षित हैं। एग्जिट कांफ्रेंस में यह आश्वासन दिया गया था कि लंबित डीसीसी बिलों के संबंध में मिलान का संचालन एवं फास्ट ट्रैक मोड पर निपटान किया जाएगा।

4.7 लघु शीर्ष 800 का अव्यवस्थित प्रयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/ अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करना है जब लेखाओं में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन के लिए लघु शीर्ष-800 का नियमित परिचालन, राजस्व या व्यय के समुचित उद्देश्य के लिए प्राप्ति/ व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किए बिना लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, ₹59,238.50 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के लगभग 6.98 प्रतिशत का गठन करते हुए लेखाओं के 37 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,134.84 करोड़ (मुख्य शीर्ष-0801 के अंतर्गत विद्युत और विविध विद्युत प्राप्तियों के विक्रय का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹2,715.75 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सहित) को लघु शीर्ष-800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, लेखाओं के 36 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,289.52 करोड़ का व्यय, जोकि ₹70,316.37 करोड़ के कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 6.10 प्रतिशत था, लघु शीर्ष-800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उदाहरणार्थ जहाँ एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय का महत्त्वपूर्ण अनुपात (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत/ दर्ज किया गया था, उसे आगे तालिका में दर्शाया गया है।

सरकार लेखाओं में बेहतर स्पष्टता के लिए, प्रमुख योजनाओं की प्राप्तियों और व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत संयोजित करने के बजाय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों और व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाने पर विचार करे।

तालिका 4.7: वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया महत्वपूर्ण व्यय

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के विरुद्ध लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	
2040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1.49	1.27	85.23
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2.36	2.00	84.75
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.31	10.31	100.00
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.06	1.06	100.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	209.43	208.83	99.71
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.21	100.00
4225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	125.34	116.34	92.82
4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	26.86	26.86	100.00
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.96	10.46	65.54
4401-फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	362.86	194.51	53.60
4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	31.16	31.16	100.00
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	127.84	75.54	59.09
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	52.61	50.96	96.86
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	133.97	133.97	100.00

स्रोत: वीएलसी आँकड़े

तालिका 4.8: वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष-800–अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों के विरुद्ध लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	
0049-ब्याज प्राप्ति	16.54	16.41	99.21
0059-लोक निर्माण	29.62	17.90	60.43
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	41.63	28.18	67.69
0071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान और वसूली।	8.19	5.12	62.52
0211-परिवार कल्याण	0.03	0.03	100.00
0217-शहरी विकास	12.30	12.30	100.00
0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.62	5.62	100.00
0701-प्रमुख और मध्यम सिंचाई	886.62	886.62	100.00
0702-लघु सिंचाई	10.93	9.64	88.20
0801-विद्युत	2,715.75	2,715.75	100.00
0853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	128.78	81.77	63.50

स्रोत: वीएलसी आँकड़े

माप संबंधी मुद्दे

4.8 मुख्य उचंत एवं डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि की गणना समेकित रूप से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग करके की जाती है। वर्ष 2021-22 के लिए महत्वपूर्ण उचंत मदों को सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में **तालिका 4.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: उचंत एवं प्रेषणों के अंतर्गत शेष

लघु शीर्ष	2021-22		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/ क्रेडिट)
			(₹ करोड़ में)
8658- उचंत लेखा			
101-पीएओ उचंत	107.20	0.01	107.19 (डे)
102-उचंत लेखा (सिविल)	51.59	20.07	31.52 (डे)
109-आरबीआई उचंत (मुख्यालय)	0.09	0.40	0.31 (क्रे)
110-आरबीआई उचंत (केन्द्रीय लेखे)	0.67	0.18	0.49 (डे)
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	384.71	384.71 (क्रे)
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	0.88	-	0.88 (डे)
139-जीएसटी-स्रोत उचंत पर कर कटौती	0.72	5.16	4.44 (क्रे)
8782- समान महालेखाकार/ लेखा अधिकारियों को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण और समायोजन			
110-विविध प्रेषण	689.07	-	689.07 (डे)
8793-अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	9.29	0.04	9.25 (डे)

स्रोत: वित्त लेखे

उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2019 (पूर्व पुनर्गठन) के अंत में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹2,114.33 करोड़ {उचंत के अंतर्गत ₹733.16 करोड़ (डेबिट) और प्रेषण के अंतर्गत ₹2,847.49 करोड़ (क्रेडिट)} का निवल क्रेडिट शेष भी था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच द्विभाजन किया जाना शेष है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों की गैर-निर्बाधता प्राप्तियां/ व्यय के आंकड़ों की परिशुद्धता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाई जाती हैं) के अंतर्गत शेष राशि को प्रभावित करती है।

4.9 विभागीय आँकड़ों का गैर-समाधान

विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को, व्यय को बजट अनुदानों के अंदर रखने, इस पर प्रभावी नियंत्रण करने और उनके लेखाओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके द्वारा उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के बहीखातों में अभिलेखबद्ध आँकड़ों से किया जाना चाहिए। आँकड़ों का समाधान और सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में कोडल प्रावधानों और कार्यकारी

अनुदेशों के प्रयोग/ पालन में विफलता के परिणाम न केवल गलत वर्गीकरण और लेखाओं में प्राप्तियों और व्यय के गलत इन्द्राज के रूप में होता है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया का मूल उद्देश्य भी विफल होता है।

चार्ट 4.3 वर्ष 2020-21 के दौरान समाधान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

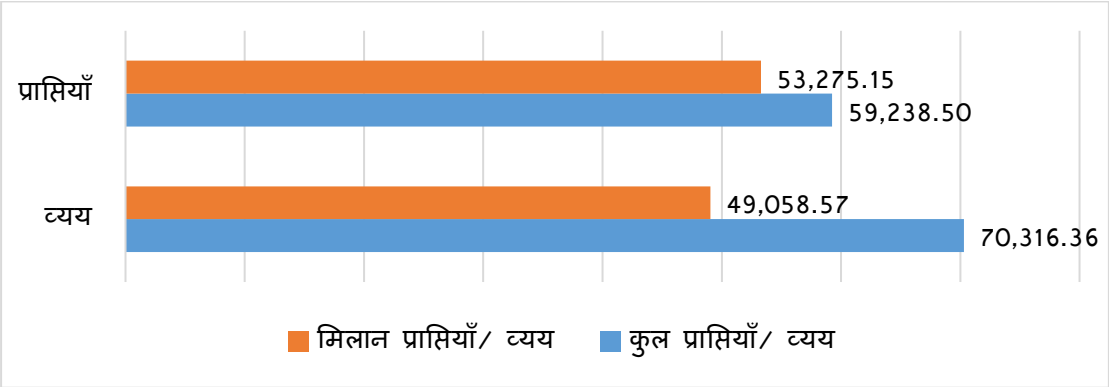

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹53,275.15 करोड़ की (59,238.50 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 89.93 प्रतिशत) प्राप्तियां और ₹49,058.57 करोड़ की (₹70,316.36 करोड़ के कुल व्यय का 69.77 प्रतिशत) व्यय का समाधान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया। इसकी तुलना में, ₹48,444.58 करोड़ की प्राप्तियां (₹52,495.48 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) और ₹40,905.14 करोड़ का व्यय (₹63,104.13 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 64.82 प्रतिशत) का समाधान वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया। एग्जिट कांफ्रेंस में आश्वासन दिया गया कि वार्षिक प्राप्तियों एवं संवितरण के समाधान में और सुधार के प्रयास किये जायेंगे।

4.10 नकद शेषों का समाधान

31 मार्च 2022 तक का नगद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार ₹1,447.65 करोड़ (डेबिट) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की सूचना के अनुसार (जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आंकलन किया गया था) ₹1,445.73 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा आरबीआई/ अभिकरण बैंक के मध्य गैर-समाधान के कारण ₹1.92 करोड़ (डेबिट) का निवल अंतर था। यह अंतर समाधानाधीन है।

30 अक्टूबर 2019 को आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर भी था, जिसे अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच द्विभाजन किया जाना शेष है।

प्रकटीकरण संबंधी मुद्दे

4.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार, उपराज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं के प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2021-22 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन और उनमें कमियाँ नीचे दी गई हैः

तालिका 4.10: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सार	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आईजीएएस-2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण*	सरकार के वित्तीय विवरणों में अनुदानकर्त्ता और अनुदानग्राही दोनों के रूप में सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना।	संकलित नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 10)	(i) राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने वाले कुछ सहायता अनुदानों को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। (ii) संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न रूप से दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
2.	**आईजीएएस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय रीतियोंके अनुरूप सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए।	संकलित नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 7 एवं 18)	ऋण लेने वाली संस्थाओं/ संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अंतिम शेष राशि का समाधान नहीं किया गया है, सरकार ने कुछ ऋणों और अग्रिमों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके लिए वे विस्तृत लेखाओं का अनुरक्षण करते हैं।

4.12 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की प्रमाणन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), 19 (3) तथा 20 (1) के अंतर्गत संचालित की जाती है। उपर्युक्त धाराओं के अनुसार लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों को लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक

लेखे प्रस्तुत करना आवश्यक है। आठ स्वायत्त निकायों के संबंध में, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने थे, 37 लेखे एक से 12 वर्षों के बीच तक की अवधि में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 4.11: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे (वर्षों)	31 मार्च 2022 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	12	12
2	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएएसटी) श्रीनगर, कश्मीर	11	11
3	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएएसटी), जम्मू	01	01
4	जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन* (ईपीएफओ)	06	06
5	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड	01	01
6	जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	01	01
7	जम्मू एवं कश्मीर भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	02	02
8	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	03	03
	कुल		**37**

**वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए लेखे जेकेईपीएफओ से प्राप्त हुए थे लेकिन इसे गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। बोर्ड ने सरकार के समक्ष मामला उठाया है।*

वर्ष 2008-09 तक की अवधि हेतु प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए हैं, **12** वर्षों के लेखे लंबित हैं। एसकेयूएएसटी, कश्मीर ने पिछले 11 वर्षों से लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। बजट से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/ विलंब से प्रस्तुत करना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। सरकार के साथ इस कार्यालय में लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने का मामला उठाए जाने के बावजूद, लेखे बकायों में हैं। इस गैर-अनुपालन की दृष्टि से, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जैसाकि उन संविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है जिनके अन्तर्गत इन निकायों को सृजित किया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकायों/ विलंब होने से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना बढ़ाते हैं। इसने विधानमण्डल/ सरकार को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है।

संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुतीकरण हेतु लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के लिए सरकार मामलों को निकायों के साथ उठाए।

4.13 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/ निगम/ कंपनियाँ

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा लेखे तैयार करना आवश्यक है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को प्रतिबिम्बित करते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों में यदि कुछ आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलंब धोखाधड़ी और लोक धन के रिसाव के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपक्रम लेखे तैयार करें तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करें । सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) श्रीनगर एवं जम्मू में राजकीय मुद्रणालय तथा (ख) उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं। दो राजकीय मुद्राणालयों ने 1968-69 से 2020-21 तक अपने प्रोफार्मा लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कश्मीर द्वारा 1975-76 से 2020-21 तक तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जम्मू द्वारा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2020-21 तक प्रोफार्मा लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की कंपनियों/ निगमों की लेखापरीक्षा की स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाई गई है। वर्ष 2020-21 तक केवल तीन कंपनियों के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा की गई थी तथा 2019-20 तक तीन कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई थी। 22 कंपनियों/ निगमों के संबंध में लेखाओं की लेखापरीक्षा दो वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु बकाया है। सरकार के साथ इस कार्यालय को लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने का मामला उठाए जाने के बावजूद, लेखे बकायों में हैं। लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश का परिणाम विधानमण्डल के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है तथा लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से भी बच जाता है। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपायों में, यदि कुछ आवश्यक हो तो, उसे समय पर नहीं किया जा सकता। सरकारी विभागाध्यक्षों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि विभागीय उपक्रम ऐसे लेखे

तैयार करें तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), को प्रस्तुत करें।

4.14 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 (सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थानों/ संगठनों की पहचान करने के लिए, सरकार/ विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित हैः

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की जाती है, और
- संस्थानों का कुल व्यय।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 में उपबंध है कि सरकारें और विभागाध्यक्ष, जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें अनुदान और/ या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक के ऋणों का भुगतान किया गया था, जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाता हुआ विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालांकि सरकार द्वारा उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की गई जो लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन है। उपर्युक्त सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा सीएंडएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों/ प्राधिकारियों की पहचान नहीं कर सका।

4.15 लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं को 122 कोषागारों (20 जिला कोषागारों और एक आभासी कोषागार सहित) द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। चूँकि, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पहले ही निर्माण और वन प्रभागों के लिए सिविल लेखांकन प्रणाली (पिछले वर्षों में) को अपना लिया था, 2021-22 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखे देय नहीं थे। वर्ष 2021-22 के अंत में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया था।

अन्य मुद्दे

4.16 राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किए गए मुद्दों हेतु कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/ सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू), स्वप्रेरित कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि इन समितियों दवारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं, प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किये थे। इन एटीएन को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह तक की अवधि के अंदर विधिवत् रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से तैयार किया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य/ संघ शासित क्षेत्र 20 जून 2018 से राज्यपाल/ राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अतः वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19, के लिए राज्य वित्त/राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 और 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक और 2020-21 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.17 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियाँ कैसे खर्च की गई थी। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
- सरकार से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/ प्रस्तुतीकरण में विलंब एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसने विधानमण्डल को इन निकायों के कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया है।
- संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों तथा उनके विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को प्रस्तुत नहीं करने से अपव्यय/ दुर्विनियोजन/ दुराचरण इत्यादि में वृद्धि की संभावना हो सकती है ।

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंर्तगत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज व्यय तथा प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि लेखाओं में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

4.18 अनुशंसाएं

1. विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्मोचित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समय पर प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए।
2. संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का वर्तमान नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित अवधि के अंदर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।
3. लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के मामलों को संबंधित स्वायत्त निकायों के साथ उठाया जाए।
4. संग्राही लघु शीर्ष-800 के परिचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।
5. 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक की परिसंपत्तियों और देयताओं को दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाए।

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

यह अध्याय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट हुआ है। पीएसयू में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित जम्मू एवं कश्मीर सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियाँ, संसद और सरकार द्वारा अधिनियमित संविधियों के तहत स्थापित सांविधिक निगम और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ (जीसीओसी) शामिल हैं। वर्ष 2021-22 (या विगत वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा इन पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने के पश्चात जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव पर भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें वह कंपनी सम्मिलित होती है जो एक सरकारी कंपनी की अनुषंगी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाये गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सनदी लेखाकारों को कंपनियों हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है, उन पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को

[1] कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनियों (कठिनाईयों का अपसारण) के सातवें आदेश, 2014 राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014

अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार है। संविधियों द्वारा शासित सांविधिक निगमों को उनके लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक है।

5.3 जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी में पीएसयू और उनका अंशदान

पीएसयू की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के संचालन हेतु की जाती है और यह जम्मू एवं कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 31 मार्च 2022 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में 42 पीएसयू थे। इनमें 39 सरकारी कंपनियाँ (छह[2] निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित), दो सांविधिक निगम और एक सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनी[3] शामिल हैं। इन पीएसयू के नाम **परिशिष्ट 5.1** में दिए गए हैं।

स्टॉक एक्सचेंज में एक पीएसयू (जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड) सूचीबद्ध है। छह निष्क्रिय पीएसयू (चार परिसमापनाधीन सहित) जिनका निवेश ₹57.57 करोड़ पूँजी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार: ₹56.59 करोड़ और अन्य: ₹0.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹0.83 करोड़ (जम्मू एवं कश्मीर सरकार: ₹0.83 करोड़ और अन्य) हैं। यह एक विवेचनात्मक क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय पीएसयू में निवेश जम्मू एवं कश्मीर की आर्थिक वृद्धि में अंशदान नहीं करता है। इसलिए सरकार इन निष्क्रिय पीएसयू को शीघ्र बंद करने पर विचार करे।

जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) हेतु पीएसयू के कुल कारोबार का अनुपात जम्मू एवं कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधियों के अंशदान को इंगित करता है। पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.1 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों के संदर्भ में पीएसयू के कुल कारोबार और जम्मू एवं कश्मीर के जीएसडीपी का विवरण उपलब्ध कराती है।

---

[2] (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र और (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड।

[3] चिनाब घाटी विद्युत परियोजना (प्राइवेट) लिमिटेड (सीवीपीपीपीएल), जेकेपीडीसीएल का एक संयुक्त उद्यम, राष्ट्रीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत निगम (एनएचपीसी) और विद्युत व्यापार निगम (पीटीसी) जिसमें जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया है।

तालिका 5.1: जम्मू एवं कश्मीर के जीएसडीपी की तुलना में पीएसयू के कुल कारोबार का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल कारोबार	11,298.17	10,590.68	10,515.82
जम्मू एवं कश्मीर का जीएसडीपी	1,64,135.00	1,70,201.00	1,95,118.00
जम्मू एवं कश्मीर के जीएसडीपी के लिए कुल कारोबार का प्रतिशत	6.88	6.22	5.39

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट और साल दर साल की तुलना हेतु पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखे।

जीएसडीपी में पीएसयू का अंशदान वर्ष 2019-20 में 6.88 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 5.39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2021-22 में पीएसयू के कुल कारोबार में प्रमुख अंशदानकर्त्ता जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (₹8,013.48 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,037.85 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹438.50 करोड़) थे।

5.4 पीएसयू में निवेश और बजटीय सहायता

5.4.1 (क) कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

वर्ष 2021-22 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निवेश के रूप में ₹69.37 करोड़ दर्ज किया। हालांकि, कंपनियों, निगमों और अन्य संबंधित निकायों ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹573.01 करोड़ का निवेश दिखाया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹503.64 करोड़ की भिन्नता थी।

₹69.37 करोड़ के कुल निवेश में से ₹53.12 करोड़ की राशि जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम (जेकेआरटीसी) में निवेश की गई है, जिसने वर्ष 2018-19 के लिए अपने विगत लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ₹117.62 करोड़ की हानि दर्ज की थी।

31 मार्च 2022 तक 39 कंपनियों (₹445.03 करोड़), दो सांविधिक निगमों (₹191.90 करोड़), आठ सहकारी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों (₹239.85 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹2.35 करोड़) में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का कुल ₹879.13 करोड़ का निवेश था। जेकेआरटीसी में ₹191.91 करोड़ और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में ₹409.15 करोड़ का निवेश किया गया है।

पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक 37 कंपनियों (₹4,157.86 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹368.31 करोड़), आठ सहकारी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों (₹47.83 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹45.82 करोड़) और दो ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹4,620.16 करोड़ का संचयी निवेश किया था, जिन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित

क्षेत्र लद्दाख के बीच द्विभाजन नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ और न ही सरकारी खातों में जमा किया गया। **तालिका 5.2(क)** सरकारी ऋण की औसत लागत की तुलना में निवेश पर वापसी की समग्र रूप से वर्णन करती है।

तालिका 5.2 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/ प्रतिफल/ ऋण की लागत	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	306.12	879.13
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत)	शून्य	शून्य
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (सार्वजनिक ऋण) (प्रतिशत)	7.82	7.94
ब्याज दर और प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	7.82	7.94
सरकारी ऋण की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर (₹ करोड़ में)#	23.94	69.80

 # वर्ष के अंत में निवेश एक्स ब्याज दर और वापसी के मध्य अंतर
100

स्रोत: वित्त लेखे।

.

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा अपनी ऋण पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 7.94 प्रतिशत थी, जिसके विरुद्ध सरकार को निवेश पर शून्य रिटर्न प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार की ऋण की लागत ₹23.94 करोड़ से बढ़कर ₹69.80 करोड़ हो गई है। तत्कालीन राज्य के ₹4,620.17 करोड़ के निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऋण लेने की लागत ₹436.64 करोड़ है।

5.4.1 (ख) इक्विटी धारिता एवं दिए गए ऋण

31 मार्च 2022 तक, 42 पीएसयू में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 5.3** में दिया गया है। इस निवेश का क्षेत्र-वार सारांश **तालिका 5.2 (ख)** में दिया गया है।

तालिका 5.2 (ख): जम्मू एवं कश्मीर सरकार का पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	पीएसयू की संख्या	निवेश				कुल निवेश	जम्मू कश्मीर सरकार का कुल निवेश
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण			
		कुल	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	कुल	जम्मू एवं कश्मीर सरकार		
विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	6	6,029.99	2,593.54	11,984.80	0.00	18,014.79	2,593.54
गैर-विद्युत क्षेत्र के पीएसयू	36	1,127.51	975.87	6,176.05	1,539.42	7,303.56	2,515.29
कुल	**42**	**7,157.50**	**3,569.41**	**18,160.85**	**1,539.42**	**25,318.35**	**5,108.83**

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

निवेश का जोर मुख्यत: विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र ने ₹25,318.35 करोड़ के कुल निवेश का 71.15 प्रतिशत (₹18,014.79 करोड़) आकृष्ट किया था। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने इसके ₹5,108.83 करोड़ के कुल निवेश का 50.77 प्रतिशत (₹2,593.54 करोड़) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश किया था।

5.4.2 पीएसयू को सब्सिडी और अनुदान

जम्मू एवं कश्मीर सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से, इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में पीएसयू को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों हेतु पीएसयू के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण और इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋणों के विरुद्ध बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है:

तालिका 5.3: वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान पीएसयू हेतु जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
		पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि	पीएसयू* की संख्या	राशि
1	इक्विटी पूँजीगत व्यय	3	2,616.82	7	83.47	3	554.32#
2	दिए गए ऋण	8	48.07	7	51.85	9	73.27
3	उपलब्ध कराए गए अनुदान/ सब्सिडी	12	100.50	11	3,016.38	14	2,845.52
	कुल व्यय		**2,765.39**		**3,151.70**		**3,473.11**
4	बट्टे खाते में डाले गए ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
5	इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण	-	-	2	152.42	-	-
6	जारी की गई प्रत्याभूतियाँ	-	-	-	-	3	5,404.59
7	बकाया प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	1,580.90	5	7,698.97	7	12,522.72

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

** पीएसयू की संख्या उन पीएसयू का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने एक या एक से अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के अंतर्गत बजट से व्यय प्राप्त किया है।*

 # इसमें जम्मू-कश्मीर बैंक के संबंध में ₹500 करोड़ शामिल हैं। अधिमानी आधार पर ₹29.82 प्रति शेयर (₹28.82 प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार को ₹एक (अंकित मूल्य) के 16,76,72,702 इक्विटी शेयर जारी किए गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता में वृद्धि मुख्य रूप से पांच विद्युत क्षेत्र के पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, को दिए गए अनुदान/ सब्सिडी के कारण हुई थी।

वर्ष 2021-22 में प्रत्याभूति प्रतिबद्धताओं में वृद्धि जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹1,209.83 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (₹10,321.83 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम (₹750.00 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹101.38 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड (₹91.61 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख वित्तीय निगम लिमिटेड (₹44.94 करोड़) और जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड (₹3.13 करोड़) के संबंध में थी।

5.4.3 जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाधान

पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों और बकाया प्रत्याभूतियों के संबंध में आँकड़े जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित आँकड़ों से सुमेलित होने चाहिए। आँकड़े सुमेलित नहीं होने की स्थिति में, संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को अंतरों का समाधान संचालित करना चाहिए। 31 मार्च 2022 तक पीएसयू द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ो के मध्य असंतुलन नीचे **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: मार्च 2022 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया ऋण	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों[4] के अनुसार राशि	अंतर
शेयर पूँजी	3,032.27	3,078.09	45.82
बकाया ऋण	884.24	1,238.52	354.28
प्रत्याभूतियाँ	1,209.83	1,212.96	3.13

(स्रोत: पीएसयू और वित्त लेखे से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

छह पीएसयू के संबंध में अंतर घटित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** में वर्णित है। आँकड़ो के मध्य अंतर विगत कई सालों से निरंतर है। अंतरों के समाधान का मामला

[4] मार्च 2022 तक के अलेखापरीक्षित वर्तमान आंकड़े।

भी समय-समय पर पीएसयू और विभागों के साथ उठाया गया था। बकाया ऋणों से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम, जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम में शेषों में मुख्य अंतर देखा गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार और संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से लेखाओं में अंतर का समाधान करना चाहिये।

5.4.4 पीएसयू में ऋण देयताओं को पूरा करने हेतु परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, कि क्या कोई कंपनी ऋण शोधन क्षम रह सकती है। ऋण शोधन क्षम मानने हेतु, किसी अधिष्ठान की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/ कर्जों की राशि से अधिक होना चाहिए। 20 पीएसयू, जिनके पास 30 सितंबर 2022 तक के अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्ति मूल्य द्वारा दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज नीचे **तालिका 5.5** में दी गई है।

तालिका 5.5: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋणों की कवरेज

पीएसयू की प्रकृति	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के विरुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के विरुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)			
सरकारी कंपनी	13	5,805.22	1,50,111.84	2,585.81	0	0	0	0
सांविधिक निगम	2	715.45	1,651.77	230.87	5	1,576.60	876.32	55.58
कुल	**15**	**6,520.67**	**1,51,763.61**	**2,327.42**	**5**	**1,576.60**	**876.32**	**55.58**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार)

5.4.5 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूँजीकरण

बाजार पूँजीकरण, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 तक, स्टॉक एक्सचेन्ज पर सूचीबद्ध ₹93.30 करोड़ की कुल प्रदत्त इक्विटी वाला केवल एक पीएसयू, अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड था। बैंक की ₹93.30 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी का अधिकांश भाग (70.12 प्रतिशत) जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा और शेष (29.88 प्रतिशत)[5] विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्ति एवं अन्य द्वारा प्रतिधारित है। जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार

[5] भारतीय म्यूचूअल फंड, बीमा कंपनियाँ, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय।

मूल्य 31 मार्च 2021 तक ₹1,901.35 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 तक ₹3,013.22 करोड़ था।

5.4.6 विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएसयू के विनिवेश, पुनर्संरचना और निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 पीएसयू से प्रतिफल

12 पीएसयू ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ सूचित किया था, जैसा कि **परिशिष्ट 5.5** में वर्णित है। सूचित किया गया अर्जित लाभ वर्ष 2020-21 में ₹520.12 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2021-22 में ₹566.10 करोड़ हो गया।

शीर्ष तीन पीएसयू का संक्षिप्त विवरण, जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया, **तालिका 5.6** में दिया गया है।

तालिका 5.6: शीर्ष तीन एसपीएसई जिन्होंने लाभ में अधिकतम योगदान दिया

एसपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एसपीएसई लाभ के विरुद्ध लाभ की प्रतिशतता
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	501.56	88.60
जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	20.42	3.61
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	12.23	2.16
कुल	**534.21**	**94.37**

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार)

यह देखा जा सकता है कि इन तीन एसपीएसई ने ₹566.10 करोड़ के कुल लाभ में 94.37 प्रतिशत का योगदान दिया था।

5.5.1 पीएसयू द्वारा लाभांश भुगतान

30 सितंबर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, 12 पीएसयू ने ₹566.10 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। किसी भी पीएसयू ने लाभांश[6] घोषित/ भुगतान नहीं किया था।

5.6 ऋण सेवा एवं विधिक अनुपालन

5.6.1 पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण की स्थिति

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

[6] केवल उन पीएसयू पर विचार किया गया था जिन्होंने वर्ष 2021-22 हेतु लेखाओं को प्रस्तुत किया था।

तालिका 5.7: दीर्घकालिक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में दीर्घकालिक ऋण		
	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	अन्य	कुल
2019-20	1,567.01	4,358.66	5,925.67
2020-21	1,437.72	10,852.46	12,290.48
2021-22	1,539.42	16,621.43	18,160.85

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार)

मार्च 2020 के अंत तक पीएसयू के दीर्घकालिक ऋण ₹5,925.67 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹18,160.85 करोड़ हो गया। वे मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेपीडीसीएल) और जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड (जेकेपीसीएल) द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹1,256.80 करोड़ और ₹6,012.24 करोड़[7] के दीर्घकालिक ऋणों के कारण लिए गए थे और वर्ष 2021-22 के दौरान जेकेपीसीएल और जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्तीय निगम द्वारा क्रमशः ₹4,309.59 करोड़ और ₹2,372.77 करोड़ का लाभ उठाया गया। पीएसयू के कुल दीर्घकालिक ऋण में जम्मू एवं कश्मीर सरकार का शेयर मार्च 2020 के अंत तक ₹1,567.01 करोड़ से घटकर मार्च 2021 के अंत तक ₹1,437.72 करोड़ हो गया और मार्च 2022 के अंत तक यह बढ़कर ₹1,539.42 करोड़ हो गया।

5.6.2 पीएसयू में ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता का निर्धारण करने हेतु किया जाता है और इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व (ईबीआईटी) कंपनी के उपार्जनों को उक्त अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतना ही कम होगी। एक से नीचे का आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए

[7] क्रय की गई विद्युत के कारण अतिदेयों के निपटान हेतु जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड के पक्ष में संस्वीकृत ₹11,024.47 करोड़ (विद्युत वित्त निगम लिमिटेड: ₹8,234.47 करोड़ और आरईसी लिमिटेड से: ₹2,790 करोड़) की राशि के एक विशेष दीर्घकालिक पारगमन ऋण सहित, जिसमें से वर्ष 2020-21 के दौरान ₹6,012.24 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹4,309.59 करोड़ की राशि के ऋण का लाभ उठाया गया है।

लेखाओं के अनुसार पीएसयू के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे **तालिका 5.8** में दिया गया है।

तालिका 5.8: पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	ब्याज कवरेज अनुपात वाले पीएसयू की संख्या	
				एक से अधिक	एक से कम
2017-18	413.61	872.62	17	6	11
2018-19	529.65	1,360.47	15	6	9
2019-20	493.47	-452.04	15	7	8
2020-21	529.36	1,031.19	14	7	7
2021-22	535.22	1,104.64	14	7	7

(स्रोतः पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 20201-22 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले 14 पीएसयू[8] में से, सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। जबकि, शेष सात पीएसयू का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जिसने इंगित किया कि ये सात पीएसयू अवधि के दौरान ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सके थे।

5.6.3 सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए दस पीएसयू के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2,694.51 करोड़ की राशि का ब्याज बकाया था। पीएसयू

[8] (ए) छह निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (3) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) (4) जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड और (5) जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, (6) जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, (बी) चार कार्यशील पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड, (2) एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन, (3) जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, (4) श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने प्रारंभ से अपने लेखे कभी प्रस्तुत नहीं किए। (सी) 12 पीएसयू, (1) जेकेबी वित्तीय सेवा लिमिटेड (2) जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड (4) जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन (6) श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (7) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड, (8) जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड और (9) जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (10) कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और (11) जम्मू एवं कश्मीर आईटी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड (12) जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है, (डी) पांच पीएसयू (1) जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, (2) जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड (3) जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और (4) जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (5) जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्तीय निगम प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने लेखा की अपनी बहियों में ब्याज के उपलब्ध नहीं कराया है, (ई) एक पीएसयू अर्थात सीवीपीपीएल क्योंकि इसकी सभी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

में सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण **तालिका 5.9** में किया गया है।

तालिका 5.9: सरकारी ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	जम्मू एवं कश्मीर सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बकाया ऋणों पर ब्याज	एक से तीन वर्षों के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बकाया ऋणों पर ब्याज	तीन वर्षों से अधिक के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बकाया ऋणों पर ब्याज
1.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	950.94	19.27	38.54	893.13
2.	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	753.59	39.39	118.17	635.43
3.	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	720.60	61.51	123.02	536.07
4.	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	88.17	0.00	0.00	88.17
5.	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	44.08	0.00	0.00	44.08
6.	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	17.37	1.10	3.52	12.75
7.	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम	2.61	0.00	0.00	2.61
8.	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	1.99	0.17	0.76	1.06
9	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.20	0.00	0.00	0.20
10	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (एस एंड ई) विकास निगम लिमिटेड	114.96	6.97	13.94	94.05
कुल		**2,694.51**	**128.41**	**297.95**	**2,307.55**

(स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

5.7 पीएसयू की परिचालन दक्षता

5.7.1 उत्पादन का मूल्य

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों और

नियोजित[9] पूँजी का ब्यौरा ***तालिका 5.10*** में दिया गया है।

तालिका 5.10: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियाँ और नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियाँ	नियोजित पूँजी
2019-20	11,298.17	1,26,488.40	5,960.28
2020-21	10,590.64	1,36,643.45	5,865.24
2021-22	10,515.82	1,48,646.69	7,381.74

(स्रोतः कंपनियों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार)

वर्ष 2019-20 में उत्पादन का मूल्य ₹11,298.17 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹10,515.82 करोड़ हो गया। हालांकि, वर्ष 2019-20 में कुल परिसंपत्तियाँ ₹1,26,488.40 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹1,48,646.69 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 में नियोजित पूँजी ₹5,960.28 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹7,381.74 करोड़ हो गया।

5.7.2 सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) वैकल्पिक निवेश अवसरों या बेंचमार्क निवेश अवसर की तुलना में समय के साथ निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु एक निष्पादन मापन है। जम्मू एवं कश्मीर सरकार का केवल एक पीएसयू, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ आरओआई की गणना **परिशिष्ट 5.6** में दी गई है। मार्च 2022 की समाप्ति पर विगत पाँच वर्षों के दौरान आरओआई का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया है।

तालिका 5.11: सूचीबद्ध पीएसयू में निवेश पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आरओआई[10]	409.61	361.60	182.79	243.81	291.95

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक आरओआई ने घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया, हालांकि, यह वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2017-18 से 2019-20

[9] नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय।

[10] आरओआई = (वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूँजीकरण में सरकार की हिस्सेदारी + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य + वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को सरकार की विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य) - (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी की छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सब्सिडी/ अनुदान का रियायती मूल्य)/ (प्रारंभ में सरकार की प्रदत्त इक्विटी + प्रारंभ में सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का छूट मूल्य + प्रारंभ में बैठक परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु निवेशित सब्सिडी/ अनुदान का छूट मूल्य)/ वार्षिक अवधियों में हस्तक्षेप की संख्या।

के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर भी 1.98 प्रतिशत से घटकर (-)2.05 प्रतिशत रह गई और वर्ष 2020-21 के दौरान इसमें (-)0.67 प्रतिशत तक और वर्ष 2021-22 के दौरान 0.14 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

5.7.3 सूचीबद्ध पीएसयू में नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)[11] एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[12] शेयरधारकों की निधि द्वारा दिए गए कर के पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड एकमात्र सूचीबद्ध कंपनी की आरओसीई और आरओई का विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है।

तालिका 5.12: सूचीबद्ध पीएसयू की आरओसीई एवं आरओई

(प्रतिशत में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आरओसीई	11.55	17.93	-23.18	15.50	14.56
आरओई	7.56	15.46	-61.63	21.00	20.47

आरओसीई और आरओई विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2019-20 को छोड़कर) के दौरान उच्च स्तर पर थे जो मुख्यत: जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था। वर्ष 2019-20 के दौरान आरओसीई और आरओई बैंक द्वारा उठाये गए नुकसान के कारण नकारात्मक थे।

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के संबंध में निवेश के वसूलीकृत मूल्य[13] पर आरओसीई की गणना की गई जो निम्नानुसार है।

तालिका 5.13: शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुए सूचीबद्ध पीएसयू हेतु आरओसीई

(प्रतिशत में)

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
10.12	16.17	-18.06	12.20	10.67

[11] आरओसीई = ब्याज और कर से पहले का उपार्जन/ नियोजित पूँजी। आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

[12] आरओई = कर के पश्चात् लाभ/ शेयरधारक निधि, शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार और अधिशेष - आस्थगित राजस्व व्यय – संचित हानियाँ।

[13] शेयर प्रीमियम सहित निवेश।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् आरओसीई (-)18.06 प्रतिशत से 16.17 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.4 गैर-सूचीबद्ध पीएसयू की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल और इक्विटी

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान गैर-सूचीबद्ध पीएसयू[14] की आरओसीई और आरओई का विवरण **तालिका 5.14** में दिया गया है।

तालिका 5.14: नियोजित पूँजी और इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीबीआईटी	पीएटी	नियोजित पूँजी[15]	शेयरधारकों की निधि	आरओसीई	आरओई
2017-18	391.70	-8.52	7,826.10	3,999.47	5.01	-0.21
2018-19	350.81	-29.92	7,779.10	3,811.35	4.51	-0.79
2019-20	480.33	117.26	7,878.91	3,433.16	6.10	3.42
2020-21	437.75	-119.66	7,593.02	3,040.39	5.77	-3.94
2021-22	437.10	-126.04	8,337.07	2,818.82	5.24	-4.47

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान आरओसीई की सीमा 4.51 प्रतिशत और 6.10 प्रतिशत के बीच रही एवं आरओई की सीमा (-)4.47 प्रतिशत और 3.42 प्रतिशत के बीच रही।

5.7.5 सरकारी निवेश पीएसयू पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

31 मार्च 2022 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की परंपरागत लागत को वर्तमान मूल्य पर लाने हेतु, निवेश की गई धनराशि के वर्तमान मूल्य की गणना की गई थी, जहाँ जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, इक्विटी में प्रत्यावर्तित ऋण के रूप में निवेश किया गया था। परिचालनात्मक और प्रबंधन खर्चों हेतु सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों की स्थापना से 31 मार्च 2022 तक परिचालनात्मक और प्रबंध खर्चों और अन्य उद्देश्य हेतु द्विभाजन उपलब्ध नहीं था।

इन उपक्रमों में पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई थी।

[14] छह निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर, चार पीएसयू के प्रारंभिक लेखे स्थापना के बाद से प्राप्त नहीं हुए थे, और एक कंपनी नामतः सीवीपीपीपीएल क्योंकि इसकी सभी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

[15] जेकेपीडीसीएल में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के योजना निधि आसव शामिल है।

- ब्याज मुक्त ऋणों को निधि निवेशन माना जाता है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों के घटाए गए शेषों पर की गई थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु, सरकार की ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचने हेतु छूट दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के विरुद्ध सरकार द्वारा व्यय की गई लागत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जेकेपीडीसीएल में इक्विटी के रूप में ₹5.00 करोड़ का निवेश किया। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भी पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कंपनी (1994-95) के आरंभ से योजना निधियाँ उपलब्ध कराई, जिन्हें द्विभाजित नहीं किया जा सका, उन पर विचार नहीं किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास विभाग को दी गई योजना निधि और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जेकेपीडीसीएल को हस्तातंरित परिसंपत्तियां, जिन्हें बाद में इक्विटी में प्रत्यावर्तित किया गया, वर्ष 2019-20 में इक्विटी अंशदान में जोड़ दिया गया है।
- जम्मू विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कश्मीर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर विद्युत संचार निगम लिमिटेड, और जेकेपीसीएल ने अपना परिचालन प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया था, इसलिए, वर्ष 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य हेतु इक्विटी के अंशदान पर विचार किया गया था।
- जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की पीवी गणना के उद्देश्य से, वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक की अवधि को पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश पर विचार करने हेतु लिया गया है।

पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किए गए निवेश की वर्ष-वार स्थिति और उन पीएसयू से संबंधित निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की गणना, जहाँ जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निवेश किया था, **परिशिष्ट 5.7** में इंगित की गई है।

वर्ष 2021-22 के अंत में इन पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की परंपरागत लागत वर्ष 1999-2000 के प्रारंभ में ₹352.29 करोड़ से बढ़कर ₹4,136.69 करोड़[16] हो गया। वर्ष 1999-2000 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने इक्विटी (₹3,662.11 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹139.79

[16] अथ शेष: (₹352.29 करोड़) + इक्विटी: (₹3,662.11 करोड़) + ब्याज मुक्त ऋण: (₹139.79 करोड़)- इक्विटी में प्रत्यावर्तित ब्याज मुक्त ऋण :(₹17.5 करोड़)।

करोड़) के रूप में निवेश किया। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जेकेपीडीसी में मार्च 2022 तक योजना निधि में ₹522 करोड़[17] का निवेश किया।

31 मार्च 2022 तक जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किए गए निवेश के पीवी की राशि ₹7,519.26 करोड़ थी। पीएसयू का निवल उपार्जन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹380.19 करोड़ था।

40[18] पीएसयू, जहाँ जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, के संबंध में इन पीएसयू की लाभप्रदता का आंकलन करने कि लिए निवेशों की तुलना में आय का विश्लेषण किया गया था, जो **तालिका 5.15** में दी गई है।

तालिका 5.15: प्रतिफल की वास्तविक दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का पीवी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	कुल आय[19]	आरओ-आरआर
2017-18	2,181.27	101.63	2,282.903	7.23	2,447.96	192.85	7.88
2018-19	2,447.96	143.92	2,591.876	7.20	2,778.49	434.33	15.63
2019-20	2,778.49	2632.7	5,411.19	7.20	5,800.80	-1,022.15	-17.62
2020-21	5,800.80	130.57	5,931.37	7.82	6,395.20	306.12	4.79
2021-22	6,395.20	570.95	6,966.15	7.94	7,519.26	372.64	4.96

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान, इन 40 पीएसयू का निवेश (वर्ष 2019-20 के अलावा) पर सकारात्मक प्रतिफल था। वर्ष 2021-22 के दौरान, ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश पर प्रतिफल 9.01 प्रतिशत था। हालांकि, निवेश के वर्तमान मूल्य पर विचार करने पर प्रतिफल की वास्तविक दर केवल 4.96 प्रतिशत थी।

5.8 हानि वाले पीएसयू

वर्ष 2021-22 के दौरान, उनके नवीवतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, 17 हानि वाले पीएसयू थे, जैसा कि **परिशिष्ट 5.8** में वर्णित है। वर्ष 2019-20 में इन पीएसयू को हुई हानि ₹1,354.96 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹186.28 करोड़ हो गई, जैसा कि उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार **तालिका 5.16** में दिया गया है।

---

[17] यह निवेश वर्ष 2018-19 से 2021-22 से किया गया था और इस अवधि से पहले के निवेश को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की इक्विटी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

[18] जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड और सीवीपीपीएल को छोड़कर, जहाँ जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था।

[19] नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार।

तालिका 5.16: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान हानि वाले पीएसयू का सारांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले पीएसयू की संख्या	वर्ष हेतु निवल हानि	संचित लाभ/ हानि	निवल मूल्य[20]
क. सांविधिक निगम				
2019-20	2	132.98	(-)1,563.95	(-)1,309.35
2020-21	1	117.62	(-)1,634.94	(-)1,426.98
2021-22	1	117.62	(-)1,634.94	(-)1,426.98
ख. सरकारी कंपनियाँ				
2019-20	11	1221.98	357.72	527.18
2020-21	14	93.71	(-)1,780.54	(-)1,643.83
2021-22	16	68.66	(-)1,120.03	(-)986.72
ग. सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी				
2019-20	0	-	-	-
2020-21	1	3.18	49.34	2,773.00
2021-22	0	-	-	-
कुल पीएसयू				
2019-20	13	1,354.96	(-)1,206.23	(-)782.17
2020-21	16	214.51	(-)3,366.14	(-)297.81
2021-22	17	186.28	(-)2,755.24	(-)2,413.70

स्रोतः 31 दिसंबर 2020, 30 नवंबर 2021 और 30 सितंबर 2022 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार

2021-22 में 17 पीएसयू द्वारा किए गए ₹186.28 करोड़ की कुल हानि में से, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम सूचना के अनुसार ₹177.70 करोड़ की हानि **तालिका 5.17** में सूचीबद्ध सात पीएसयू के कारण हुई, जिनमे प्रत्येक में ₹5 करोड़ से अधिक की हानि हुई। वर्ष 2019-20 के लिए अधिकांश हानि जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा प्रतिवेदित किए गए ₹1,139.41 करोड़ की हानि के कारण है। वर्ष 2020-21 में बैंक ने अपने परिचालनों में ₹428.45 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹501.56 करोड़ के लाभ को दर्शाया।

तालिका 5.17: ₹पाँच करोड़ से ज्यादा हानियाँ उठाने वाले पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	117.62
2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	20.54

[20] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूँजी और मुक्त भण्डार और अधिशेष कम संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भण्डार का अर्थ है लाभ से सृजित सभी आरक्षित और शेयर प्रीमियम लेखा, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित एवं ह्रास प्रावधान का प्रतिलेखन शामिल नहीं है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	निवल हानि (₹ करोड़ में)
3	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	10.25
4	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	8.60
5	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.38
6	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम	6.14
7	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	6.17

(स्रोतः 30 नवम्बर 2021 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखे)

यह अनुशंसित है कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार अपने घाटे में चल रहे पीएसयू के कार्यपद्धति की समीक्षा करे और उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार करे क्योंकि वे सरकारी खजाने पर अधिक वित्तीय भार डाल रहे थे।

5.8.1 पीएसयू में पूँजी का अपक्षरण

31 मार्च 2022 तक, ₹3,881.66 करोड़ की संचित हानि वाले 20 पीएसयू **(परिशिष्ट 5.9)** थे। इन 20 पीएसयू में से, 16 पीएसयू ने ₹184.26 करोड़ की राशि की हानि वहन की और चार पीएसयू ने हानि वहन नहीं की थी, जबकि उन्हें ₹1,133.63 करोड़ की संचित हानि हुई थी। 20 पीएसयू में से, 13 पीएसयू का निवल मूल्य संचित हानि द्वारा अपक्षरित हो गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹505.42 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरुद्ध इन 13 पीएसयू का निवल मूल्य (-)₹3,368.15 करोड़ था। इन 13 पीएसयू में से, जिनकी पूँजी का अपक्षरण हुआ था, वर्ष 2021-22 के दौरान तीन पीएसयू ने ₹3.29 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। 13 पीएसयू का विवरण आगे दिया गया है।

तालिका 5.18: उन पीएसयू का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अंतिमीकृत खातों के अनुसार कम हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अंतिमीकृत खातों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज और कर के बाद कुल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित लाभ / हानि	निवल संपत्ति	राज्य सरकार की इक्विटी (31 मार्च 2022 तक)	राज्य सरकार ऋण (31 मार्च 2022 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जम्मू एवं कश्मीर	2018-19	3.54	0.04	-50.30	-46.76	2.60	25.19

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अंतिमीकृत खातों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज और कर के बाद कुल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित लाभ / हानि	निवल संपत्ति	राज्य सरकार की इक्विटी (31 मार्च 2022 तक)	राज्य सरकार ऋण (31 मार्च 2022 तक)
	कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड							
2	जम्मू एवं कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	9.20	-10.25	-134.76	-125.56	6.80	11.75
3	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	47.37	-6.17	-49.35	-1.98	21.97	61.03
4	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	17.65	-20.54	-146.99	-129.34	17.64	22.72
5	जम्मू एवं कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	16.27	0.07	-907.17	-890.90	16.27	264.99
6	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	8.52	-8.60	-170.06	-161.54	7.08	64.72
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.99	-1.28	-132.99	-128.00	3.49	71.46
8	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.03	-3.99	-249.13	-240.10	9.03	18.06
9	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	8.00	-8.38	-225.01	-216.85	8.00	169.78
10	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम	2018-19	172.89	3.18	-172.97	-0.08	172.35	10.48

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	अंतिमीकृत खातों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज और कर के बाद कुल लाभ (+)/ हानि (-)	संचित लाभ / हानि	निवल संपत्ति	राज्य सरकार की इक्विटी (31 मार्च 2022 तक)	राज्य सरकार ऋण (31 मार्च 2022 तक)
11	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.05	0.00
12	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.05	0.00
13	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	2018-19	207.96	-117.62	-1,634.94	-1,426.98	387.86	780.61
	कुल योग		**505.42**		**-3,873.73**	**-3,368.15**		

नोट: कॉलम 8 और 9 अलेखापरीक्षित आंकड़े हैं।

5.9 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

5.9.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य सरकार कंपनी और राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[21] के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने और सांविधिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरण या टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों को आवश्यक है कि उनके लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाये और एक प्रतिवेदन राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाये।

[21] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें राज्य सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी का 51 प्रतिशत से कम नहीं हो, और इसमें एक कंपनी शामिल है, जो सरकारी कंपनी की अनुषंगी है। केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.10 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयू के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) उपबंधित करती है कि एक राज्य सरकार की कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है।

5.11 पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना है और इस तरह की तैयारी के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए। सांविधिक निगमों में विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग एक जैसे प्रावधान विद्यमान हैं। यह क्रियाविधि राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण का उपबंध करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करना अपेक्षित है। यह भी उल्लेख है कि एक एजीएम की तिथि और अगली एजीएम की तिथि के मध्य 15 महीनों से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह उपबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचारार्थ उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन हेतु उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का भी उपबंध करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2022 तक विभिन्न पीएसयू के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसा कि निम्नलिखित कंडिका में वर्णित है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2022 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 40 सरकारी कंपनियाँ थीं। इनमें से, वर्ष 2021-22 हेतु 34 सरकारी

कंपनियों[22] के लेखे देय[23] थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केवल तीन सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 को या उससे पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु अपने लेखे प्रस्तुत किए थे।

31 सरकारी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। इनके लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण नीचे ***तालिका 5.19*** में दिया गया है।

तालिका 5.19: लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों का विवरण

विवरण		**कुल**
31.03.2022 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या		40
कम: नई कंपनियाँ जिनके लेखे वर्ष 2021-22 हेतु बकाया नहीं थे		0
कम: परिसमापनाधीन/ निष्क्रिय[24] कंपनियाँ		6
कंपनियों की संख्या जिनसे 2021-22 हेतु लेखे देय थे		34
30 सितम्बर 2022 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2021-22 के लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		3
बकायों में लेखाओं वाली कंपनियों की संख्या		31
बकायों का अलग-अलग विवरण	(i) निष्क्रिय	0
	(ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	4
	(iii) अन्य	27
'अन्य' श्रेणी के विरुद्ध बकायों का अवधि-वार विश्लेषण	एक वर्ष तक (2021-22)	3
	दो वर्ष तक (2020-21 और 2021-22)	7
	तीन वर्ष और अधिक	24

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन पीएसयू में जम्मू एवं कश्मीर सरकार निवेश की स्थिति को इन कंपनियों के विवरण के साथ **परिशिष्ट 5.10** में इंगित किया गया है।

5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में सामयिकता

31 मार्च 2022 तक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दो सांविधिक निगम थे। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों में से, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा

[22] निष्क्रिय कंपनियों को छोड़कर।

[23] लेखाओं को प्रस्तुत करने हेतु देय तिथि 30 सितम्बर 2022 तक तय की गई थी।

[24] जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड, तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (परिसमापनाधीन); जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (निष्क्रिय)।

सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

वर्ष 2019-20 और 2021-22 हेतु जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम और जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम के लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्रतीक्षित थे।

बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान इन निगमों में जम्मू एवं कश्मीर सरकार निवेश की स्थिति को इन निगमों के विवरण के साथ **परिशिष्ट 5.10** में इंगित किया गया है।

5.12 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निहित प्रारूप में और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में, लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से वित्तीय विवरणों को तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों को अपने लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाये गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करना आवश्यक है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का अनुवीक्षण करके पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है और इस समग्र उद्देश्य के साथ निरीक्षण करता है कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें समनुदेशित किए गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगें। निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग करके इस कार्य का निर्वहन किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर अनुपूरण या टिप्पणी करना।

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु मुख्य उत्तरदायित्व एक अधिष्ठान के प्रबंधन का है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर एक मत अभिव्यक्त करने हेतु उत्तरदायी हैं, जोकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की मानक लेखापरीक्षा रीतियों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश पर आधारित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करके की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, तो उन्हें वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।

5.13 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

वर्ष 2021-22 (या पूर्ववर्ती वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित पीएसयू के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की स्थिति पर अगली कंडिका में चर्चा की गई है।

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2022 तक दो[25] सरकारी कंपनियों और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी[26] से प्राप्त हुए थे। इनमें से दो[27] सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

1 दिसंबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि के दौरान 11 पीएसयू के संबंध में पिछले वर्षों के 31 लेखे भी प्राप्त हुए थे, जिनमें से 21 लेखाओं के संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गई थी तथा 10 लेखे 30 सितंबर 2022 तक लंबित थे। इसके

[25] जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड और जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड।

[26] चिनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड।

[27] वर्ष 2021-22 हेतु जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र दिया गया था।

अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित छह पीएसयू के 36 लेखे, जो 1 दिसंबर 2021 से पहले प्राप्त हुए थे, उनकी भी वर्तमान वर्ष के दौरान समीक्षा की गई और छह पीएसयू के इन सभी 36 लेखाओं हेतु टिप्पणियाँ जारी की गई थी।

5.14 अनुशंसाएं

1. सरकार उन पीएसयू को, जिनके लेखे बकाया हैं, वित्तीय विवरणों को शीघ्र अंतिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि उन्हें अंतिम रूप देने के अभाव में, ऐसे पीएसयू में सरकारी निवेश विधायी पर्यवेक्षण से बाहर रहते हैं; और
2. सरकार को निष्क्रिय पीएसयू के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने से संबंधित निर्णय लेने में शीघ्रता करने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन प्रयोजनों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिये उन्हें स्थापित किया गया था।

श्रीनगर/ जम्मू
दिनांक: 21 फरवरी 2023

(प्रमोद कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मार्च 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ कंडिका :1.5)

संघ शासित क्षेत्र सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े[1]

(₹ करोड में)

भाग-क प्राप्तियां			
राजकोषीय औसत	**31/10/2019 से 31/03/2020**	**2020-21**	**2021-22**
1. राजस्व प्राप्तियां (क) + (ख)	**22,557.34**	**52,495.48**	**59,238.50**
(क) कर राजस्व	**4,056.49**	**8,876.99**	**11,707.28**
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वंय के करों से राजस्व	4,056.49	8,876.99	11,707.28
जिनमें से			
राज्य माल और सेवा कर	2,115.75	4,839.35	6,394.31
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	782.43	1,495.61	1,906.31
राज्य उत्पाद शुल्क	587.67	1,347.42	1,782.79
वाहनों पर कर	246.08	488.38	616.24
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	117.54	325.54	512.02
भू राजस्व	48.32	60.57	113.28
अन्य कर	158.70	320.12	382.33
(ii) केंद्रीय करों और शुल्कों में संघ शासित क्षेत्र की हिस्सेदारी	0.00	0.00	0.00
(ख) गैर-कर राजस्व	**18,500.85**	**43,618.49**	**47,531.22**
(i) संघ शासित क्षेत्र के स्वंय के गैर-कर राजस्व	2,062.77	4,076.38	4,840.45
जिनमें से			
विद्युत विभाग की प्राप्तियां	1,196.66	2,349.74	2,715.75
(ii) केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	16,438.08	39,542.11	42,690.77
राज्य के स्वंय के राजस्व	6,119.26	12,953.37	16,547.73
केंद्र से राजस्व हस्तांतरण (क) (ii) + (ख) (ii)	16,438.08	39,542.11	42,690.77
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण एवं अग्रिमों की वसूली)	2.34	1.93	1.03
3. सकल सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (अर्थोपाय अग्रिमों की प्राप्तियों सहित)	16,647.37	42,732.93	54,045.36
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (1+2+3)	**39,207.05**	**95,230.34**	**1,13,284.89**
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0.00	25.00	0.00
6. सकल लोक लेखा प्राप्तियां (विभागीय नकद चेस्ट और नकद शेष निवेश में प्राप्तियों सहित)	11,364.19	24,833.82	27,223.48
सकल प्राप्तियां (4+5+6)	**50,571.24**	**1,20,089.16**	**1,40,508.37**
सार्वजनिक लेखा प्राप्तियां (निवल) विभागीय नकद चेस्ट और नकद शेष निवेश में प्राप्तियों सहित	**3,604.34**	**1,464.16**	**-1,319.63**

[1] एक करोड़ का अंतर, जहां भी आता है, पूर्णांकित करने के कारण है।

भाग–ख संवितरण			
राजकोषीय औसत	**31/10/2019 से 31/03/2020**	**2020-21**	**2021-22**
1. राजस्व व्यय (क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)	**22,719.43**	**52,633.75**	**59,269.33**
(क) सीएसएस/ सीए	637.96	1,740.45	2,007.69
(ख) सामान्य/औसत/ राज्य निधि व्यय	22,081.47	50,893.30	57,261.64
(i) सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	9,383.75	25,521.16	29,639.86
(ii) सामान्य सेवाएं	8,614.74	19,471.70	20,933.14
(iii) आर्थिक सेवाएं	4,720.94	7,640.89	8,696.33
2. पूंजीगत व्यय (क) + (ख)=(i) + (ii) + (iii)	**5,422.20**	**10,470.38**	**11,047.04**
(क) सीएसएस/सीए	1,861.63	4,294.25	3,407.58
(ख) सामान्य	3,560.57	6,176.13	7,639.45
(i) सामान्य सेवाएं	733.57	776.24	659.03
(ii) सामाजिक सेवाएं	1,492.93	2,492.57	2,722.61
(iii) आर्थिक सेवाएं	3,195.70	7,201.57	7,665.40
3. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**38.14**	**61.64**	**73.77**
4. कुल (1+2+3)	**28,179.77**	**63,165.77**	**70,390.14**
5. सकल लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान सहित) जिसमें	**13,149.34**	**33,563.32**	**41,575.17**
आंतरिक ऋण (ओवरड्राफट और अर्थोपाय अग्रिम को छोडकर)	985.31	4,134.06	4,067.96
अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-295.18	-1,784.54	499.54
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम (प्रतिसंदाय)	58.91	118.34	119.18
6. आकस्मिकता निधि का विनियोजन	**0.00**	**25.00**	**0.00**
7. समेकित निधि से सकल संवितरण (4+5+6)	**41,329.11**	**96,754.09**	**1,11,965.31**
8. आकस्मिकता निधि संवितरण	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9. सकल लोक लेखा संवितरण	**7,759.85**	**23,369.66**	**28,543.10**
10. सकल संवितरण (7+8+9)	**49,088.96**	**1,20,123.75**	**1,40,508.41**
11. नकद शेष में वृद्धि	**1,482.28**	**-34.59**	**-0.04**
12 कुल योग	**50,571.24**	**1,20,089.16**	**1,40,508.37**

भाग–ग घाटे			
राजकोषीय औसत	**31/10/2019 से 31/03/2020**	**2020-21**	**2021-22**
1. राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-) (राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय)	**-162.09**	**-138.27**	**-30.83**
2. राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) (लोक ऋण और अन्य देयताएं- कुल गैर-ऋण प्राप्तियों) में उन्मोचन को छोडकर कुल व्यय)	**5,620.09**	**10,693.36**	**11,150.60**
3. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान)	**3,088.46**	**4,320.90**	**3,790.29**
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**2,531.63**	**6,372.46**	**7,360.31**
5. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**3,998.98**	**6,531.86**	**4,870.85**
6. उपभोग किए गए अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	**132 (51 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)**	**318 (58 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)**	**125 (78 दिनों पर ओवरड्राफ्ट)**
7. डब्ल्यूएमए/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**12.87**	**40.13**	**61.64**
8. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**16,647.37**	**42,732.93**	**54,045.36**
9. वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी[2])	**1,64,135**	**1,70,201**	**1,95,118**
10. बकाया लोक ऋण[3] (वर्ष के अंत में) लोक लेखा को छोडकर	**3,498.03**	**12,667.64**	**25,137.83**
11. बकाया गारंटियाँ (वर्ष के अंत में) ब्याज सहित	**1,324.54**	**1,486.07**	**12,328.80**
12. अधिकतम राशि की गारंटी (वर्ष के अंत में)	**5,204.84**	**12,564.18**	**13,449.49**
13. अधूरी परियोजनाओं की संख्या	**अनुपलब्ध**	**165**	**397**
14. अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**अनुपलब्ध**	**464.91**	**1,095.53**
कुल व्यय / जीएसडीपी *(प्रतिशत)*	अनुपलब्ध	35.83	36.08
राजस्व प्राप्तियाँ / कुल व्यय *(प्रतिशत)*	80.05	83.11	84.16
राजस्व व्यय / कुल व्यय*(प्रतिशत)*	80.62	83.33	84.20
सामाजिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय*(प्रतिशत)*	35.87	34.77	33.61
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय *(प्रतिशत)*	28.09	23.50	23.24
पूंजीगत व्यय / कुल व्यय *(प्रतिशत)*	19.24	16.58	15.69
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय*(प्रतिशत)*	16.64	15.35	14.76
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष/राजस्व घाटा	-	-0.08	-0.02
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	-	6.28	5.71
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा	-	2.54	1.94
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा *(प्रतिशत)*	-	-1.29	-0.28
देनदारियां / जीएसडीपी[4] *(प्रतिशत)*	-	8.74(57.82)	11.99(54.80)
देयताएं / राजस्व प्राप्तियाँ*(प्रतिशत)*	-	32.35	49.52
ऋण उन्मोचन (प्रधान राशि +ब्याज) वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियाँ *(प्रतिशत)*	89	89	87
निवेश पर रिटर्न	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ देयताएं	98	98	99

स्रोत: वित्त लेखा

[2] जीएसडीपी के आंकड़े एमओएसपीआई की वेबसाइट से लिए गए हैं।

[3] केंद्र सरकार से केवल आंतरिक ऋण और ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

[4] जीएसडीपी की देयता को एक के बाद एक ऋणों को घटाकर निकाली गई है और जीएसडीपी की देयता तत्कालिन राज्य की देयता को शामिल करने के पश्चात, जिसे अभी द्विभाजीत किया जाना बाकी है, ब्रैकेट में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ कंडिका :1.5.1)
वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹ करोड में)

प्राप्तियाँ			**संवितरण**		
विभिन्न मदें	2021-22	2021-22	**विभिन्न मदें**	2021-22	2021-22
1	2	3	4	5	6
खंड-क: राजस्व					
I. राजस्व प्राप्तियाँ		**59,238.50**	**I. राजस्व व्यय**		**59,269.33**
स्वयं के कर-राजस्व	***11,707.28***		**सामान्य सेवाएं**		***29,639.86***
			सामाजिक सेवाएं		***20,933.14***
गैर-कर राजस्व	***4,840.45***		शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	*10,851.32*	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	*4,977.19*	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	*0.00*		जलापूर्ति,स्वच्छता/ एचएंडयूडी	*2,539.46*	
			सूचना एवं प्रसारण	*84.94*	
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं			अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	*105.4*	
वित्त आयोग के अनुदान	*0.00*		श्रम एव श्रम कल्याण	*56.95*	
भारत सरकार से अनुदान (राज्यों को अन्य अनुदान/ हस्तांतरण)	**42,690.77**		समाज कल्याण और पोषण	*2,270.18*	
			अन्य	*47.70*	
			आर्थिक सेवाएं		**8,696.33**
			कृषि एवं संबद्द गतिविधियाँ	*3,073.53*	
			ग्रामीण विकास	*517.45*	
			विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम	*0.00*	
			सिंचाई और बाढ नियंत्रण	*612.07*	
			ऊर्जा	*3131.1*	
			उद्योग एवं खनिज	*370.25*	
			परिवहन	*420.79*	
			विज्ञान,प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*45.16*	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	*325.98*	
II. खंड-ख में अग्रनीत राजस्व घाटा		**30.83**	**II. खंड-ख में अग्रनीत राजस्व अधिशेष**		
कुल खंड-क		**59,269.33**	**कुल खंड-क**		**59,269.33**

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विभिन्न मदें	**2021-22**	**2021-22**	**विभिन्न मदें**	**2021-22**	**2021-22**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
खंड ख: पूंजी					
III. स्थायी अग्रिमों और नकद शेष निवेश सहित आरंभिक नकद शेष		**1,447.69**	**III. पूंजीगत परिव्यय**		**11,047.04**
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		**0.00**	**सामान्य सेवाएं**		**659.03**
			सामाजिक सेवाएं		**2,722.60**
			शिक्षा, खेल-कूद , कला और संस्कृति	*572.31*	
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	*636.78*	
			जलापूर्ति, स्वच्छता /एचएंडयूडी	*835.40*	
			सूचना एवं प्रसारण	*0.22*	
			अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	*125.35*	
			समाज कल्याण और पोषण	*536.57*	
			अन्य सामाजिक सेवाएं	*15.97*	
			आर्थिक सेवाएं		**7,665.40**
			कृषि और संबद्द गतिविधियाँ	*796.24*	
			ग्रामीण विकास	*1,267.65*	
			विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	*0.00*	
			सिचाई और बाढ नियंत्रण	*142.37*	
			ऊर्जा	*1,230*	
			उद्योग और खनिज	*129.21*	
			परिवहन	*2,667.58*	
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*52.61*	
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	*1,379.74*	
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		**1.03**	**IV.ऋण एवं अग्रिम संवितरण**		**73.77**
उद्योग और खनिज	*0.21*		उद्योग और खनिज	*33.77*	

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विभिन्न मदें	**2021-22**	**2021-22**	**विभिन्न मदें**	**2021-22**	**2021-22**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
सरकारी सेवक	*0.04*		परिवहन	*40.00*	
अन्य	*0.78*		अन्य	*0.00*	
VI. राजस्व अधिशेष			**V. राजस्व घाटा**		**30.83**
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		**17,942.33**	**VI. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		**5,472.14**
अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*14,096.83*		अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	*4,067.96*	
जीओआई से ऋण एवं अग्रिम	*3,845.49*		जीओआई से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	119.18	
निवल अर्थोपाय अग्रिम			निवल अर्थोपाय अग्रिम	*1,285*	
VIII. आकस्मिकता निधि का विनियोजन		**0.00**	**VII. आकस्मिकता निधि का विनियोजन**		**0.00**
IX. आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति राशि		**0.00**	**VIII-आकस्मिकता निधि से व्यय**		**0.00**
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		**27,223.48**	**IX-लोक लेखा संवितरण**		**28,543.10**
लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	*6,023.99*		लघु बचतें और भविष्य निधियाँ	*6,618.55*	
आरक्षित निधियाँ	*432.90*		आरक्षित निधियाँ	*283.90*	
जमा राशियाँ और अग्रिम	*4,282.24*		जमा राशियाँ और अग्रिम	*3,951.73*	
उचंत और विविध	*16,438.34*		उचंत और विविध	*16,310.11*	
प्रेषण	*46.01*		प्रेषण	*1,378.82*	
			X. अंत में नकद शेष		**1,447.65**
			बैंक के पास जमा राशियाँ	**1,447.65**	
कुल खंड-ख		**46,614.53**	**कुल खंड-ख**		**44,614.53**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ -

1. *पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखाओं में की गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढा जाए।*
2. *सरकारी लेखे मुख्यतः नकद के आधार पर होने के कारण,वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत सरकारी लेखाओं में घाटा नकद आधार पर स्थिति इंगित करता है। परिणामस्वरुप, स्टॉक आकंडो आदि पर, मूल्यह्रास या भिन्नता वाली मदें या भुगतान या प्राप्य मदें लेखाओं में नहीं होती है।*
3. *उचंत और विविध शेषों में जारी किए गए, परंतु भुगतान नहीं किए गए चेकों और यूटी की ओर से किया गया भुगतान एवं अन्य लंबित निपटान आदि शामिल है।*

परिशिष्ट 1.2 (पूर्ववत जारी)

31 मार्च 2022 तक संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड में)

31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक	
देयताएं				
	10,562.21	**आंतरिक ऋण**		**19,306.08**
9,435.22		ब्याज वाले बाजार ऋण	**15,022.22**	
(-)169.64		एलआईसी से ऋण	301.22	
1,296.63		अन्य संस्थानों से ऋण	3,712.64	
	2,105.44	**केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**5,831.75**
0.00		1984-85 से पहले के ऋण	0.00	
0.00		गैर–नियोजित ऋण	0.00	
(-)175.81		राज्य / संघ शासित क्षेत्रों की ऋण योजनाओं के लिए ऋण	(-)293.72	
2,281.25		विधायी योजनाओं वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए अन्य ऋण	6,125.47	
	25	**आकस्मिकता निधि**		**25**
	2,185.97	**लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आदि**		**1,591.41**
	771.13	**आरक्षित निधियाँ**		**920.13**
	1,355.53	**जमा राशियाँ**		**1686.04**
	634.50	**प्रेषण शेष**		**0.00**
	121.14	**उचंत और विविध शेष**		**249.38**
	0.00	**सरकारी लेखा पर अधिशेष**		**0.00**
		मशीन संख्या में अंतर		**0.02**
	17,760.92	**कुल**		**29,609.81**

31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक	
परिसंपत्तियां				
	15,892.58	**अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**26,939.61**
162.39		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	235.40	
15,730.19		अन्य पूंजीगत परिव्यय	26,704.21	
	95.51	**ऋण एवं अग्रिम**		**168.26**
40.13		उद्योग और खनिज	73.89	
55.50		परिवहन	95.50	
		ऊर्जा		
		कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ		
0.50		अन्य विकास ऋण	0.27	
(-)0.62		सरकारी सेवकों को ऋण और विविध ऋण	(-)1.40	
	0.00	**अग्रिम**		**0.00**
	0.00	**उचंत और विविध शेष**		**0.00**
	0.00	प्रेषण शेष		**698.32**
	0.00	आकस्मिकता निधि से (प्रतिपूर्ति रहित)		**0.00**
	25.00	आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)		-
	1,447.69	नकद		**1,447.65**
0.00		कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण		
1,447.69		बैंक के पास जमा		
	300.14	प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य		**355.97**
	17,760.92	**कुल**		**29,609.81**

स्रोतः तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 30/10/2019 को समाप्त होने वाली वित्त लेखा परिसंपत्ति और देयता संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच द्विभाजित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ कंडिका: 3.3.1)

विधि के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	मुख्य लेखा शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
1	3	3454	0.03	1
2	8	2030, 2075, 2235,2049, 6003 एवं 6004	21,364.56	17
3	11	4851	0.45	2
4	12	4401 एवं 4402	7.32	3
5	16	5504	4.01	1
6	17	2210	0.59	3
7	18	2235 एवं 2236	0.28	2
8	21	2406 एवं 4406	0.03	2
9	27	4402	0.63	1
10	33	2245	268.26	1
कुल			**21,646.17**	**33**

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ कंडिका: 3.3.3)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
I- राजस्व (दत्तमत)					
1	2- गृह विभाग	8,865.06	363.26	7,464.15	1,400.91
2	3- योजना विभाग	130.54	8.20	98.72	31.82
3	15- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	278.02	1.43	159.80	118.22
4	17-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	5,605.58	302.14	4,977.19	628.39
5	18-समाज कल्याण विभाग	2,506.02	461.77	1,960.68	545.34
6	19-आवास एवं नगरीय विकास विभाग	896.73	19.73	755.78	140.95
7	21- वन विभाग	1,534.00	1.99	1,150.09	383.91
8	27- उच्च शिक्षा विभाग	1,365.24	33.27	1,206.67	158.57
9	30- जनजातीय कार्य विभाग	104.72	24.92	65.24	39.48
10	36-सहकारिता विभाग	65.17	9.36	48.87	16.30
कुल -I		**21,351.08**	**1,226.07**	**17,887.19**	**3,463.89**
II-राजस्व (प्रभारित)					
11	1-सामान्य प्रशासन विभाग	25.23	2.85	24.89	0.34
12	10- विधि विभाग	78.50	2.51	56.67	21.83
कुल -II		**103.73**	**5.36**	**81.56**	**22.17**
III-पूंजीगत (दत्तमत)					
13	3- योजना विभाग	1,017.00	655.46	473.67	543.33
14	8- वित्त विभाग	1,901.48	129.88	1,230.32	671.16
15	13- पशु/ भेड़ पालन विभाग	235.92	8.82	124.39	111.53
16	16-लोक निर्माण विभाग	4,088.87	1,515.72	2,956.70	1,132.17
17	17-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,455.83	114.83	636.79	19.04

क्र.सं	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
18	18-समाज कल्याण विभाग	173.77	19.37	69.29	104.48
19	19-आवास एवं नगरीय विकास विभाग	2,709.99	171.95	660.41	2,049.58
20	26-मत्स्य विभाग	102.11	6.19	31.17	70.94
21	30- जनजातीय कार्य विभाग	273.43	8.80	107.93	165.50
22	32-उद्यानिकी विभाग	400.09	57.33	265.70	134.39
कुल -III		**12,358.49**	**2,688.35**	**6,556.37**	**5,802.12**
सकल कुल		**33,813.30**	**3,919.78**	**24,525.12**	**9,288.18**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ कंडिका: 3.4)

अधिक बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
1	1	**सामान्य प्रशासनिक विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	528.94	399.40	129.54			
		प्रभारित	28.08	24.89	3.19			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	189.35	16.96	172.38		172.38	91%
		कुल	**746.36**	**441.25**	**305.11**	**41%**		
2	2	**गृह विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	9,228.32	7,464.15	1,764.17			
		पूंजीगत						
		दत्मत	971.28	186.88	784.39		784.39	81%
		कुल	**10,199.60**	**7,651.03**	**2,548.56**	**25%**		
3	3	**योजना एवं विकास विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	138.74	98.72	40.02			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	1,672.46	473.67	1,198.79		1,198.79	72%
		कुल	**1,811.20**	**572.39**	**1,238.81**	**68%**		
4	6	**विद्युत विकास विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	5,216.69	3,131.10	2,085.58			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	2,708.12	1,230.00	1,478.12		1,478.12	55%

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
		कुल	**7,924.81**	**4,361.10**	**3,563.71**	**45%**		
5	*7*	**शिक्षा विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	10,206.03	9,141.15	1,064.88			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	795.24	306.85	488.39		488.39	61%
		कुल	**11,001.27**	**9,448.00**	**1,553.27**	**14%**		
6	10	**विधिक विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	568.35	285.38	282.97			
		प्रभारित	81.01	56.67	24.34			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	116.00	56.43	59.57			
		कुल	**765.36**	**398.48**	**366.88**	**48%**		
7	11	**उद्योग एवं वाणिज्य विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	377.96	277.14	100.83			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	415.96	146.73	269.23		269.23	65%
		कुल	**793.92**	**423.87**	**370.05**	**47%**		
8	12	**कृषि विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	1,240.42	1,091.81	148.62			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	1,182.54	182.74	999.80		999.80	85%
		कुल	**2,422.96**	**1,274.55**	**1,148.42**	**47%**		
9	13	**पशु/ भेड़ पालन विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	614.30	554.98	59.32			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	244.74	124.39	120.35		120.35	49%

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
		कुल	**859.04**	**679.37**	**179.68**	**21%**		
10	14	**राजस्व विभाग-**						
		राजस्व						
		दत्तमत	785.20	521.64	263.56			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	37.45	7.02	30.43			
		कुल	**822.65**	**528.66**	**294.00**	**36%**		
11	15	**खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	279.46	159.80	119.65			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	303.66	118.51	185.15		185.15	61%
		कुल	**583.12**	**278.31**	**304.81**	**52%**		
12	16	**लोक निर्माण विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	1,182.25	1,286.62	-			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	5,604.59	2,956.70	2,647.89		2,647.89	47%
		कुल	**6,786.83**	**4,243.32**	**2,543.51**	**39%**		
13	17	**स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	5,907.72	4,977.19	930.53			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	1,570.67	636.79	933.88		933.88	59%
		कुल	**7,478.38**	**5,613.97**	**1,864.41**	**25%**		
14	18	**सामाजिक कल्याण विभाग**						

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
		राजस्व						
		दत्तमत	2,967.79	1,960.68	1,007.10			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	193.14	69.29	123.85		123.85	64%
		कुल	**3,160.93**	**2,029.97**	**1,130.96**	**36%**		
15	19	**आवास एवं शहरी विकास विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	916.46	755.78	160.68			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	2,881.94	660.41	2,221.53		2,221.53	77%
		कुल	**3,798.40**	**1,416.19**	**2,382.21**	**63%**		
16	20	**पर्यटक विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	216.50	132.51	83.99			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	251.84	124.45	127.39		127.39	51%
		कुल	**468.34**	**256.96**	**211.38**	**45%**		
17	21	**वन विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	1,535.99	1,150.09	385.90			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	191.75	112.87	78.89			
		कुल	**1,727.74**	**1,262.95**	**464.79**	**27%**		
18	22	**सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	696.16	583.54	112.62			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	769.19	125.22	643.97		643.97	84%
		कुल	**1,465.35**	**708.76**	**756.59**	**52%**		

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
19	23	**जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	1,831.63	1,700.76	130.87			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	2,107.25	174.99	1,932.26		1,932.26	92%
		कुल	**3,938.88**	**1,875.76**	**2,063.13**	**52%**		
20	27	**उच्चतर शिक्षा विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	1,398.51	1,206.67	191.84			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	762.25	197.45	564.80		564.80	74%
		कुल	**2,160.76**	**1,404.12**	**756.64**	**35%**		
21	28	**ग्रामीण विकास विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	686.01	522.70	163.31			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	4,300.45	1,267.65	3,032.80		3,032.80	71%
		कुल	**4,986.46**	**1,790.35**	**3,196.11**	**64%**		
22	30	**जनजाति मामले विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	129.64	65.24	64.40			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	282.23	107.93	174.30		174.30	62%
		कुल	**411.86**	**173.16**	**238.70**	**58%**		
23	31	**संस्कृति विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	59.52	41.03	18.49			
		पूंजीगत						

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान या विनियोग का नाम	विनियोग	व्यय	बचतें	बचतों की प्रतिशतता	पूंजीगत अनुभाग में बचत का प्रतिशत	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बचत की प्रतिशतता
		दत्तमत	274.32	6.14	268.18		268.18	98%
		कुल	**333.84**	**47.17**	**286.67**	**86%**		
24	32	**उद्यानिकी विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	162.84	131.83	31.02			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	457.42	265.70	191.72		191.72	42%
		कुल	**620.26**	**397.53**	**222.74**	**36%**		
25	33	**आपदा प्रबंधन राहत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	972.95	813.37	159.58			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	115.43	59.51	55.92			
		कुल	**1,088.38**	**872.88**	**215.50**	**20%**		
26	34	**युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**						
		राजस्व						
		दत्तमत	609.91	476.47	133.44			
		पूंजीगत						
		दत्तमत	236.77	72.33	164.44		164.44	69%
		कुल	**846.68**	**548.80**	**297.88**	**35%**		
		सकल कुल	**77,203.40**	**48,698.90**	**28,504.50**		**18,723.63**	

स्रोतः विनियोग लेखे.

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ कंडिका: 3.4.1)

प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों के उपयोग की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
1	सामान्य प्रशासनिक विभाग	746.36	441.25	59%
2	गृह विभाग	10,199.60	7,651.03	75%
3	योजना विभाग	1,811.20	572.39	32%
4	सूचना विभाग	126.89	85.16	67%
6	विद्यत विकास विभाग	7,924.81	4,361.10	55%
7	शिक्षा विभाग	11,001.27	9,448.00	86%
8	वित्त विभाग	61,316.43	62,460.27	102%
9	संसदीय मामले विभाग	34.04	26.07	77%
10	विधि विभाग	765.36	398.48	52%
11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	793.92	423.87	53%
12	कृषि विभाग	2,422.96	1,274.55	53%
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग	859.04	679.37	79%
14	राजस्व विभाग	822.65	528.66	64%
15	खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग	583.12	278.31	48%
16	लोक निर्माण विभाग	6,786.83	4,243.32	63%
17	स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	7,478.38	5,613.97	75%
18	सामाज कल्याण विभाग	3,160.93	2,029.97	64%
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग	3,798.40	1,416.19	37%
20	पर्यटन विभाग	468.34	256.96	55%
21	वन विभाग	1,727.74	1,262.95	73%
22	सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण विभाग	1,465.35	708.76	48%
23	जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-	3,938.88	1,875.76	48%
24	हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल एस्टेट पार्क और गार्डन	283.76	196.56	69%
25	श्रम स्टेशनरी और मुद्रण विभाग	151.65	87.86	58%
26	मत्स्य पालन विभाग	218.97	131.22	60%
27	उच्चतर शिक्षा विभाग	2,160.76	1,404.12	65%
28	ग्रामीण विकास विभाग	4,986.46	1,790.35	36%

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	विनियोग की राशि	व्यय	उपयोग प्रतिशतता
29	परिवहन विभाग	248.75	176.00	71%
30	जनजाति मामले विभाग	411.86	173.16	42%
31	सांस्कृतिक विभाग	333.84	47.17	14%
32	उद्यानिकी विभाग	620.26	397.53	64%
33	आपदा प्रबंध, राहत, पुनर्वास तथ पुन: संरचना विभाग	1,088.38	872.88	80%
34	युवा सेवाएँ एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	846.68	548.80	65%
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	121.76	62.46	51%
36	सहकारी विभाग	89.53	59.00	66%
	सकल कुल	**1,39,795.19**	**1,11,983.49**	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ कंडिका: 3.5)

शून्य व्यय सहित अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट आवंटन	व्यय	योजनाओं एवं उप शीर्षों की संख्या
1	1	2055,4059,4075 एवं 5452	58.64	0	4
2	2	2055, 4055 एवं 4059	46.30	0	5
3	3	3475 एवं 5475	440.68	0	9
4	6	4801	576.32	0	4
5	7	2202 एवं 4202	114.65	0	8
6	8	2075,2235,2049,5475,6235 एवं 6003	764.595	0	9
7	10	2014	5.48	0	1
8	11	4851	8.00	0	3
9	12	2402,4401 एवं 4851	387.31	0	11
10	13	4403	1.07	0	2
11	14	2401 एवं 4059	20.93	0	6
12	15	2408 एवं 4408	155.33	0	2
13	16	5054	15.72	0	2
14	17	2210, 2211 एवं 4210	105.46	0	10
15	18	2070,2225,2235,4225, 4236 एवं 4236	63.68	0	12
16	19	2217,4216 एवं 4217	274.92	0	8
17	21	4406	19.59	0	2
18	22	2701, 4701 एवं 4711	161.00	0	5
19	23	4215	1,602.02	0	2
20	25	4058	0.1	0	1
21	27	4202	42.25	0	2
22	28	2501 एवं 4515	68.80	0	5
23	29	2041	1	0	1
24	30	2225	19.68	0	3
25	31	4202	5	0	1
26	32	4401	0.38	0	1
27	33	4235	103.35	0	1
28	34	2230 एवं 4202	30	0	3
		कुल	**5,092.25**		**123**

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ कंडिका: 3.5.1)

नियमितीकरण की आवश्यकता वाले प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**अनुदान संख्या**	**कुल अनुदान/**	**व्यय**	**आधिक्य**
		विनियोजन		
I- राजस्व दत्तमत				
1	8- वित्त विभाग	10,771.20	12,294.47	1,523.28
2	16- लोक निर्माण विभाग	1,182.25	1,286.62	104.38
कुल-I (राजस्व दत्तमत)		**11,953.44**	**13,581.10**	**1,627.65**
II- राजस्व प्रभारित				
3	8- वित्त विभाग	7,093.67	7,360.31	266.64
कुल -II (राजस्व प्रभारित)		**7,093.67**	**7,360.31**	**266.64**
III- पूंजीगत प्रभारित				
4	8- वित्त विभाग	41,420.20	41,575.17	154.97
कुल -III (पूंजीगत प्रभारित)		**41,420.20**	**41,575.17**	**154.97**
कुल (I+II+III)		**60,467.31**	**62,516.58**	**2,049.26**

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ कंडिका: 3.5.3)

वर्ष 1980-81 से वर्ष 2019-20 (01/04/2019 से 30/10/2019) की अवधि के दौरान आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/ विनियोग सं.	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18,19,20,21,22 ,23	227.9	नियमित नहीं किया गया
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,1 8,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24, 26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	9	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23 ,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20,21,23 ,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26, 27	4,189.21	
1998-99	6	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,2 8,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,2 8	505.61	

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/ विनियोग सं.	आधिक्य	नियमितीकरण की स्थिति
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	
2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
2016-17	12	3,4,5,8,11,15,16,19,23,26,28,29	2,896.86	
2017-18	8	3,5,8,16,23,24,28,29	6,397.06	
2018-19	7	3,5,8,15,16,17,30	4,631.53	
2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019)	16	5,7,8,9,12,15,17,18,19,21,24,26,29,32,33,34	5,311.53	
		कुल	**1,24,004.41**	

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ कंडिका: 3.7.2)

व्यय की अधिकता (केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वाले मुख्य शीर्ष)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनु.सं.	एमएच	एमएच विवरण	पहली तिमाही व्यय	दूसरी तिमाही व्यय	तीसरी तिमाही व्यय	चौथी तिमाही व्यय	मार्च व्यय	वार्षिक व्यय	व्यय मार्च (प्रतिशत)
1	2	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	4.58	4.07	4.58	89
2	3	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	-0.05	7.42	32.68	27.64	40.05	69
3	4	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	100
4	6	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13.67	17.55	203.58	995.20	827.17	1,230.00	67
5	8	2047	अन्य वित्तीय सेवा	0.00	0.12	0.17	5.66	5.03	5.95	85
6	8	2048	ऋण में कमी या परिहार हेतु विनियोजन	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	100
7	8	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.09	0.09	0.09	2.09	2.06	2.36	87
8	10	2030	स्टेम्प एवं पंजीकरण	0.34	0.32	0.34	0.16	0.91	1.16	78
9	10	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	5.02	10.58	40.83	33.40	56.43	59
10	11	4852	आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	1.36	2.72	50
11	14	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.87	6.15	5.53	7.02	79
12	15	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	3.53	100
13	15	4408	खाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	-0.88	-1.43	45.39	66.17	64.13	109.25	59
14	15	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.38	0.24	0.38	64
15	18	2055	पुलिस	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	100
16	18	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण	3.21	2.72	4.98	29.25	20.30	40.16	51

क्र.सं.	अनु.सं.	एमएच	एमएच विवरण	पहली तिमाही व्यय	दूसरी तिमाही व्यय	तीसरी तिमाही व्यय	चौथी तिमाही व्यय	मार्च व्यय	वार्षिक व्यय	व्यय मार्च (प्रतिशत)
17	18	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.64	1.59	15.19	12.67	17.42	73
18	18	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	2.60	7.12	15.08	15.79	25.00	63
19	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.29	18.10	430.59	380.59	450.98	84
20	21	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.01	0.26	0.32	1.06	0.94	1.65	57
21	23	4215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.66	36.34	135.00	110.27	175.00	63
22	26	4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.41	7.66	23.10	15.76	31.17	51
23	29	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.12	7.44	47.35	46.43	54.91	85
24	30	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.04	12.73	95.15	72.07	107.92	67
25	34	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.47	0.89	12.02	48.50	35.69	61.88	58
			कुल (25 मामले)	**17.11**	**36.61**	**376.74**	**2,047.38**	**1,733.90**	**2,477.84**	

स्रोत: वीएलसी डेटा

नकारात्मक आंकड़े प्राप्तियों और वसूलियों (बिक्री आगम) की बुकिंग के कारण हैं जिन्हें कटौती वसूलियों के रूप में दर्शाया गया है, मुख्य शीर्ष पर लागू लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्य शीर्ष 4408-खाद्य भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत एवं पिछले वर्षों के अतिरिक्त भुगतान की वसूली का वर्गीकरण, और लघु शीर्ष 911-कटौती वसूली के अंतर्गत, मुख्य शीर्ष 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, जिन्हें वर्ष के अंत में परिशोधन किया गया है।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ कंडिका: 4.2)

कैंद्रीय योजना के निधियों को संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभागों (संघ शासित क्षेत्र बजट से बाहर भेजा गया धन) को प्रत्यक्ष हस्तांतरण (अलेखापरीक्षित आंकड़ें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	भारत सरकार के योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्गत	भारत सरकार द्वारा निर्गत
			2020-21	2021-22
1	स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोगिता (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)	विभिन्न शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	110.00	336
2	एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के उपांत के अंतर-राज्यीय संचलन हेतु राज्य अभिकरणों को सहायता	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	13,784.68	4,750.57
3	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	महिलाओं हेतु सरकारी कॉलेज, एमए रोड, श्रीनगर, एसकेआईएमएस, सौरा, श्रीनगर	68.00	-
4	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	विभिन्न उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	320.52	-
5	स्वास्थ्य अनुसंधानको बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना का विकास	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	47.99	32.19
6	नर्सिंग सेवाओं का विकास	जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न नर्सिंग स्कूल	1,125.00	-
7	स्थापना व्यय (ईएफएवं सीएल)	प्रा. मुख्य वन संरक्षक जम्मू एवं कश्मीर	-	138.46
8	जूनोटिक रोगों और वायरल हेपेटाइटिस एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग निगरानी के तैयारी और नियंत्रण हेतु एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य पहल अंतर क्षेत्रीय समन्वय	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू / श्रीनगर	3.96	-
9	ई-कोर्ट चरण-II	रजिस्ट्रार जनरल, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय	100.12	-

क्र.सं.	भारत सरकार के योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्गत	भारत सरकार द्वारा निर्गत
			2020-21	2021-22
10	अनुसंधान संस्थानों आदि के माध्यम से बाह्य अनुसंधान परियोजनाएं।	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, जम्मू	9.00	16.00
11	मानव संसाधन एवं क्षमता विकास	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	6.54	1.52
12	आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया और मानव संसाधन विकास	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	124.26
13	कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	जम्मू एवं कश्मीर का कृषि उत्पादन विभाग	313.78	207.17
14	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	45.42	64.80
15	नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन	विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु जम्मू एवं कश्मीर परिषद	198.60	20.26
16	अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजनाएँ	जिला विकास आयुक्त, बडगाम	103.58	-
17	पंचायत को प्रोत्साहन	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	60.00	-
18	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ीकरण	क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बडगाम	-	16.61
19	राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	22.00
20	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी)	विभिन्न जिला उपायुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	2,250.00	1,300.00
21	राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव-सीआरएफ से वित्तपोषित	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	20.00	-
22	वन स्टॉप सेंटर	उपायुक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार	218.84	-
23	सतत के लिए आधिकारिक विकास सहायता	एसपीवी-आकांक्षी, बारामुला /कुपवाड़ा	-	1,602.40
24	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	750.11	-

क्र.सं.	भारत सरकार के योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्गत	भारत सरकार द्वारा निर्गत
			2020-21	2021-22
25	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	70,883.40	66,458.12
26	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना-मेगा फूड पार्क	बागवानी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	150.00	-
27	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम निर्दिष्टीकरण पीएम-एफएमई	उद्यान कृषि विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	668.64	2.33
28	मूल्य अनुवीक्षणसंरचना	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	3.42	-
29	प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों के लिए राहत और पुनर्वास	जम्मू एवं कश्मीर के उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त	-	12.00
30	अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार, अनुवीक्षण और मूल्यांकन	सरकारी डिग्री कॉलेज सोपोर, कश्मीर	2.50	2.50
31	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएँ	परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर	104.65	373.15
32	सामर्थ्य (बीबीबीपी शिशु-गृह पीएमएमवीवाई लिंग बजट अनुसंधान कौशल प्रशिक्षण आदि)	समाज कल्याण विभाग जम्मू एवं कश्मीर सरकार	-	4,037.77
33	संबल (वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस स्वयंसेवी महिला हेल्पलाइन स्वाधार उज्ज्वला विधवा घरों आदि।	विभिन्न वन स्टॉप सेंटर	-	388.85
34	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	सरकारी डिग्री कॉलेज	13.50	42.27
35	पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सब्सिडी	उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण विभाग जम्मू एवं कश्मीर	208.26	254.13
36	सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु समर्थन	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर	137.75	-
37	महिला हेल्प लाइन	उपायुक्त, जम्मू	60.07	-

क्र.सं.	भारत सरकार के योजना का नाम	संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वयन अधिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्गत	भारत सरकार द्वारा निर्गत
			2020-21	2021-22
38	अन्य		-	0.25
	सकल कुल		**91,768.33**	**80,203.61**

स्रोत: वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा जारी ₹3,99,276.12 लाख की कुल राशि में से ₹80,203.61 लाख की राशि जम्मू एवं कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों और ₹3,19,072.50 लाख विभिन्न स्वायत्त निकायों/ सरकार के अन्य संस्थाओं (केंदिय अधिकरणों को ₹3,416.30 लाख सहित) को हस्तांतरित की गई। कृपया वित्त लेखाओं के खंड-I के टिप्पणियों के कंडिका 3(xiii) (क) का भी संदर्भ लें।

परिशिष्ट 4.2
(संदर्भ कंडिका: 4.13)
31 मार्च 2022 तक बकाया लेखाओं की स्थिति

क्र.सं.	**कंपनी का नाम**	**अंतिम बार लेखापरीक्षा की गई**
1	जम्मू एवं कश्मीर (जेएंडके) विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16
2	जेएंडके औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14
3	जेएंडके लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17
4	जेएंडके खनिज लिमिटेड	2010-11
5	जेएंडके सीमेंट्स लिमिटेड	2011-12
6	जेएंडके हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम लिमिटेड	2018-19
7	जेएंडके हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19
8	जेएंडके उद्योग लिमिटेड	2013-14
9	जेएंडके कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15
10	जेएंडके एचपीएमसी लिमिटेड	2014-15
11	जेएंडके केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14
12	जेएंडके पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20
13	जेएंडके अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2017-18
14	जेएंडके प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
15	जेएंडके पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15
16	जेएंडके विदेशी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11
17	जेएंडके बैंक लिमिटेड	2020-21
18	जेएंडके बैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड	2020-21
19	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	2020-21
20	जेएंडके महिला विकास निगम लिमिटेड	2019-20
21	जेएंडके व्यापार संवर्धन संगठन	2019-20
22	जेएंडके विद्युत संचार निगम लिमिटेड	2018-19
23	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
24	जेएंडके अवसरचना विकास वित्तीय निगम लिमिटेड	2018-19
25	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18
26	जेएंडके वन विकास निगम	2012-13
क्र. सं.	**निगम का नाम**	**अंतिम बार लेखापरीक्षा की गई**
1	जेएंडके सड़क परिवहन निगम	2013-14
2	जेएंडके वित्तीय निगम	2018-19

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ कंडिका: 5.3)

31 मार्च 2022 तक सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में पीएसयू का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियां
क	**विद्युत क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	-
2	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	-
3	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
4	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-
5	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	-
II	**कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी**	
6	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड	-
ख	**सामाजिक क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
7	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
8	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	-
9	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	-
10	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	-
11	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-
12	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	-
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	-
14	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	-
15	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	-
16	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-
17	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन	-
18	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड	-

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियां
19	जम्मू एवं कश्मीर सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	-
20	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	कंपनी को जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978 के निरस्त होने के पश्चात दिसंबर 2020 में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया था।
21	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	कंपनी ने स्थापना के बाद से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।
22	एआईसी-जम्मू और कश्मीर ईडीआई फाउंडेशन	कंपनी ने स्थापना के बाद से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।
II	**अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
23	जम्मू और कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड	2019 के आदेश संख्या एफडी 453 के अनुसार सरकार ने 24 अक्टूबर 2019 को कंपनी के स्वैच्छिक समापन को संस्वीकृति दे दी है।
24	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी	कंपनी परिसमापन के अधीन है
ग	**प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण क्षेत्र**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
25	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	-
26	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	-
27	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	-
28	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	-
29	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	-
30	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास लिमिटेड	-
II	**कार्यशील सांविधिक निगम**	
31	जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम	-
32	जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-
III	**अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
33	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापन के अधीन है
34	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	कंपनी परिसमापन के अधीन है
घ	**अन्य**	
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
35	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	-

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	अभ्युक्तियां
36	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-
37	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
38	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-
39	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
40	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
II	**अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ**	
41	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है
42	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	कंपनी ने अभी तक अपने व्यवसाय प्रचालनों को प्रारंभ नहीं किया है

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ कंडिका: 5.3)

30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार पीएसयू के कुल बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल बिक्री
क.	**विद्युत क्षेत्र**			
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	1,037.85
2	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	0
3	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
4	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	0
5	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	0
II	**II. कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी**			
6	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं (प्राइवेट) लिमिटेड	2021-22	2022-23	0
ख .	**सामाजिक क्षेत्र**			
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
7	जम्मू एवं कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	59.54
8	जम्मू एवं कश्मीर राज्य उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	6.49
9	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	1.38
10	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	4.10
11	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	438.50
12	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	19.16
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2018-19	2022-23	6.30
14	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2013-14	0
15	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	11.12
16	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	38.37

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल बिक्री
17	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2020-21	2021-22	0
18	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2019-20	2021-22	0
19	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	2020-21	2022-23	0
20	जम्मू और कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	148.71
21	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	-
22	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउंडेशन	-	-	-
II	**अकार्यशील सरकारी कंपनी**			
23	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड	-	-	-
24	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	1991-92	1999-2000	-
ग	**प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र**			
I	**I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
25	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	120.50
26	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	14.30
27	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	37.20
28	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2021-22	2022-23	8,013.48
29	जम्मू एवं कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2021-22	2022-23	9.48
30	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	45.90
II	**कार्यशील सांविधिक निगम**			
31	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	6.03
32	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	79.71
III	**अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
33	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	-
34	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	-
घ	**अन्य**			

क्र. सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	कुल बिक्री
I	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
35	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	409.06
36	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	8.64
37	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2021-22	0
38	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2021-22	0
39	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	-	-	-
40	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	-	-	-
II	**अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ**			
41	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	-	-	-
42	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	-	-	-
	कुल			**10,515.82**

(स्रोत: पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखे)

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ कंडिका: 5.4.1)

30 सितंबर 2022 को पीएसयू से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2021-22 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
				जम्मू कश्मीर सरकार	जीओआई	अन्य	कुल	जम्मू कश्मीर सरकार	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क	**विद्युत क्षेत्र**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	विद्युत विकास विभाग (पीडीडी)	फरवरी-1995	2,593.34	0	0	2,593.34	0	0	1,064.40	1,064.40
2	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0.00
3	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	पीडीडी	जून -2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0.00
4	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च-2013	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0.00
5	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	पीडीडी	मार्च- -2013	0.05	0	0	0.05	0	0	10,321.83	10,321.83
	II. कार्यरत सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी										
6	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं (प्राइवेट) लिमिटेड	पीडीडी	जून -2011	0	0	3,436.45*	3,436.45	0	0	598.57	598.57
	कुल क			**2,593.54**	**0**	**3,436.45**	**6,029.99**	**0**	**0**	**11,984.80**	**11,984.80**
ख	**सामाजिक क्षेत्र**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
7	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.6	0.94	0	3.54	25.19	0	0	25.19

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2021-22 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
8	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.80	3.20	0	10.00	11.75	0	0	11.75
9	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1 अप्रैल 1986	21.97	28.05	0	50.02	61.03	0	101.38	162.41
10	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	28.91	0	91.61	120.52
11	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	28 नवंबर 1975	89.91	0	0	89.91	0	0	0	0
12	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.64	0	0	17.64	22.72	0	0	22.72
13	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	264.99	0	0	264.99
14	जम्मू एवं कश्मीर विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0
15	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	64.72	0	0	64.72
16	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.5	0	4.99	71.46	0	0	71.46
17	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	उद्योग एवं वाणिज्य	30 मई 2018	2.55	2.68	0	5.23	0.63	0	0	0.63
18	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	वित्त	25 सितंबर 2018	0.50	0	0	0.50	0	0	2,372.77	2372.77
19	जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
20	एआईसी- जम्मू एवं कश्मीर इडीआई फाउंडेशन	उद्योग एवं वाणिज्य	7 सितंबर 2018	0.05	0	0	0.05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
21	जम्मू एवं कश्मीर आई. टी. अवसंरचना विकास प्रा. लिमिटेड	आई टी और संचार	7 मार्च 2019	0.50	0	0	0.50	0	0	0	0
22	जम्मू और कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	वन	01 जुलाई 79	9.03	0	0	9.03	18.06	0	0	18.00

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2021-22 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
	कुल । ख			**192.50**	**37.26**	**0**	**229.76**	**569.46**	**0.00**	**2565.76**	**3135.22**
	II. अकार्यशील कंपनी										
23	जम्मू एवं कश्मीर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लिमिटेड	वित्त	28 अप्रैल 2017	1.02	0.00	0.98	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा हस्तशिल्प कच्ची सामग्री आपूर्ति संगठन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की अनुषंगी)	उद्योग एवं वाणिज्य	29 नवंबर 1991	0.40	0	0	0.40	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल II ख			**1.42**	**0**	**0.98**	**2.40**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल ख (I+II)			**193.92**	**37.26**	**0.98**	**232.16**	**569.46**	**0**	**2565.76**	**3135.22**
ग	**प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
25	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	49.86	0	0	49.86	0	0	3.13	3.13
26	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	169.78	0	0	169.78
27	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0.00
28	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	65.41	0	27.88	93.29	0	0	2,015.20	2015.20
29	जम्मू एवं कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	7.60	7.60
30	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम	वित्त	2 दिसंबर 1959	172.35	0	0.53	172.88	10.48	0	44.94	55.42
31	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 सितंबर 1976	387.86	15.01	49.98	452.85	780.61	0	0	780.61
32	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	15.96**	0	0	15.96	8.26	0	0	8.26
	कुल । ग			**723.01**	**15.01**	**98.39**	**836.41**	**969.13**	**0**	**2070.87**	**3040**
	II. अकार्यशील कंपनियाँ										
33	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.8	0	0	0.8	0.83	0	0	0.83

क्र. सं.	क्षेत्र और पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का वर्ष और माह	वर्ष 2021-22 के अंत तक इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घकालिक ऋण			
34	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	कुल II ग			**2.17**	**0**	**0**	**2.17**	**0.83**	**0**	**0**	**0.83**
	कुल ग (I+II)			**725.18**	**15.01**	**98.39**	**838.58**	**969.96**	**0**	**2070.87**	**3040.83**
घ	**अन्य**										
	I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
35	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	22 मई 1965	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0.00
36	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	शहरी विकास	26 दिसंबर 1997	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0.00
37	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0.00
38	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	8 सितंबर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0.00
39	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	12 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0.00
40	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्रा. लिमिटेड	शहरी विकास	13 मार्च 2019	0.02	0	0	0.02	0	0	0	0.00
	कुल I घ			**3.77**	**0**	**0**	**3.77**	**0**	**0**	**0**	**0**
	II. अकार्यशील कंपनियाँ										
41	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2014	5.00	0	0	5.00	0	0	0	0.00
42	जम्मू एवं कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र निगम लिमिटेड	उद्योग एवं वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	कुल II घ			**53.00**			**53.00**				
	कुल घ (I+II)			**56.77**	**0**	**0**	**56.77**				
	कुल योग (क+ख+ग+घ)			**3,569.41**	**52.27**	**3,535.82**	**7,157.50**	**1,539.42**	**0.00**	**16,621.43**	**18,160.85**

स्रोतः पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

**इसमें ₹100.00 करोड़ के शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन शामिल है।*

*** इसमें ₹10.96 करोड़ के शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन शामिल है।*

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ कंडिका: 5.4.3)

मार्च 2022 तक पीएसयू के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी और ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू के नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			वित्त लेखे के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रत्याभूति प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रत्याभूति प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रत्याभूति प्रतिबद्ध
1	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2,593.34	0	1,209.83	2,593.34	85.05	1,209.83	0	-85.05	0
2	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	6.80	11.75	0	6.80	12.67	0	0	-0.92	0
3	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	49.86	3.13	3.13	15.00	0	प्रतीक्षित	34.86*	3.13	3.13**
4	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	8.00	169.78	0	8.00	1.86	0	0	167.92	0
5	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	15.96	8.26	0	5.00	0	0	10.96***	8.26	0
6	जम्मू एवं कश्मीर सड़क विकास निगम लिमिटेड	387.86	780.61	0	387.86	479.23	0	0	301.38	0
7	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	16.27	264.99	0	16.27	305.43	0	0	-40.44	0
	कुल	**3,078.09**	**1,238.52**	**1,212.96**	**3,032.27**	**884.24**	**1,209.83**	**45.82**	**354.28**	**3.13**

(स्रोत: पीएसयू और वित्त लेखाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

**विभिन्नता जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नए संयंत्र हेतु ₹26.78 करोड़ और ग्राइंडिंग यूनिट शेयर प्रमाणपत्र हेतु ₹8.08 करोड़ के योगदान के कारण है, जिसके लिए आरओसी के पास लंबित है।*

***विभिन्नताएँ वित्त लेखे में प्रतीक्षित सूचना के कारण हैं*

**** भिन्नता शेयर आवेदन राशि के कारण है जिसके विरुद्ध आवंटन लंबित है*

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ कंडिका: 5.5)

30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज एवं कर के पश्चात निवल लाभ
1	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	0.04
2	जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.25
3	जम्मू एवं कश्मीर लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	1.57
4	जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	2019-20	6.30
5	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	2021-22	9.94
6	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	2021-22	2022-23	501.56
7	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2021-22	2022-23	2.88
8	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18
9	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	3.16
10	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2021-22	12.23
11	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	20.42
12	चिनाब घाटी विद्युत परियोजनाएं प्राइवेट लिमिटेड	2021-22	2022-23	4.57
	कुल			**566.10**

(स्रोत: पीएसयू के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भ कंडिका: 5.7.2)

निवेश पर प्रतिफल-जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (सूचीबद्ध पीएसयू)

(₹ लाख में)

वर्ष	इक्विटी	इक्विटी जोड़ा गया	अनुदान / सब्सिडी	लाभांश प्राप्तियां	विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज आई की दर	आई+ आर	इक्विटी का प्रारंभिक मूल्य जोड़ा गया	अनुदान/सब्सिडी का प्रारंभ मूल्य	विनिवेश प्राप्तियों का पी.वी	लाभांश प्राप्तियों का पी.वी	निवेश की लागत	शेयरों की संख्या	बाजार मूल्य प्रति शेयर (रु)	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओ आई	सीएजी आर
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन	ओ	पी	क्यू	आर	एस	यू
								(आई +एच)	आई के सी/उत्पाद स्थापना के पश्चात से (जी-1) के वर्ष मूल्य तक	आई के डी/उत्पाद स्थापना के पश्चात से (जी-1) के वर्ष मूल्य तक	वर्ष से अंतिम वर्ष तकआई के ई*उत्पाद	वर्ष से अंतिम वर्ष तकआई के एफ*उत्पाद	ख +Σजे+Σके			ओ * पी	क्यू+Σआई+ Σएम	(आर-एन)/एन)/जी	((वर्तमान वर्ष आरओआई/1999-2000 का आरओआई)^1/(जी-1)-1)*100
1998-99	4,847.78	0	0	773.26	0	1	0.1088	1.11	0.00	0	0.00	4,967.65	4,847.78	4,84,77,802	28.00	13,573.78	18,541.43	282.47	
1999-2000	4,847.78	0	0	902.13	0	2	0.1196	1.12	0.00	0	0.00	5,226.90	4,847.78	4,84,77,802	36.15	17,524.73	27,719.28	235.90	-16.49
2000-01	4,847.78	0	0	1,031.01	0	3	0.0923	1.09	0.00	0	0.00	5,335.48	4,847.78	4,84,77,802	37.30	18,082.22	33,612.25	197.78	-16.32
2001-02	4,847.78	0	0	1,288.76	0	4	0.1120	1.11	0.00	0	0.00	6,105.78	4,847.78	4,84,77,802	73.35	35,558.47	57,194.28	269.95	-1.50
2002-03	4,847.78	0	0	1,546.52	0	5	0.1054	1.11	0.00	0	0.00	6,588.98	4,847.78	4,84,77,802	113.85	55,191.98	83,416.77	324.14	3.50
2003-04	4,847.78	0	0	2,577.53	0	6	0.1095	1.11	0.00	0	0.00	9,934.53	4,847.78	4,84,77,802	493.15	2,39,068.28	2,77,227.60	936.44	27.09
2004-05	4,847.78	0	0	2,062.02	0	7	0.0897	1.09	0.00	0	0.00	7,163.25	4,847.78	4,84,77,802	363.05	1,75,998.66	2,21,321.23	637.92	14.54
2005-06	4,847.78	0	0	2,062.02	0	8	0.0815	1.08	0.00	0	0.00	6,573.60	4,847.78	4,84,77,802	450.80	2,18,537.93	2,70,434.09	684.81	13.49
2006-07	4,847.78	0	0	2,964.16	0	9	0.1166	1.12	0.00	0	0.00	8,737.44	4,847.78	4,84,77,802	643.15	3,11,784.98	3,72,418.59	842.47	14.64

2007-08	4,847.78	0	0	3,995.17	0	10	0.1407	1.14	0.00	0	0.00	10,546.80	4,847.78	4,84,77,802	678.55	3,28,946.13	4,00,126.52	815.38	12.50
2008-09	4,847.78	0	0	4,256.02	0	11	0.0794	1.08	0.00	0	0.00	9,849.58	4,847.78	4,84,77,802	314.80	1,52,608.12	2,33,638.10	429.04	4.27
2009-10	4,847.78	0	0	5,670.56	0	12	0.0945	1.09	0.00	0	0.00	12,157.87	4,847.78	4,84,77,802	681.70	3,30,473.18	4,23,661.03	719.94	8.88
2010-11	4,847.78	0	0	6,701.57	0	13	0.0903	1.09	0.00	0	0.00	13,127.82	4,847.78	4,84,77,802	874.00	4,23,695.99	5,30,011.67	833.31	9.43
2011-12	4,847.78	0	0	8,634.71	0	14	0.0828	1.08	0.00	0	0.00	15,513.79	4,847.78	4,84,77,802	919.00	4,45,511.00	5,67,340.47	828.79	8.63
2012-13	4,847.78	0	0	12,887.63	0	15	0.0819	1.08	0.00	0	0.00	21,384.30	4,847.78	4,84,77,802	1191.00	5,77,370.62	7,20,584.39	984.28	9.33
2013-14	4,847.78	0	0	12,887.63	0	16	0.0714	1.07	0.00	0	0.00	19,765.50	4,847.78	4,84,77,802	1538.00	7,45,588.59	9,08,567.86	1165.12	9.91
2014-15	4,847.78	0	0	5,412.81	0	17	0.0768	1.08	0.00	0	0.00	7,748.28	4,847.78	48,47,78,020	95.05	4,60,781.51	6,31,509.06	760.40	6.38
2015-16	4,847.78	0	0	4,510.67	0	18	0.0725	1.07	0.00	0	0.00	5,996.38	4,847.78	48,47,78,020	60.50	2,93,290.70	4,70,014.64	533.08	3.81
2016-17	4,847.78	3,655.51	0	0	0	19	0.0783	1.08	705.30	0	0.00	0.00	5,553.08	52,13,33,071	75.00	3,90,999.80	5,67,723.74	532.82	3.59
2017-18	4,847.78	3,525.00	0	0	0	20	0.0723	1.07	630.73	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	60.35	3,36,064.04	5,12,787.97	409.61	1.98
2018-19	4,847.78	0	0	0	0	21	0.0720	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,183.81	55,68,58,392	53.70	2,99,032.96	4,75,756.89	361.60	1.24
2019-20	4,847.78	1,566.00	0	0	0	22	0.0720	1.07	243.76	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	12.36	88,182.54	2,64,906.47	182.79	-2.05
2020-21	4,847.78	0	0	0	0	23	0.0672	1.07	0.00	0	0.00	0.00	6,427.57	71,34,50,938	26.65	1,90,134.67	3,66,858.61	243.81	-0.67
2021-22	4,847.78	2194.36	0	0	0	24	0.0690	1.07	299.12	0	0.00	0.00	6726.69	93,28,86,594	32.30	3,01,322.37	4,78,046.30	291.95	0.14

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भ कंडिका: 5.7.5)

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार निवेश और गैर-सूचीबद्ध पीएसयू में सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया निवल ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	औसत ब्याज दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य
ए	बी	सी	डी	ई	एफ=सी+डी-एच	जी=बी+एफ	एच	आई=जी*(आई+एच/100)
1999-2000 तक	352.29	7.14	0	0	7.14	359.43	11.96	402.42
2000-01	402.42	4.56	0	0	4.56	406.98	9.23	444.54
2001-02	444.54	1.82	0	0	1.82	446.36	11.2	496.35
2002-03	496.35	13.29	0	0	13.29	509.64	10.54	563.36
2003-04	563.36	2.80	0	0	2.8	566.16	10.95	628.16
2004-05	628.16	4.03	0	0	4.03	632.19	8.97	688.89
2005-06	688.89	7.55	0	0	7.55	696.44	8.15	753.20
2006-07	753.20	2.50	0	0	2.5	755.70	11.66	843.82
2007-08	843.82	1.20	11.55	0	12.75	856.57	14.07	977.09
2008-09	977.09	7.63	0	0	7.63	984.72	7.94	1,062.90
2009-10	1,062.90	17.09	0	0	17.09	1,079.99	9.45	1,182.05
2010-11	1,182.05	11.06	0	0	11.06	1,193.11	9.03	1,300.85
2011-12	1,300.85	6.09	0	0	6.09	1,306.94	8.28	1,415.16
2012-13	1,415.16	7.00	0	0	7	1,422.16	8.19	1,538.63
2013-14	1,538.63	78.08	0	0	78.08	1,616.71	7.14	1,732.14
2014-15	1,732.14	1.21	3.62	0	4.83	1,736.97	7.68	1,870.37
2015-16	1,870.37	6.85	0	0	6.85	1,877.22	7.25	2,013.32
2016-17	2,013.32	9.56	0	0	9.56	2,022.88	7.83	2,181.27
2017-18	2,181.27	97.30	21.83	17.5	101.63	2,282.90	7.23	2,447.96
2018-19	2,447.96	120.74	23.18	0	143.92	2,591.88	7.20	2,778.49
2019-20	2,778.49	2616.82	15.88	0	2632.7	5,411.19	7.20	5,800.80
2020-21	5,800.80	83.47	47.1	0	130.57	5,931.37	7.82	6,395.20
2021-22	6,395.20	554.32	16.63	0	570.95	6,966.15	7.94	7,519.26
कुल		**3,662.11**	**139.79**	**17.5**	**3,784.40**			

(स्रोत: मार्च 2022 तक संबंधित पीएसयू द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सूचना के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भ कंडिका: 5.8)

30 सितंबर 2022 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार घाटे वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ(+)/हानि(-)	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त भंडार	संचित लाभ/हानि	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य
I	**सरकारी कंपनियाँ**									
1	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद, विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-10.25	9.20	106.41	0.00	-134.76	-19.15	-125.56
2	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-6.17	47.37	98.62	0.00	-49.35	96.64	-1.98
3	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0.00	-146.99	-104.98	-129.34
4	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.60	8.52	154.66	0.00	-170.06	-6.88	-161.54
5	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0.00	-140.20	15.52	-135.21
6	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार प्रोत्साहन संगठन	2020-21	2021-22	-1.10	5.23	0	0	-1.14	4.09	4.09
7	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्रा. लिमिटेड	2019-20	2021-22	-0.09	0.50	641.38	0	-0.16	641.72	0.34
8	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0.00	-3.35	16.87	12.61
9	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8.00	263.83	0.16	-225.01	46.98	-216.85
10	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0.00	-249.13	-222.05	-240.10
11	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2021-22	-2.02	0	0	6.37	0	6.37	6.37
12	जम्मू एवं कश्मीर सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2022-23	-0.09	0.50	0	0	-0.03	0.47	0.47
13	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
14	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
15	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
16	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
	कुल			**-68.66**	**127.05**	**1,462.30**	**6.53**	**-1,120.30**	**475.58**	**-986.72**
II	**सांविधिक निगम**									
17	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	**-117.62**	**207.96**	**676.02**	**0**	**-1,634.94**	**-750.96**	**-1,426.98**
	सकल कुल			**-186.28**	**335.01**	**2,138.32**	**6.53**	**-2,755.24**	**-275.38**	**-2,413.70**

परिशिष्ट 5.9

(संदर्भ कंडिका: 5.8.1)

30 सितंबर 2022 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार संचित घाटे वाले पीएसयू का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ(+)/हानि(-)	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त भंडार	संचित लाभ/हानि	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य
	सरकारी कंपनियाँ									
1	जम्मू एवं कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	0.04	3.54	25.19	0	-50.30	-21.57	-46.76
2	जम्मू एवं कश्मीर उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	2021-22	-10.25	9.2	106.41	0	-134.76	-19.15	-125.56
3	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-6.17	47.37	98.62	0	-49.35	96.64	-1.98
4	जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2019-20	-20.54	17.65	24.36	0	-146.99	-104.98	-129.34
5	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड	2018-19	2021-22	0.07	16.27	900.90	0.00	-907.17	10.00	-890.90
6	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-8.6	8.52	154.66	0	-170.06	-6.88	-161.54
7	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-1.28	4.99	150.73	0	-132.99	22.73	-128.00
8	जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन	2020-21	2021-22	-1.10	5.23	0	0	-1.14	4.09	4.09
9	जम्मू एवं कश्मीर अवसंरचना विकास वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2021-22	-0.09	0.50	641.38	0	-0.16	641.72	0.34
10	जम्मू एवं कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	-3.99	9.03	18.05	0	-249.13	-222.05	-240.10
11	जम्मू एवं कश्मीर खनिज लिमिटेड	2010-11	2020-21	-8.38	8.00	263.83	0.16	-225.01	46.98	-216.85
12	जेकेबी वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.67	20.00	0	0	-3.19	16.81	16.81
13	जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास लिमिटेड	2019-20	2021-22	-6.14	15.96	4.26	0	-3.35	16.87	12.61
14	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख वित्तीय निगम	2018-19	2019-20	3.18	172.89	39.43	0	-172.97	39.35	-0.08
15	जम्मू एवं कश्मीर सूचान प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2022-23	-0.09	0.50	0	0	-0.03	0.47	0.47
16	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02
17	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2020-21	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
18	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-0.0035	0.05	0	0	-0.03	0.02	0.02

क्र.सं.	क्षेत्र के प्रकार और पीएसयू का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ(+)/हानि(-)	प्रदत्त पूंजी	दीर्घावधि ऋण	मुक्त भंडार	संचित लाभ/हानि	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य
19	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	-0.0035	0	0	0	-0.03	-0.03	-0.03
	कुल			**-60.68**	**339.75**	**2,427.82**	**0.16**	**-2,246.72**	**521.01**	**-1,906.81**
सांविधिक निगम										
20	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम	2018-19	2020-21	-117.62	207.96	676.02	0	-1,634.94	-750.96	-1,426.98
	सकल कुल			**-178.30**	**547.71**	**3,103.84**	**0.16**	**-3881.66**	**-229.95**	**-3,333.79**

परिशिष्ट 5.10

(संदर्भ कंडिका: 5.11.2)

30 सितंबर 2022 तक कार्यशील पीएसयू लेखे, जो बकायों में हैं, में जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	कुल
क.	**कार्यशील सरकारी कंपनियाँ**								
1	जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	3.54	3	0	0	0	0	0
2	जेएण्डके उद्यान कृषि उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	9.20	5	0.80	14.90	10.00	0	25.70
3	जेएण्डके लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	3.12	5	0	0	1.37	0	1.37
4	जेएण्डके राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	17.64	8	0	0	272.58	0	272.58
5	जेएण्डके परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.97	3	0	0	0	0	0
6	जेएण्डके पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2.00	7	0	0	0	0	0
7	जेएण्डके हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	4.99	3	0	8.90	11.80	0	20.70
8	जेएण्डके हस्तशिल्प (बिक्री और निर्यात) विकास निगम लिमिटेड	2018-19	8.52	3	0	11.25	15.89	0	27.14
9	जेएण्डके उद्योग लिमिटेड	2018-19	16.27	3	0	0	38.90	0	38.90
10	जेएण्डके खनिज लिमिटेड	2010-11	8.00	11	0	12.69	39.34	0	52.03
11	जेएण्डके पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	15.96	2	0	0	13.56	0	13.56
12	जेएण्डके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड	2018-19	47.37	3	2.40	21.55	1.10	0	25.05
13	जेएण्डके महिला विकास निगम लिमिटेड	2020-21	10.00	1	0	3.00	0	0	3.00
14	जेएण्डके सीमेन्ट लिमिटेड	2011-12	45.77	10	0	5.82	2.63	0	8.45
15	जेएण्डके केबल कार निगम लिमिटेड	2013-14	23.57	8	0	0	26.19	0	26.19
16	जेएण्डके विदेश रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	2.56	11	0	0	0	0	0
17	जेएण्डके अवसंरचना विकास वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	0.50	2	0	0	337.26	0	337.26
18	जेएण्डके आई.टी. अवसंरचना विकास प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	0.50	1	0	0	0	0	0
19	जेएण्डके व्यापार संवर्धन संगठन	2020-21	5.23	1	0	0.63	0	0	0.63

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	अंतिम रूप देने हेतु लंबित लेखाओं की अवधि	अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किये गये निवेश				
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	कुल
20	जेएण्डके विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2015-16	5.00	6	0	0	743.86	0	743.86
21	जेएण्डके विद्युत संचारण निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	3	0.05	0	427.07	0	427.12
22	कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0	3	0	0	1,196.02	450.00	1,646.02
23	जेएण्डके वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20	9.03	2	0	0	0	0	0
24	श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.10	3	0	0	84.20	0	84.2
25	जेएण्डके विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	3	0.05	0	4,165.26	0	4,165.31
26	जम्मू विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	0	3	0.05	0	1,095.57	1,050.00	2,145.62
27	जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0	2	0.10	0	106.27	0	106.37
28	जेएण्डके चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड	*	*	8	0	0	0	0	0
29	एआईसी-जम्मू एवं कश्मीर ईडीआई फाउन्डेशन	*	*	4	0	0	0	0	0
30	जम्मू मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	3	0	0	0	0	0
31	श्रीनगर मास रैपिड ट्रांजिट निगम प्राइवेट लिमिटेड	*	*	3	0	0	0	0	0
	कुल क		**240.94**	**133**	**3.45**	**78.74**	**8,588.87**	**1,500.00**	**10,171.06**
ख .	**कार्यशील सांविधिक निगम**								
32	जेएण्डके राज्य सड़क परिवहन निगम	2018-19	207.96	3	146.96	105.50	0	0	252.46
33	जेएण्डके और लद्दाख वित्तीय निगम	2018-19	172.89	3	0	5.55	0	0	5.55
	कुल ख		**380.85**	**6**	**146.96**	**111.05**	**0**	**0**	**258.01**
	कुल (क+ख)		**621.79**	**139**	**150.41**	**189.79**	**8,588.87**	**1500.00**	**10,429.07**

(स्रोत: प्रदत्त पूंजी हेतु कंपनियों के नवीनतम अंतिम लेखे और अवधि, जिसके लिए लेखे बकायों में हैं, के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किए गए निवेश हेतु कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सूचना)

** इन कंपनियों ने आरंभ से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।*

+ कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

परिशिष्ट 6
बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **वर्ष के 'लेखा' या 'वास्तविक आंकड़ें'**- का अर्थ 1 अप्रेल से प्रारंभ तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों की राशियाँ हैं, जिसे अंतिम रूप से लेखांकन प्राधिकार पुस्तिकाओं (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के अनुसार) में दर्ज की गई थी। अनंतिम लेखा अलेखापरीक्षित लेखा के संदर्भ में है।

2. **योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी औपचारिक सहमति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय संस्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है।

3. **'वार्षिक वित्तीय विवरण'** - बजट के रूप में भी संदर्भित अर्थात संसद/ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे गए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/ राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण।

4. **'विनियोग'** - का अर्थ है विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाई अथवा उसके भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि एक संवितरण अधिकारी के निपटान में रखी गयी है।

5. **'प्रभारित व्यय'** - का तात्पर्य ऐसे व्यय जो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत विधानमंडल के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

6. **'भारत/ राज्य की संचित निधि'**- संघ/ राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा लिये गए ऋण तथा ऋणों की चुकौती से प्राप्त सभी धन भारत/ राज्य के संचित निधि से प्राप्त होता है। इस निधि में से कोई भी धन विधि के अनुसार तथा संविधान में प्रावधान किए उद्देश्यों और तरीकों के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

7. **'आकस्मिक निधि'**- अग्रदाय की प्रकृति में है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/ सरकार को वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम प्रदान करना है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से इसे अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. '**नियंत्रण अधिकारी' (बजट)** - का अर्थ एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/ अथवा राजस्व संग्रहण को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व दी गई है। इस पद में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।

9. **'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)** - का तात्पर्य राज्य सरकार की ओर से बिलों का आहरण करने एवं भुगतान करने के लिए कार्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी भी से है। इस पद में विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहां वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।

10. **'अतिरिक्त अनुदान'** - अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है मूल/ अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान से ऊपर और उससे अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/ राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।

11. **'नई सेवा'** - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ए)/205(1)(ए) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नए नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय, जिसे पूर्व में संसद/ राज्य विधानमंडल के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।

12. **'सेवा का नया साधन'**- का अर्थ है मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय।

13. **'लोक लेखा'**- का तात्पर्य संविधान की धारा 115 (2) के संदर्भ में लोक लेखा से है। प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे जमा राशियाँ, आरक्षित निधियां, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/ राज्य के समेकित निधि से जारी किये गये धन नहीं हैं।

14. **'पुनर्विनियोग'** - का अर्थ है एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के भीतर दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचतों का हस्तांतरण।

15. **'परिशोधित प्राक्कलन'** - एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों अथवा व्यय का एक प्राक्कलन है, जो उस वर्ष के दौरान पहले से दर्ज लेनदेनों के संदर्भ में एवं पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष के लिए प्रत्याशा के संदर्भ में तैयार किया गया है।

16. **'अनुदान के लिए अनुपूरक मांग'**- का अर्थ है विधानमंडल के समक्ष रखी गई अनुपूरक मांगों का विवरण, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक या ऊपर किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक अगली व्यय

की अनुमानित राशि दर्शाई गई हो। अनुपूरक की मांग टोकन, तकनीकी या वास्तविक/ नगद हो सकती है।

क) **नगद अनुपूरक** मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ऊपर है एवं इसके परिणामस्वरूप मांग/ अनुदान के लिए आबंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।

ख) प्रत्येक मांग में चार खंड होते हैं, जैसे, राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत एवं पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, किसी एक अनुभाग की बचतों को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

ग) **टोकन अनुपूरक** अनुदान के एक ही खंड के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. **'मुख्य शीर्ष'**- का अर्थ राज्य के प्राप्तियों एवं संवितरणों को अभिलेखबद्ध और वर्गीकृत करने हेतु लेखा का मुख्य शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, समान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसे सरकार के एक 'कार्य' से संबंधित होता है।

18. '**उप-मुख्य शीर्ष**' - का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य शुरू किया गया एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य हो तथा ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष को को आसानी से समूहीकृत किया जा सकता है।

19. **'लघु शीर्ष'** - का तात्पर्य मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीन एक शीर्ष से है। एक मुख्य शीर्ष के अधीन एक लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करता है।

20. **'उप-शीर्ष'** - का अर्थ है लघु शीर्ष के बाद अगला अधीनस्थ लेखा की इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।

21. **'मुख्य निर्माण कार्य'**– का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक है।

22. **'लघु निर्माण कार्य'** - का अर्थ एक मूल निर्माण कार्य से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं है।

23. **"संशोधित अनुदान या विनियोग"**- का अर्थ है विनियोग के किसी उप-शीर्ष को आबंटित राशि जैसा कि यह पुनर्विनियोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद है।

24. **"अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग"**- का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल प्रावधान से है, जो उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

25. **"नए व्यय की अनुसूची"**- का अर्थ आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नये व्यय के मदों का विवरण है।

26. **"टोकन मांग"**- का अर्थ विधानसभा में नाममात्र या टोकन/ सांकेतिक राशि के लिए की गई मांग है, उदाहरण के लिए, नई सेवा पर होने वाले समस्त व्यय को स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा करने का प्रस्ताव है।

©भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in